राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 313वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 313वीं बैठक दिनांक 24/06/2021 को 03:00 बजे की भौतिक तथा वर्चुअल, अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे–

1. श्री जसबीर बाजवा, सदस्य, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
2. श्री सुमन साहू, सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

एजेन्डा आइटम क्रमांक–1 **23/06/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 312वीं बैठक दिनांक 23/06/2021 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आइटम क्रमांक–2 **राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति, छत्तीसगढ़ की 373वीं एवं 374वीं बैठक क्रमशः दिनांक 31/05/2021 एवं 01/06/2021 की अनुशंसा के आधार पर गौण/गुप्त खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मैसर्स नांदगांव कर्वी पत्थर माईनिंग प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री हिरेन्द्र साहू), ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1414)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्तावित नस्ती – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 81088/2021, दिनांक 17/03/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने के कारण दिनांक 27/03/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 09/03/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित कर्वी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नांदगांव, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 2735/1, कुल क्षेत्रफल–1.26 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता–60,000.00 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के कारण दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(ब) समिति की 37वीं बैठक दिनांक 31/08/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश चन्द्र, प्रोजेक्ट हेड विडिओ कन्डोलिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा भेजी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उपखण्ड के संबंध में ग्राम पंचायत नांदगांव का दिनांक 10/11/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **प्रस्तावना योजना** – माईनिंग प्लान (क्वारी प्लान), इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान एवं क्वारी कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भवन राजपूत अदान भवन के द्वारा क्रमांक 1722/खनि 42/भ.प्र.अनुमोदन/भ.अ.42/2019(1) भवन राजपूत, दिनांक 19/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 584/क/खनि/भ.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 9 खदानें, क्षेत्रफल 6.84 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विद्यमानीय खदान के जीरो पॉइंट से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (समय समयानुसार) में परिभाषित कालवर अनुसार "कोई कालवर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कालवर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विद्यमानीय खदान के जीरो पॉइंट से 500 मीटर के भीतर आने वाली खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के जीरो पॉइंट से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कालवर में खदानों की वहीं तक शामिल किया जाए, जहां तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 584/क/खनि/भ.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मजार, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवंटन के जाल पर है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1754/क/खनि पट्टा/खनि/भ.अ.ख/2019 महासमुंद, दिनांक 03/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुन्द के द्वारा क्रमांक/म.वि./5850 महासमुन्द, दिनांक 16/10/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 0.8 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संचरमार्गों की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नांदगांव 0.55 कि.मी., स्कूल ग्राम–नांदगांव 0.55 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–महासमुंद 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – पर्यावरण प्रबंधक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,81,440 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 1,12,036 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 1,08,437 टन है। क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3.203 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। अपरी मिट्टी की गहराई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 28,191 घनमीटर है। आवश्यकतानुसार अपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में प्लांटेशन के लिए उपयोग तथा शेष अपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि पर संग्रहित रखने हेतु खनन अधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जाएगा। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में जमा जल निकासी हेतु जल का निकासी किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,019
द्वितीय	5,985
तृतीय	5,951
चतुर्थ	5,917
पंचम	5,985

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,951
द्वितीय	6,019
तृतीय	5,985
चतुर्थ	5,951
पंचम	6,019

नोट: तालिका में उत्खनन के बाद के वर्षों को तदनुसार किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 0.88 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस आशय का ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ाई में 878 पौधे वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

15. अनुसूचित्रकार के सीमित परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनिज के आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 19/03/2021 से दिनांक 19/06/2021 तक किया जाएगा। पत्रक की सूचना दिनांक 18/03/2021 को प्रेषित की गई है। उक्त क्षेत्र में बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य जारी है। एकत्रित बेसलाईन डाटा की ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने में उपयोग किये जाने की अनुमति के लिए अनुरोध किया गया। जिसे समिति द्वारा इस शर्त पर मान्य किया गया कि यह खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. रिपोर्ट की जा रही है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा वर्तमान याचिका विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 100 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 584/क/खनि/ग.क./2021 महासमुंद, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के सीमा अवधि में खदानें, क्षेत्रफल 8.84 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-नांदगांव) का रकबा 1.26 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-नांदगांव) को मिलाकर कुल रकबा 8.2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान सी2 श्रेणी की पाई गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण सी2 श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2018 में प्रकाशित अधिसूचना एवं ओम रिपोर्ट (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रीसेक्टर/एक्सटेंशन निवारणार्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर अधिसूचना अन्तर्गत ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का परियोजना टीओआर (लोक सुनवाई सहित) तीन माह पहले प्रीसेक्टर हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

iv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

v. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/06/2021 की सपादन 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विषय विस्तृत उपरांत प्राधिकरण द्वारा मार्गदर्शिका में समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (साथ सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

2. मेसर्स सुईना फ्लोर स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री अजयपाल सिंह), ग्राम–सुईना, तहसील व जिला–महासमुंद (अधिकारण का नवमी क्रमांक 1888)

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्ताव क्रमांक – एमआईए /सीजी /एमआईएन / 0302018/2021, दिनांक 14/05/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लोर स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सुईना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 04, कुल क्षेत्रफल–0.44 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता–1480 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 21/06/2021 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 373वीं बैठक दिनांक 31/05/2021:

प्रस्तुतिकरण हेतु की आवश्यक पूरा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवमी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में जारी फ्लोर खदान खसरा क्रमांक 4, कुल क्षेत्रफल–0.44 हेक्टेयर, क्षमता–0003.0 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभावांकन निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 16/03/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 29/05/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018	80
2019	196
2020	201

iv. निर्धारित मानकानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुड़ेना का दिनांक 22/08/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **संरचना योजना** – माइनिंग प्लान (खदान प्लान एवम् बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/खनि/टीन–6/2018, रायपुर, दिनांक 01/12/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 177/क/खनि/म.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 8.52 हेक्टेयर है। जिसमें केवल विद्यमानीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (समय समयांतर) में परिभाषित कालवधि अनुसार "कोई कलक्टर उस समय क्षेत्राधिकार, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस संपूर्ण खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कलक्टर हेतु इंवायरमेंटल क्लियरेंस क्षेत्र में विद्यमानीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाली खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलक्टर से खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 177/क/खनि/म.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कब्रिस्तान, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – यह सामुदायिक भूमि है, लीज की प्रदाता सिंह के नाम पर है। लीज सीमा 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/02/2016 से 19/02/2046 तक की अवधि हेतु दिया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन संरक्षक अधिकारी, सहारनपुर मण्डल, जिला–सहारनपुर के ज्ञापन क्रमांक/ना.वि./2788 सहारनपुर, दिनांक 23/08/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बुड़ेना 1 कि.मी. एवं मस्जिद ग्राम–बुड़ेना 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – रिपोर्टीविकल रिजर्व लगभग 80,500 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 24,082 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 18,047 टन है। क्षेत्र की 1.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी ड्रिलिंग के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल 2155 वर्गमीटर है। खनन कार्य मैनुअल विधि से संचालन किया जाता है। संचालन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। क्षेत्र की लम्बाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कोयला स्थापित नहीं है एवं इसकी भण्डारण का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,391
द्वितीय	2,327
तृतीय	2,434
चतुर्थ	2,441
पंचम	2,490

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवां	2,484
सातवां	2,501
आठवां	2,565
नवां	2,508
दशवां	1,888

नोट: तालिका में उत्पादन के बाद के अंकों को गणनाकृत किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के टैंकर के माध्यम से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 500 पेड़ वृक्षारोपण माननीय से किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वनावरण** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वनावरण कार्य नहीं किया गया है।

15. महानदी 150 मीटर दूर है। नदी का पानी खदान में आने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही नदी के एच.एफ.एल. (High flood level) के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्मेट पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोसिडिंग एप्लिकेशन नं. 184 ऑफ 2014 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2015 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 277/अ/खनि/ग.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के दायरे अवस्थित 14 खदानें, संचयन 6.52 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुड़ेना) का रकबा 0.44 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुड़ेना) को मिलाकर कुल रकबा 6.96 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में संचित/संचयित खदानों का कुल संचयन 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान की श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्तमान 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लीज सुपरवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जिस अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

iv. Project proponent shall submit previous year production details along with dispatch number and date.

v. Project proponent shall complete plantation works in 7.5 meter mining boundary and submit the details of plantation alongwith photographs.

vi. Project proponent shall submit the NOC from concerned department for water usage.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

viii. Project proponent shall submit the details of HFL (High Flood Level) of Maharadi river along with NOC from Water Resource Department.

ix. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर पर्यावरण की दिनांक 24/06/2021 की संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (ऑफ लाईन सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

3. **मेसर्स गुढ़ेना फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अजित राम निषाद), ग्राम–गुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद (संचालन का नवीन क्रमांक 9001)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 63314/2021, दिनांक 14/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (लीज एरिया) खदान है। खदान ग्राम–गुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 333/1, कुल क्षेत्रफल–0.24 हेक्टेयर में है। खदान की आवंटित उत्पादन क्षमता–656.25 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की ब्रान्च दिनांक 21/05/2021 द्वारा अनुशंसित हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 373वीं बैठक दिनांक 31/05/2021:

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री आनंद पुरवा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में ग्राम खदान खसरा क्रमांक 333/1, कुल क्षेत्रफल–0.24 हेक्टेयर, क्षमता–262.40 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशन प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक

10/02/2021 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 14/09/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 29/09/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	निरंक
2018	138
2019	121
2020	238

iv. निर्धारित शर्तानुसार पूरा पालन नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुड़ेना का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र में दिनांक स्पष्ट नहीं है।

3. **उत्खनन योजना** – माइनिंग प्लान (खदान प्लान एनवायरमेंटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम पंचायत (छ.ग.), कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ के द्वारा क्रमांक 1828/क /खनि./लीज-4/2016 रायपुर, दिनांक 14/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के द्वारा क्रमांक 149/क/खनि/ग.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार प्रार्थित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 15 खदानें, लेकिन 11.89 हेक्टेयर है। जिसमें केवल विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार 'कोई क्लस्टर उस समय क्लस्टर जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच पूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।' अर्थात् क्लस्टर हेतु इंफॉर्मेटिव्ह मिनरल क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाली सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के द्वारा क्रमांक 149/क/खनि/ग.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एरोड्रम एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं क्षेत्र का विवरण** – यह सरकारी भूमि है, क्षेत्र की लंबित मत निपटान की गत्त है। क्षेत्र क्षेत्र 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/03/2008 से 12/03/2018 तक की अवधि हेतु की। तत्पश्चात् क्षेत्र क्षेत्र में 20 वर्षों की, दिनांक 13/03/2018 से 12/03/2038 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2014 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुड़ेला 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–कुड़ेला 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या संरक्षित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,300 टन, माईनेबल रिजर्व 8,300 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,728 टन है। क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7.88 वर्गमीटर है। क्षेत्र कायदे मेकुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। क्षेत्र क्षेत्र में कोयला स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्तमान प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	610
द्वितीय	620
तृतीय	630
चतुर्थ	630
पंचम	630

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवां	637
सातवां	645
आठवां	652
नवम	656
दशम	670

नोट: तालिका में उत्खनन के बाद के वर्षों को तात्पर्यकालीन किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के टैंकर के माध्यम से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 200 नग वृक्षारोपण माननीय से किया जाएगा।

13. माइनरी 220 मीटर दूर है। नदी का पानी खदान में जाने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही नदी के एच.एफ.एल. (High flood level) के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में अवलोकन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुछ क्षेत्र उपलब्ध है। उक्त उपलब्ध क्षेत्र को पुनःभरण कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। अतः समिति द्वारा उपलब्ध का सत्यापित कर, संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्देशित किया गया।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक परिचालित शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII(i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., दिल्ली क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा याचिका सन्दीप सिन्हा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2014 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदिका कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 148/क/खनि/ग.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 15 खदानें, क्षेत्रफल 11.88 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कुर्देना) का रकबा 0.34 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कुर्देना) को मिलाकर कुल रकबा 12.13 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल

लेखापरीक्षा 0 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल निर्दिष्ट होने के कारण यह प्रकरण 'बी' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) की संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा पुनर्वनीकरण आदि के लिए संशोधित उपायों सहित संचालन, संचालनालय, समिति तथा पर्यावरण, इकाई भवन, नया रायपुर अटल भवन, सिविल – रायपुर (छत्तीसगढ़) से अनापत्ति प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार किये उपरांत पर्यावरण मंत्रालय से प्रकरण 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना 2016 में प्रकाशित कंडीशंड एन्ड ओन रिकॉर्ड (टिप्पणी) सीए ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का कंडीशंड टिप्पणी (लीज सुपरवाई सहित) मीन लीज माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टिप्पणी के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit a readable copy of NOC of gram panchayat.

iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

v. Project proponent shall submit previous year production details along with dispatch number and date.

vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

vii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit the NOC from concerned department for water usage.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

x. Project proponent shall submit the details of HFL (High Flood Level) of Mahanadi river along with NOC from Water Resource Department.

xi. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/08/2021 की संख्या 113वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा कार्यसमिति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये नियमानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माईन लीज क्षेत्र के सभी ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण वायुमण्डल प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये अनुमित राशियों बाबत् संचालक, संभागीय वन अधिकारी तथा सहायक अभियंता, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संभागीय वन अधिकारी तथा सहायक अभियंता, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

4. मैसर्स मुईनुद्दीन खलील खटीब खानी (प्रो.– श्री अखिल राज निषाद), ग्राम–मुईना, तहसील व जिला–महासमुंद (सम्मिलित का नस्ती क्रमांक 1662)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 83316/2021, दिनांक 14/08/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित खलिन खटीब (लीज खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुईना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 333/2, कुल क्षेत्रफल–0.24 हेक्टेयर में है। खदान की आवंटित उत्पादन क्षमता–2020.25 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 373वीं बैठक दिनांक 31/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की आवश्यक पूरा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में जारी खलिन खदान खसरा क्रमांक 333/2, कुल क्षेत्रफल–0.44 हेक्टेयर, क्षमता–825.00 एम.टी.पी.ए. प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्देशन प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. जिलाधिकारी कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 29/05/2021 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016	158
2017	310
2018	470
2019	90
2020	95

iv. निर्धारित मानकानुसार पूरा रोपण नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुड़ेना का दिनांक 18/03/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **पर्यावरण योजना** – संशोधित प्लान (खदान प्लान एवं पर्यावरण हित हेतु संशोधित रोपण प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1722/क/खनि/ग.अ./2016 महासमुंद, दिनांक 27/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 15 खदानें, क्षेत्रफल 11.88 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें क्षेत्र विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (तथा संशोधित) में परिभाषित खनन्ट अनुसार "कोई खनन्ट उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच हुई उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् खनन्ट हेतु होलोडिमिक्स निर्धारण क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (खनन्ट में खदानों को जहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, गिरिजा, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि अधिसूचित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह सरकारी भूमि है, लीज की स्वीकृति ग्राम निस्तार के नाम पर है। लीज क्षेत्र 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 12/06/2001 से 10/06/2031 तक की अवधि हेतु दिया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुड़ेना 1 कि.मी. एवं समूह ग्राम–मुड़ेना 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 22.287 टन, माईनेबल रिजर्व 25.521 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 18.148 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1.758 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मेकुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की सम्भावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कोई स्थापित नहीं है एवं इसके स्थापन का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,974
द्वितीय	1,994
तृतीय	2,013
चतुर्थ	2,018
पंचम	2,020

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवां	1,934
सातवां	1,987
आठवां	2,068
नवमां	2,187
दशम	2,479

नोट: तालिका में दशमवर्ष के बाद के आंकड़े को सतम्भकीय किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के टैंकर के माध्यम से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में बफर और 7.5 मीटर की पट्टी में 450 नग वृक्षारोपण मानसून में किया जाएगा।

13. नजदीकी 250 मीटर दूर है। नदी का पानी खदान में आने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही नदी के एच.एफ.एल. (High flood level) के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुछ क्षेत्र उपलब्ध है। उक्त उपलब्ध क्षेत्र को पुनःभरण कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। अतः समिति द्वारा उपरोक्त का समावेश कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्देशित किया गया।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोसीजर हेतु मानक सर्वसम्मति शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., क्षेत्रीय पीठ, नई दिल्ली द्वारा मामले पालहेड़ विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रारंभिक दस्तावेज नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित क्षेत्रफल (खनि क्षेत्र), जिला-बलरामपुर के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 11.84 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (प्रान-मुर्रेना) का रकबा 0.44 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (प्रान-मुर्रेना) को मिलाकर कुल रकबा 12.13 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किए गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के प्रभावित उपायों (Remedial Measures) की संख्या में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये सम्मुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंदिरागांधी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यसूची के प्रकरण डी.1 कंटेन्सी का होने के कारण माता कारकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2015 में प्रकाशित कॉम्प्रेहेंसिव एन्वी. ऑफ सिचिंग (टीओआर) और ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोपोज्ड/एक्सटिंग्विशिंग माइनरल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉम्पोजिट कारकार ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 में वर्णित कोटी 1(ए) का कॉम्प्रेहेंसिव टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नोन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

iv. Project proponent shall submit previous year production details along with dispatch number and date.

v. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

vi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit the NOC from concerned department for water usage.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

ix. Project proponent shall submit the details of HFL (High Flood Level) of Mahanadi river along with NOC from Water Resource Department.

x. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/08/2021 की लोकल 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा गहरी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा कार्यसूची में समिति की अनुशंसा को संशोधन करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माइनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माइनिंग क्रियाकलापों के कारण

[illegible] अनुपालन निर्देशन हेतु आवश्यक उपाय तथा प्रतिवेदन आदि के लिये संयुक्त उपायुक्त [illegible] संभागायुक्त, संभागायुक्त, समिति तथा सचिवगण, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। पत्र की संभागायुक्त, संभागायुक्त, समिति तथा सचिवगण, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिखा जाए।

8. मेसर्स मुईना कलेर स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री अखिल खान निवास), ग्राम–मुईना, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1883)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 63330/2021, दिनांक 14/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित कलेर स्टोन (लीज क्षेत्रफल) खदान है। खदान ग्राम–मुईना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 330, कुल क्षेत्रफल–0.307 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता–1278.19 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 21/06/2021 द्वारा अनुशंसित हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 373वीं बैठक दिनांक 31/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की आवश्यक शुल्क, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परिचर्चा करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

i. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में नस्ती पत्रक खदान खसरा क्रमांक 330, कुल क्षेत्रफल–0.307 हेक्टेयर, क्षमता–511.28 एम.टी.पी.ए. प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संघर्षण निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 15/02/2017 को जारी की गई। उक्त स्वीकृति दिनांक 14/02/2022 तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 29/05/2021 के अनुसार निम्न वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्खनन (टन)
2016	117
2017	400
2018	370
2019	164
2020	230

iv. निर्धारित मानकानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उपखण्ड के संबंध में ग्राम पंचायत मुड़ेना का दिनांक 14/03/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **खनन योजना** – माइनिंग प्लान (स्थायी प्लान) उपलब्ध किया इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1721/क./खनि/न.क./2016 महासमुंद, दिनांक 27/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 180/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 15 खदानें, क्षेत्रफल 11.38 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें क्षेत्र निवासीय खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों से 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच पूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टों के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अतएव क्लस्टर हेतु इंफ्रास्ट्रक्चरल निवास क्षेत्र में निवासीय खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को सम्मिलित करते हुए तथा इस प्रकार सम्मिलित खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को क्लस्टर में खदानों को वहीं तक सम्मिलित किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) सम्मिलित किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 180/क/खनि/न.क./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 द्वारा खनि प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मजार, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है, लीज की अवधि तय नियम के साथ तय है। लीज क्षेत्र 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 06/10/2005 से 05/10/2035 तक की अवधि हेतु दिया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुड़ेना 1.8 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मुड़ेना 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अवस्थित सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय वन्यजीव नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली सेन्सिटिव एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 83,042 टन, माइनेबल रिजर्व 15,016 टन एवं सिलेबेल रिजर्व 12,206 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1.122 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मेकुअल विधि से खनन किया जाता है। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14 मीटर है। बेंच की लंबाई 15 मीटर एवं चौड़ाई 15 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में प्रकार स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,188
द्वितीय	1,348
तृतीय	1,286
चतुर्थ	1,297
पंचम	1,308

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवां	1,307
सातवां	1,309
आठवां	1,313
नौवां	1,315
दसवां	1,300

नोट: तालिका में उत्खनन के बाद के आंकड़े को संशोधनीय किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के टैंकर के माध्यम से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 200 पेड़ वृक्षारोपण मानसून में किया जाएगा।

13. खदान 200 मीटर दूर है। नदी का पानी खदान में आने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही नदी के उच्चतम स्तर (High flood level) के संबंध में जानकारी / प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुछ क्षेत्र उत्खनित है। उक्त उत्खनित क्षेत्र की पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। अतः समिति द्वारा उपरोक्त का सत्यापन कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्देशित किया गया।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीज क्षेत्र माईनिंग प्रोसेस्ड हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC grantee by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में ग्रीनबेल्ट विकसित किया जाना आवश्यक है।

iii. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सांसद माननीय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रोसिडिंग एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2014 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA, as well as for cluster situation where even it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 180/क/खनि/ग.स./2021 महासमुंद, दिनांक 01/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवंटित 19 खदानें, क्षेत्रफल 11.38 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (प्रा०–मुंहेना) को मिलाकर कुल रकबा 11.88 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में संचालित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी२' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये मंजूरित उपायों बाबत् संचालक, कार्यालय, चौपिसी तथा सचिव, इंदिरागांधी भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी२' श्रेणीवाले का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2016 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अनदर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लीज क्षेत्रफल सहित) माईन लीज माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:—

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

iv. Project proponent shall submit readable copy of lease agreement document.

v. Project proponent shall submit previous year production details along with dispatch number and date.

vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.

vii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit the NOC from concerned department for water usage.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

x. Project proponent shall submit the details of HFL (High Flood Level) of Mahanadi river along with NOC from Water Resource Department.

xi. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा विचार के निबंधन – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/06/2021 की संपन्न 11वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा समितिवार्ता में समिति की अनुशंसा को संज्ञान लेते हुये उपर्युक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (सहित सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि माइनिंग लीज क्षेत्र की सीमा और 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र में उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा फूगीटिव आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ शासन तथा रायपुर आटा नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को सब किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ शासन, तथा रायपुर आटा नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को सब किया जाए।

6. **मैसर्स बालोद क्लेज स्टोन माईन (प्रो.–श्री मनीष कुमार साहू), ग्राम–बालोद, तहसील–सिहावा, जिला–धमतरी (खनिजालय का पत्ती क्रमांक 806)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रकरण क्रमांक – एमएमडी/ सीजी/ एमआईएन/ 42791/2018 दिनांक 14/08/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। तत्पश्चात् में प्रकरण क्रमांक – एमएमडी/ सीजी/ एमआईएन/ 82810/ 2018 दिनांक 07/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का विवरण – यह प्रस्तावित क्लेज स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बालोद, तहसील–सिहावा, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 1312/1 एवं 1314/1, कुल क्षेत्रफल – 0.47 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित ताकनन क्षमता – 1,300.0 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2020 द्वारा प्रकरण के–1 कैटेगरी का होने से भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी, 2016 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) गौण खनिज माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 372वीं बैठक दिनांक 21/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष कुमार साहू, प्रोपराईटर तथा पर्यावरण सलाहकार मेसर्स कल्याणी टेक्नोक्रेट प्राईवेट लिमिटेड, पुणेवाले की ओर से श्री सुमेधा जैन विधिज्ञ कार्यालय के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्ती, प्रस्तुत जानकारी का आलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – खदान के संबंध में ग्राम पंचायत बालोद दिनांक 25/07/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **प्रस्तावित योजना** – माईनिंग प्लान (खदान योजना, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं बंदी कालीन योजना) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिकर्म), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1106–3/खनि./सीग–6/2019 रायपुर, दिनांक 08/08/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 88/खनि./ज.श./न.क./2020–21 धमतरी, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें, क्षेत्रफल 34.881 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 88/खनि./पर्यावरण/2020–21 धमतरी, दिनांक 27/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर,

सहित, मकान, अस्पताल, स्कूल, पुल, रेल, सार्वजनिक एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 288/खनि/ई निविदा/2018–19 गरियाबंद दिनांक 27/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् माननीय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 16/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 04/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), गरियाबंद के पत्र दिनांक 27/04/2018 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता श्री मनीष कुमार साहू, निवासी संतोषी नगर, रायपुर द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6–42/2012/12, दिनांक 26/06/2020 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला गरियाबंद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।**

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि की काश्तकार जाति के पास पट्टा है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /क्र.वि./अनापत्ति/6208 गरियाबंद, दिनांक 11/11/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 1.8 कि.मी. तथा राजस्व अभिलेख 80 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बारीन 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–बारीन 0.85 कि.मी., अस्पताल सिरपुरपार 3.8 कि.मी. एवं रेल स्टेशन 13.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.8 कि.मी. दूर है। सूखा नदी 3.9 कि.मी. एवं तालाब 0.125 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आर्द्रभूमि क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,12,800 टन प्राईमेबल रिजर्व 12,261 टन एवं रिमूवेबल रिजर्व 11,039 टन है। लीज की 1.5 मीटर मोटी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का संरक्षण 1818 मेट्रिक टन है। लीज्ड क्षेत्र मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज्ड क्षेत्र में

अवैध अवैधित नहीं है एवं इसकी खनन का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान की मिट्टी की गहराई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,771 घनमीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 10 वर्ष है। बैंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,274
द्वितीय	1,071
तृतीय	1,381
चतुर्थ	1,231
पंचम	1,296
छठवें	1,147
सातवें	1,264
आठवें	1,069
नौवें	713
दसवें	590

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डअप किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.54 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस आशय का ग्राम पंचायत का सहमति पत्र सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान से पक्की सड़क 10 मीटर की दूरी पर है। नियमानुसार सड़क से 50 मीटर की दूरी के क्षेत्रफल को गैर माईनिंग क्षेत्र (1,352 वर्गमीटर) चिन्हित किया गया है। उक्त क्षेत्र में ट्रीप सीडिंग को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े क्षेत्र में 321 पौधे तथा गैर माईनिंग क्षेत्र (1,352 वर्गमीटर) में 362 पौधे (कुल 713 पौधे) वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16.58	2%	0.33	Following activities at Government Primary School Tolangipara, Village – Basin	
			Rain Water Harvesting System	0.90
			Total	0.90

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के द्वारा बताया गया है कि कुल ऊपरी मिट्टी 8,777 घनमीटर उत्पन्न होगा। आवश्यकतानुसार ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (साईन बायाकी) क्षेत्र में 630 घनमीटर एवं गैर साईनिंग क्षेत्र में 3,720 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को एकत्र कर पुनर्उपयोग किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष ऊपरी मिट्टी को वहनीय प्राप्त भूमि पर संरक्षित रखने हेतु वहन प्रतिकारों से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान**– परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 45 खदानें आती है। वर्तमान में 9 खदानों को एस.ओ.आई. जारी की गई है, जिनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। शेष 37 खदानों को पूर्व में ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु कोई नहीं की जा रही है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित 9 खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है–

i. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड़ के उपरान्त धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 4 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 2,40,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

ii. ग्राम से पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 4 कि.मी. कम तक से कम दो कतार में वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 12,94,700/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी चार वर्षों तक रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,14,880/– व्यय किया जाएगा।

iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

iv. सड़कों का रखरखाव (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

v. पर्यावरणीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु आंतरिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा।

vi. उक्त कार्य हेतु प्रथम पांच वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना की गणना करते हुए अनुमानित राशि रूपये 53,08,450/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। उक्त हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

vii. मॉनिटरिंग हेतु 12 सदस्यों की मॉनिटरिंग समिति का गठन करना प्रस्तावित है।

20. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (तथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि कलक्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु कलक्टर में आने वाली समस्त खदानों को सम्मिलित करते हुये, कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंसेप्ट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

21. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 18/12/2019 से दिनांक 16/03/2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 3 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{10}$ 18.1 से 27.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{2.5}$ 42.2 से 57.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.2 से 9.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2m}$ 12.1 से 18.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परिवेशीय स्तर के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 41.6 डीबीए से 51.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 30.2 डीबीए से 33.2 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

22. लोक सुनवाई दिनांक 10/02/2021 प्रातः 12:00 बजे अटल नगर पंचायत भवन कनकोट, तहसील-तिल्दा, जिला-गरियाबंद में संपन्न हुई। लोक सुनवाई उपलब्धि सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 21/01/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

23. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. कारीन-कनकोट से कजीपल्लर खदान लगभग 30 वर्षों से संचालित होना बताया गया किन्तु इतने दिनों में खदान संचालन के पास का क्षेत्र का दोहन किया जाता रहा है। क्षेत्र में जो खदानें 30-40 फिट या उससे भी अधिक गहराई में अधिक रूप से संचालित हो रहे हैं, उन पर समीक्षा कार्यवाही किए जाने तथा उन खदानों को सामान्य द्वारा जल कर लोगों को खतरनाक घटना या उन खदानों को पाटकर उन पर पुनर्वास के लिये उपयोग किया जाए। खदान संचालकों के द्वारा जनमान की सुरक्षा के लिए रेलिंगिंग उपयोग किए जाने चाहिये। पर्यावरणीय मानदण्डों में रहते हुए खनन कार्य किया जाये एवं प्रशासन से अनुरोध है कि अधिक उत्खनन पर रोक लगाये।

ii. खदानों संचालकों द्वारा कजीपल्लर के परिवहन के लिए जंगल से लगे जाने वाले सड़कों का रख-रखाव किया जाए।

iii. स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाए।

अवैध घुसपैठ के कारण उत्पन्न गंभीर विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रबंधक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

i. जीरो क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। साथ ही 7.5 मीटर की परिधि एवं पहुंच मार्ग में पुनर्वनीकरण किया जायेगा। उपलब्धित खदान को नियमानुसार रख-रखाव किया जायेगा।

ii. सड़कों का रख-रखाव किया जाएगा तथा जल छिड़काव किया जाएगा। पहुंच मार्ग के किनारे पुनर्वनीकरण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

24. **माईनिंग कार्यचार प्लान**– खदान बंद करने के पूर्व निष्क्रिय खदान के भराव हेतु 10 मीटर की गहराई तक 8642 घनमीटर चलाई ऐश से एवं 5 मीटर की गहराई तक ओवर बर्डन/कवरी मिट्टी से भराव कर 383 नग पुनर्वनीकरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जनसुनवाई कलेक्टर (प्रस्तुत शपथ), जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 88/ख.नि./जा.ग./ग.के./2020-21 गरियाबंद, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवंटित 44 खदानें रकबा 34.661 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बारीन) का रकबा 0.47 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम- बारीन) को मिलाकर कुल रकबा 35.131 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे अधिक होने के कारण यह खदान श्रेणी-ए श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (समय संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलक्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय पटलों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु कलक्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंसेप्चुअल प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मनोज स्टोन माईन (प्रो.- श्री मनोज कुमार साहू) की ग्राम-बारीन, तहसील-देवभोग, जिला-गरियाबंद के खसरा क्रमांक 1212/1 एवं 1214/1 में स्थित मनोज स्टोन (चूना खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 0.47 हेक्टेयर, क्षमता – 1,360 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 8,777 घनमीटर की सीमा चट्टी 1616 घनमीटर एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी के भण्डारण हेतु वहन प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/08/2021 को संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा कार्यसूची में समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स पवेश स्टोन क्रशर (प्रो. – श्री सतीश कुमार साहू) की ग्राम–बरगीन, तहसील–रतिया, जिला–गरियाबंद के खसरा क्रमांक 1312/1 एवं 1314/1 में स्थित पवेश स्टोन (मीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 0.42 हेक्टेयर, क्षमता – 1,300 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया :–

"खदान बंद होने के उपरांत खदान के सभी तरफ वृक्षारोपण के साथ–साथ पूर्ति के बीच में आड़िया व घास लगाया जाये, जिससे पुनः अपरदन/भूमि क्षरण व सिल्टेशन को रोका जा सके"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

7. **मेसर्स बलवंता पवेश स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री तुलसी राम साहू), ग्राम–बलवंता, तहसील–रतिया, जिला–गरियाबंद (खनिजाधारित नस्ती क्रमांक 876)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रस्तावित नस्ती – एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 46208/2018 दिनांक 24/10/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रस्तावित नस्ती – एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 62960/ 2020, दिनांक 07/05/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित पवेश स्टोन (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बलवंता, तहसील–रतिया, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 16, कुल क्षेत्रफल – 0.43 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आंकलित उत्पादन क्षमता – 704.52 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 03/02/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. 2016 में प्रकाशित परिशिष्ट चार्ट अीक्ष निर्देश (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोपोजल/एक्टीविटीज रिलायसिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित कॉलमी 1(C) का परिशिष्ट टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोपोजल हेतु टीओआर जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 21/05/2021 द्वारा अनुपालन हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 372वीं बैठक दिनांक 31/05/2021:

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री तुलसी राम साहू, प्रोपराईटर तथा पर्यावरण कंसल्टेंट मेसर्स कंसाली नेचोरेटोरीज प्राईवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर की ओर से डॉ. मधुसूदन जैना विजिटिंग फाकल्टीज के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परिक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उपखण्ड के संबंध में ग्राम पंचायत बगवाड़ा दिनांक 14/07/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **प्रस्तावित योजना** – माईनिंग प्लान (खदान प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवम खदान कंजर्वेशन प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रकोष्ठ), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8807–08/खनि 02/मा.प्ला.अनुमोदन/ना.रा.02/2019 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 82/खनि./ना.रा./ना.अ./2020–21 गरियाबंद, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित 44 खदानें रकबा 34.721 हेक्टेयर है।

5. **300 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 752/खनि2/ना.अ./2019 गरियाबंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 300 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मार्केट, कब्रस्तान, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवंटन की नस्ती है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 244/खनि/ई निविदा/2018–19 गरियाबंद दिनांक 27/04/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 20/2020 द्वारा जारी खनिज आदेश दिनांक 04/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), गरियाबंद के पत्र दिनांक 27/04/2019 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता श्री सुलसी राम साहू, ग्राम–बगवाड़ा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6–42/2012/12, दिनांक 26/08/2020 के परिपत्र में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला गरियाबंद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** लेख बताया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /खनि./अनापत्ति/8438 गरियाबंद दिनांक 30/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा वन्यप्राणी अभयारण्य का कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बरगांव 0.46 कि.मी., समूह ग्राम–बरगांव 0.75 कि.मी. एवं अस्पताल सिमेंसर 8.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है। मुख्य नदी 2.6 कि.मी. एवं तालाब 0.58 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – सिद्धांतिकता रिजर्व अनुमान 12,240 टन, साइंटिफिक रिजर्व अनुमान 3,477 टन एवं सिद्धांतिक रिजर्व अनुमान 3,303 टन है। सीम की 7.5 मीटर चौड़ी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,152 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। सीम क्षेत्र में जल स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। छत्ती निर्मुक्ति की चौड़ाई 5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,312 घनमीटर है। क्षेत्र की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की स्थापित आयु 5 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	704
द्वितीय	691
तृतीय	883
चतुर्थ	477
पंचम	568

नोट: तालिका में उत्खनन के बाद के अवशेष का समायोजित किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.75 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत का सहमति पत्र सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – सीम क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 228 पौधे तथा गैर साइलिंग क्षेत्र (1852 वर्गमीटर) में 656 पौधे (कुल 884 पौधे) वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु राशि के मध्य विस्तार से वर्षवार प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)

10.73	2%	0.21	Following activities at Government Primary School, **Village – Barbhata**	
			Potable Drinking water Facility with 5 years AMC	0.25
			Plantation	0.12
			Total	**0.38**

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उपरी सिरे में खदान की चौड़ाई कम होने के कारण उत्खनन किया जाना संभव नहीं है। अतः कुल 3.36 हेक्टेयर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र चिन्हित किया गया है। उक्त क्षेत्र में ठोस मलिन को एकत्र कर पुनर्उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के द्वारा बताया गया है कि कुल डंपी मिट्टी 3,312 घनमीटर उत्पन्न होगा। आवश्यकतानुसार डंपी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउन्ड्री) एवं गैर माईनिंग जोन में 2,360 घनमीटर डंपी मिट्टी को 0.5 मीटर से 1 मीटर ऊंचाई तक एकत्र कर पुनर्उपयोग किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष डंपी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि पर संग्रहित रखने हेतु खान परिचालनों से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1.023 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें से 7.60 हेक्टेयर क्षेत्र 5 मीटर गहराई तक उपलब्ध है। उपलब्ध पूर्व से उपलब्ध क्षेत्र को पुनर्भरण कर पुनर्उपयोग कर कार्य किया जाएगा। अतः उपलब्ध का सम्पोषण करते हुए अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीज क्षेत्र माईनिंग प्रोसेसिंग हेतु घनक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII(i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र की अंदर 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **खदानों हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान**– परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्षेत्रान्तर्गत कुल 46 खदानें आती है। वर्तमान में 8 खदानों को एनओआई आवंटित की गई है, जिनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। शेष 37 खदानों की पूर्ण रूप से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु भर्ती नहीं की जा रही है। अतः क्षेत्रान्तर्गत में सम्मिलित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित 8 खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के संबंध निम्न शर्तें प्रस्तावित है–

i. धूलकण नियंत्रण हेतु परिसरों के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड़ से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव 4 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 2,40,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

ii. मार्ग के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 4 कि.मी. ऊन तक के जल की बचाव के प्रावधान हेतु अनुमानित राशि 12,84,760/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी चार वर्षों तक रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,14,850/- व्यय किया जाएगा।

iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

iv. सड़कों का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

v. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा।

vi. उक्त कार्य हेतु प्रथम पांच वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना की गणना करते हुए अनुमानित राशि करोड़ 33,08,450/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। उक्त हेतु समय पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

vii. मॉनिटरिंग हेतु 12 सदस्यों की मॉनिटरिंग समिति का गठन करना प्रस्तावित है।

20. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में स्थापित सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की सिलसिलेवार एवं भौतिक सहमतियां सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की आवश्यक गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को सम्मिलित करते हुये क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौगोलिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से समुचित कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

21. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 08/12/2018 से दिनांक 10/03/2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के क्षेत्रांतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 2 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 18.1 से 27.4 माइक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42.2 से 87.3 माइक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8.2 से 9.4 माइक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2}$ 12.1 से 18.4 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो निर्धारित मानक के अनुकूल है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता मानकों के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 41.6 डीबीए से 51.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 30.2 डीबीए से 33.2 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुकूल है।

22. लोक सुनवाई दिनांक 10/02/2021 प्रातः 12:00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन कन्धोरा, तहसील–बलौदा, जिला–गरियाबंद में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज मेसर्स सर्वेश, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भवन रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 31/03/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

23. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

i. खनिज–कन्धोरा में कार्यरत खदानें लगभग 50 वर्षों से संचालित होना बताया गया किन्तु इनके लिये किसी भी खदान संचालन के नाम पर क्षेत्र का दोहन किया जाता रहा है। क्षेत्र में जो खदानें 50–60 मिटर या उससे भी अधिक गहराई में अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, उन पर लगीत कार्यवाही किए जाने तथा उन खदानों को सील द्वारा बंद कर लोगों को भयावह पहाड़ या उन खदानों को फाटककर उन पर वृक्षारोपण के लिये उपयोग किया जाए। खदान संचालकों के द्वारा खदान की सुरक्षा के लिए रेलिंगिंग लगाए किए जाने चाहिये। पर्यावरणीय मानदण्डों में रहते हुए खनन कार्य किया जाने पर प्रशासन से अनुरोध है कि अवैध उत्खनन पर रोक लगावें।

ii. खदानें संचालकों द्वारा खनिजों के परिवहन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले सड़कों का रख–रखाव किया जाए।

iii. स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. लीज क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। मात्र की 7.5 मीटर की चौड़ाई एवं पहुंच मार्ग से वृक्षारोपण किया जायेगा। आवश्यक खदान के नियमानुसार रख–रखाव किया जायेगा।

ii. सड़कों का रख–रखाव किया जाएगा तथा जल छिड़काव किया जाएगा। पहुंच मार्ग के किनारे वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी

24. **माईनिंग क्लोजर प्लान–** खदान बंद करने के पूर्व निष्क्रिय खदान के भराव हेतु 7 मीटर की गहराई तक 1,884 घनमीटर खाली ऐरा से एवं 8 मीटर की गहराई तक ओवर बर्डन/खाली मिट्टी से भराव कर पेड़ का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु प्रारूप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 83/ख.नि./ख.ख./ग.क./2020-21 गरियाबंद, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 34.721 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बलवाटा) का रकबा 0.43 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बलवाटा) की निलंबन कुल रकबा 35.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे अधिक होने के कारण यह खदान डी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्वारी में आने वाली खदानों की संचालन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्वारी में आने वाली समस्त खदानों को सम्मिलित करते हुये, क्वारी हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स बलवाटा फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.-श्री तुलसी राम यदु) की ग्राम-बलवाटा, तहसील-राजिम, जिला-गरियाबंद के खसरा क्रमांक 15 में स्थित फ्लेग स्टोन (लीज खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.43 हेक्टेयर, क्रमांक - 704 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. राजस्व प्राप्त करने के पूर्व आवेदक द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध गिट्टी 3,512 घनमीटर को सीमा पट्टी 1,155 घनमीटर एवं वैध माइनिंग क्षेत्र में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष गिट्टी के भण्डारण हेतु खान अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

5. 7.5 मीटर के सीमा पट्टी में अवस्थित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनर्वनस्पत किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/08/2021 को संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा चर्चा का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक - मेसर्स बलवाटा फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.-श्री तुलसी राम यदु) की ग्राम-बलवाटा, तहसील-राजिम, जिला-गरियाबंद के खसरा क्रमांक 15 में स्थित फ्लेग स्टोन (लीज खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.43 हेक्टेयर, क्रमांक - 704 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-

"खदान बंद होने के उपरांत खदान के चारों तरफ बुहारीकरण के साथ-साथ पूर्ण क्षेत्र में क्रांकिट व पाल लगाया जाये, जिससे पृष्ठ अपवाह/भूमि क्षरण व सिल्टेशन को रोका जा सके"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. **मैसर्स बलसाना स्टोन स्टोन माईन (प्रो.– श्री आनन्द यदु), ग्राम–बलसाना, तहसील–बलौदा, जिला–गरियाबंद (खनिपटा का नवमी क्रमांक 880)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एमएमईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45232/2019 दिनांक 24/10/2019 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एमएमईए/ सीजी/ एमआईएन/ 82706/ 2020, दिनांक 07/05/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का विवरण – यह प्रस्तावित भवन स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बलसाना, तहसील–बलौदा, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 4/1, कुल क्षेत्रफल – 1.38 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आंकलित उत्खनन क्षमता – 19887.38 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2020 द्वारा प्रकरण की-1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिलेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं एनवायरमेंट अमेण्डमेंट ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित शेनी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) लॉन ऑफ माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की प्रथमी बैठक दिनांक 31/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आनन्द यदु, प्रोपराईटर तथा पर्यावरण सलाहकार मैसर्स कन्सल्टी लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड, कुर्नेलार की ओर से श्री सतुलित जैन विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **खान संचालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तावक के संबंध में खान संचालक, बलौदा का दिनांक 14/07/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान (क्वारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8801–02/खनि 02/मा.ला.अनुमोदन/न.क.02/2018 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 70/खनि/ज.श./न.क./2020-21 गरियाबंद, दिनांक 31/05/2021 के अनुसार आंकलित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें लगभग 33.730 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 708/खनि/न.क.

/2019 गरिवाबंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, धर्मशाला, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एस.डी.आई. कंपनी विवरण** –एस.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–गरियाबंद के प्रमाण क्रमांक 232/खनि/ई निविदा/2018–19 गरियाबंद दिनांक 27/04/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक की। एस.डी.आई. की वैधता वृद्धि संबंधा पुष्प न्यायालय संयोजक मंत्रिमंडल तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 18/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 04/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), गरियाबंद के पत्र दिनांक 27/04/2019 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता श्री आनन्द बंधु, निवासी ग्राम बारीत, विकासखण्ड छिपलीपदर जिला गरियाबंद द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6–42/2012/12, दिनांक 26/06/2020 के परिपेक्ष में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत् उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त कार्यवाही प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला गरियाबंद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि की लेखापाल बंधु के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि मालिक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के प्रमाण क्रमांक /वनवि./अनापत्ति/6338 गरियाबंद दिनांक 30/11/2019 की जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा वनमण्डल क्षेत्रफल 81 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बलदाना 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–बलदाना 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल छिपलीपदर 5.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.7 कि.मी. दूर है। सूखा नदी 3.7 कि.मी. एवं तालाब 0.25 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 3,28,400 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 1,58,288 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 1,51,288 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के

लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2.815 हेक्टेयर है। क्षेत्र का खनन नियमानुसार विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में जल स्तर स्थापित नहीं है एवं इसकी आवश्यकता का प्रावधान नहीं किया गया है। अपनी मिट्टी की चौड़ाई 5 मीटर है तथा कुल मात्रा 44,114 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	15,120
द्वितीय	15,987
तृतीय	15,280
चतुर्थ	14,872
पंचम	15,280
छठवें	14,603
सातवें	15,387
आठवें	14,692
नौवें	15,398
दसवें	15,027

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का पूर्णांकीकरण किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 0.46 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर संचालक द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् टैंकर संचालक का सहमति पत्र सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े क्षेत्र में 702 पौधे वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
25.41	2%	0.51	Following activities at Government Middle School, **Village – Barbhata**	
			Rain Water Harvesting	1.05
			Total	**1.05**

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि कुल अपनी मिट्टी 44,114 घनमीटर अर्जित होगा। आवश्यकतानुसार अपनी मिट्टी को 7.5 मीटर (पर्याप्त बफरजोन) में 2,500 घनमीटर अपनी मिट्टी को एकत्र कर वृक्षारोपण

किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष कच्ची मिट्टी की सहायता प्राप्त भूमि पर संरक्षित रखने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा।

17. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वानस्पतिक** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के पानी ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,815 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 522 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर गहराई तक उत्खनित है। उपरोक्त पूर्व के उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। अतः उपरोक्त का सम्मिलित करते हुए अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

18. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन ऑफ माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु सामान्य पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त सामान्य शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान**– परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 40 खदानें आती है। क्लस्टर में 8 खदानों की एम.ओ.आई. जारी की गई है, जिनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। शेष 32 खदानों की पूर्व में ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु अभि नहीं ली जा रही है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित 8 खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

i. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड के आसपास धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 4 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 2,40,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

ii. खान के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 4 कि.मी. वन तक के कम से कम दो कतार में वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 12,94,750/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी चार वर्षों तक रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,14,800/– व्यय किया जाएगा।

iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

iv. सड़कों का रखरखाव (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

v. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग करने (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा।

vii. उक्त कार्य हेतु प्रथम पांच वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना की गणना करते हुए अनुमानित राशि लगभग 53,06,450/- रुपये प्रस्तावित किया गया है। उक्त हेतु प्रारूप पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। क्रीपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस प्लान के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

viii. मॉनिटरिंग हेतु 12 सदस्यों की मॉनिटरिंग समिति का गठन करना प्रस्तावित है।

20. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (तथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु क्रीपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में स्थित सभी खदानों द्वारा खनन के उपरान्त रिक्त खदानों की देखरेख हेतु खदानों की स्थिति एवं भौतिक सम्पन्नता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय संदर्भों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की देखरेख हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को रेखांकित करते हुए, क्लस्टर हेतु क्रीपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, खनिकर्म तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के द्वारा ही उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

21. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 16/12/2019 से दिनांक 15/03/2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थलों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थलों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 3 स्थलों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 18.1 से 27.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42.2 से 57.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 5.2 से 9.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2}$ 10.1 से 18.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के अलावा जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुरूप है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 41.6 डीबीए से 51.8 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 30.2 डीबीए से 33.2 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

22. लोक सुनवाई दिनांक 10/02/2021 प्रातः 12:00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन कनकदा, तहसील-गरियाबंद, जिला-गरियाबंद में संपन्न हुई। लोक सुनवाई उपरांत सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 31/03/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

23. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-**

i. खनिज-बलुआ में खनिजयुक्त खदानें लगभग 50 वर्षों से संचालित होना बताया गया किन्तु इतने दिनों में खदान संचालन के साथ पर्यावरण का उल्लंघन किया जाता रहा है। क्षेत्र में जो खदानें 30-50 फिट या उससे भी अधिक गहराई में अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, उन पर तत्काल कार्यवाही किए जाने तथा उन खदानों को सरकार द्वारा जब्त कर जोगी को सामग्री सरकार या उन खदानों को पंचायत उन पर पुनर्वनरोपण के लिये उपयोग किया जाए। खदान संचालकों के द्वारा उत्खनन की सुरक्षा के लिए ऐहतियातन उपाय किए जाने चाहिये। पर्यावरणीय मापदण्डों में रहते हुए खनन कार्य किया जाने एवं प्रशासन से अनुरोध है कि अवैध उत्खनन पर रोक लगाये।

ii. खदानों संचालकों द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण के लिए उपबंधों में बताये जाने वाले मानकों का पालन-रखरखाव किया जाए।

iii. स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाए।

तीव्र सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

i. लीज क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जायेगी। सभी को 7.5 मीटर की परिधि एवं पहुंच मार्ग में पुनर्वनरोपण किया जायेगा। प्रस्तावित खदान को नियमानुसार रख-रखाव किया जायेगा।

ii. सड़कों का रख-रखाव किया जाएगा तथा धूल नियंत्रण किया जाएगा। पहुंच मार्ग के किनारे पुनर्वनरोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

24. **माईनिंग क्लोजर प्लान**- खदान बंद करने के पूर्व निश्चित खदान के भराव हेतु 35 मीटर की गहराई तक 88,262 घनमीटर चौड़ाई ऐज से एवं 5 मीटर की गहराई तक ओवर बर्डन/ऊपरी मिट्टी से भराव कर 2.448 मा. पुनर्वनरोपण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु सभी पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रतलाम के ज्ञापन क्रमांक 75/खनि./ख.म./न.अ./2020-21 परिपत्र, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 33.784 हेक्टेयर है। अनेक्चर खदान (ग्राम-बलवाड़ा) का रकबा 1.36 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बलवाड़ा) को मिलाकर कुल रकबा 35.152 हेक्टेयर है। खदान की सीमा के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे अधिक होने के कारण यह खदान श्रेणी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (समय समयांतर) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय मापदंडों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को सम्मिलित करते हुये, क्लस्टर हेतु सीमित इन्फ्रास्ट्रक्चर कंसेप्ट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय,

कमिश्नर तथा सचिव, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के मार्ग से अनुकूल कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बलराम ग्रेनेट स्टोन माईन (प्रो.–श्री आनंद साहू), ग्राम–बलरामपुर, तहसील–सिहावा, जिला–गरियाबंद के खसरा क्रमांक 4/1, में स्थित ग्रेनेट स्टोन (गैर खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1.03 हेक्टेयर, क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. खनिज ब्लॉक करने के पूर्व आवेदक द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 44,114 घनमीटर की सीमा मिट्टी 3,818 घनमीटर एवं गैर चट्टानिय क्षेत्र में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी के भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

5. 7.5 मीटर के सीमा चट्टानी में प्रस्तावित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनर्स्थापित किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/08/2021 की संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए आवेदक – मेसर्स बलराम ग्रेनेट स्टोन माईन (प्रो.–श्री आनंद साहू), ग्राम–बलरामपुर, तहसील–सिहावा, जिला–गरियाबंद के खसरा क्रमांक 4/1, में स्थित ग्रेनेट स्टोन (गैर खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1.03 हेक्टेयर, क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"खदान बंद होने के उपरांत खदान के पानी तरण पुष्करिणी के साथ–साथ पूर्व के क्षेत्र में प्राकृतिक वन लगाया जावे, जिससे पुनः अपवाहन/भूमि क्षरण व सिल्टेशन को रोका जा सके"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. मेसर्स बलराम ग्रेनेट स्टोन माईन (प्रो.–श्री समीर साहू), ग्राम–बलरामपुर, तहसील–सिहावा, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 884)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45280/2019 दिनांक 24/10/2019 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। तत्पश्चात में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 82087/ 2020, दिनांक 07/05/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का विवरण – यह प्रस्तावित ग्रेनेट स्टोन (गैर खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बलरामपुर, तहसील–सिहावा, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक क्र. 81, 124 का कुल क्षेत्रफल – 0.80 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता – 5848.8 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 03/02/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2018 में प्रकाशित कार्यालय ज्ञापन [illegible] (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.

एम.पी. लिमिटेड और प्रोजेक्ट्स/एसोसिएटेड लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का सीएफई लिखित (कोर मुनाफा सहित) मैन्स कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु लिखित जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 31/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सचिन यादु, प्रोपराईटर तथा पर्यावरण सलाहकार मेसर्स कल्याणी लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर की ओर से डॉ. मधुमिता जेना विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा गत्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बलपाटा का दिनांक 13/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान (खाली प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं खाली कार्यालय प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो राज्य सर्वेक्षक (खनिज शाखा), सर्वेक्षणालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के द्वारा क्रमांक 8810-11/खनि 02/म.उ.अनुमोदन/ग.क.02/2019 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के द्वारा क्रमांक 87/खनि/ख.स./ग.क./2020–21 गरियाबंद, दिनांक 31/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आच्छादित 44 खदानें रकबा 34.261 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के द्वारा क्रमांक 708/खनि/ग.क./2018 गरियाबंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मजार, अस्पताल, स्कूल, पुल, कोई एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एन.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एन.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–गरियाबंद के द्वारा क्रमांक 234/खनि/ई निविदा/2018–19 गरियाबंद दिनांक 27/04/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी मियाद जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। एन.ओ.आई. की मियाद वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 34/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 04/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"निर्णय के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), गरियाबंद के पत्र दिनांक 27/04/2019 द्वारा जारी आवंटन पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता श्री सचिन यादु, निवासी ग्राम बलपाटा, विकासखण्ड**

निर्णयवार, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में उत्तराखण्ड शासन, खनिज शाखा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6–42/2012/12, दिनांक 26/06/2020 के परिपत्र में उत्तराखण्ड मीनर खनिज नियम, 2016 के नियम 42(5) के तहत उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि की वास्तुस्थिति वन विभाग के नाम पर है। उपलब्धता हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनसंरक्षक, गढ़वाल वनमण्डल, पौड़ी, जिला–पौड़ी गढ़वाल के ज्ञापन क्रमांक /ग.वि. /अनापत्ति/8334 पौड़ी गढ़वाल दिनांक 20/11/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा कार्यालयवार अनापत्ति 61 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बलवाड़ा 0.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–बलवाड़ा 0.61 कि.मी. एवं अस्पताल किरीखेत 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.4 कि.मी. दूर है। सुखा नदी 2.5 कि.मी. एवं तालाब 0.3 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आर्कियोलॉजिकल साइट, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संभाव्य एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व अनुमान 206.400 टन, माइनेबल रिजर्व अनुमान 86,221 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व अनुमान 35,260 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3.647 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14 मीटर है। लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है एवं इसकी भराव का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जमीनी निकासी की गहराई 4 मीटर है तथा कुल मात्रा 16,587 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की अनुमानित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,472
द्वितीय	5,700
तृतीय	5,929
चतुर्थ	5,417
पंचम	5,711
छठवें	5,917

आठवें	5.759
नौवें	5.472
दसवें	5.282
ग्यारहवें	4.984

नोटः- तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.87 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का सहमति पत्र सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े क्षेत्र में 667 नग वृक्षारोपण प्रस्ताव वर्ष में ही किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टानों में प्रावधान** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चट्टानों में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.28	2%	0.37	Following activities at Government Middle School, Village – Barbhata	
			Potable Drinking water Facility with 5 years AMC	0.25
			Running water arrangement for toilets	0.15
			Plantation	0.06
			Total	0.46

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के द्वारा बताया गया है कि कुल खाली भिट्टी 16.387 घनमीटर उत्पन्न होगा। आवश्यकतानुसार खाली भिट्टी को 7.5 मीटर (चौड़ाई बराबरी) में 1.300 घनमीटर खाली भिट्टी को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष खाली भिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि पर संरक्षित रखने हेतु वहन प्रतिभूति से अनुपति उपरांत संग्रहित किया जायेगा।

18. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेकेनिज्म प्लान**– परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 45 खदानें आती है। वर्तमान में 8 खदानों की एल.ओ.आई. जारी की गई है जिनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। शेष 37 खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेकेनिज्म प्लान तैयार किये जाने हेतु अभि नहीं की जा रही है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु

आपदा 8 खदानों द्वारा ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

i. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव 4 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 2,40,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

ii. मार्ग के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 4 कि.मी. कम तक से कम दो कतार में वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 12,94,750/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगलाँ चार वर्षों तक रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,14,560/- व्यय किया जाएगा।

iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

iv. सड़कों का रखरखाव (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

v. परिवेशीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा।

vi. रक्षा कार्य हेतु प्रथम पांच वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना को गणना करते हुए अनुमानित राशि रूपये 53,08,450/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। रक्षा हेतु वनस्पति पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

vii. मॉनिटरिंग हेतु 12 लोगों की मॉनिटरिंग समिति का गठन करना प्रस्तावित है।

18. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु मंत्रालय, कार्यालयालय, समिति तथा सचिवालय, इंदिरावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

20. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 16/12/2019 से दिनांक 15/03/2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 2 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. परिवेशीय परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 19.1 से 27.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42.2 से 57.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 5.2 से 9.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2\,ppb}$ 10.1 से 18.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो निर्धारित मानक के अनुकूल है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल नमूनों की गुणवत्ता मानकीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 41.6 डीबीए से 51.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 30.2 डीबीए से 38.2 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुकूल है।

21. लोक सुनवाई दिनांक 10/03/2021 प्रातः 12:00 बजे ग्राम पंचायत भटनेर बनगांव, तहसील–रतिन, जिला–सीकर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई पर्यावरण मंडल समिति, प्रतिष्ठानम् पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया सम्पुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 31/03/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

22. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. बालीन–बनगांव से भवीचपुर खदाने लगभग 50 वर्षों से संचालित होना बताया गया किन्तु इतने दिनों से खदान संचालक के नाम पर क्षेत्र का दोहन किया जाता रहा है। क्षेत्र में जो खदाने 50–60 फिट या उससे भी अधिक गहराई में अवैध रूप से संचालित हो रही है, उन पर त्वरित कार्यवाही किए जाने तथा उन खदानों को सरकार द्वारा जब्त कर लोगों को गहरी खदान का उन खदानों को काटकर उन पर वृक्षारोपण के लिये उपयोग किया जाए। खदान संचालकों के द्वारा जनमन की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक उपाय किए जाने चाहिये। पर्यावरणीय मापदण्डों में रहते हुए खनन कार्य किया जाये एवं प्रशासन से अनुरोध है कि अवैध उत्खनन पर रोक लगाये।

ii. खदानों संचालकों द्वारा भवीचपुर के परिवहन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले सड़कों का रख–रखाव किया जाए।

iii. स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. लीज क्षेत्र के चारों ओर घेरिंग की जाएगी। साथ ही 7.5 मीटर की चौड़ाई एवं पहुंच मार्ग में वृक्षारोपण किया जायेगा। प्रस्तावित खदान की नियमानुसार रख–रखाव किया जायेगा।

ii. सड़कों का रख–रखाव किया जाएगा तथा जल छिड़काव किया जाएगा। पहुंच मार्ग के किनारे वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

23. **माईनिंग क्लोजर प्लान:–** खदान बंद करने के पूर्व निश्चित खदान के भराव हेतु 10 मीटर की गहराई तक 31,520 घनमीटर खनिज रेत से एवं 6 मीटर की गहराई तक ओवर बर्डन/खनी मिट्टी के भराव कर 1,266 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु प्रावधान कर प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 87/ख.नि./ग.स./गा.क./2020-21 गरियाबंद, दिनांक 31/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 34.281 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बरमतरा) का रकबा 0.88 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बरमतरा) को मिलाकर कुल रकबा 35.152 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे अधिक होने के कारण यह खदान डी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (तथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार लागत में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु लागत में आने वाली समस्त खदानों को सम्मिलित करते हुये क्षेत्रगत हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, गतिविधि तथा खनिकर्म, इन्फ्रास्ट्रक्चर भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के माध्यम से एमपुका कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स बरमतरा बालेश स्टोन क्रेशर (प्रो.- श्री वसीर खट्टू), की ग्राम-बरमतरा, तहसील-राजिम, जिला-गरियाबंद के खसरा क्रमांक 80, 81, एवं 82, में स्थित बालेश स्टोन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.88 हेक्टेयर, क्षमता - 5,016 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 16,367 घनमीटर को सीमा पट्टी 3,447 घनमीटर एवं वैन लाईनिंग क्षेत्र में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी के भण्डारण हेतु वन प्रक्षेत्र अधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/08/2021 को संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा कार्यालयीन से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक - मेसर्स बरमतरा बालेश स्टोन क्रेशर (प्रो.- श्री वसीर खट्टू), की ग्राम-बरमतरा, तहसील-राजिम, जिला-गरियाबंद के खसरा क्रमांक 80, 81, एवं 82, में स्थित बालेश स्टोन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.88 हेक्टेयर, क्षमता - 5,016 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-

"खदान बंद होने के उपरांत खदान के सभी तरफ पुनर्वनीकरण के साथ-साथ पूर्व के क्षेत्र में ब्रीडिंग के पास लगाया जाये, जिससे कुआ अवतरन/भूमि कटाव व सिल्टेशन को रोका जा सके"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

10. मैसर्स बासीन फ्लेग स्टोन माईन (प्रो.–श्री फकीरचंद साहू), ग्राम–बासीन, तहसील–नांदेल, जिला–गरियाबंद (खनिजालय का नस्ती क्रमांक 881)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रस्तावित नम्बर – एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40238/2018 दिनांक 24/10/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। संशोधन में प्रस्तावित नम्बर – एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 60428/ 2020, दिनांक 12/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गैर धात्विक) खदान है। खदान ग्राम–बासीन, तहसील–नांदेल, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 1462/1 एवं 1465 कुल क्षेत्रफल – 5.00 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता – 3474.73 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 03/02/2020 द्वारा प्रकरण बी-1 केटेगरी का होने से भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना 2006 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अनदर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित केटेगरी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (गैर सुनवाई सहित) गैर कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 373वीं बैठक दिनांक 31/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री फकीरचंद साहू, प्रोपराईटर तथा पर्यावरण सलाहकार मैसर्स कालाहारी जियोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड, मुंबाई की ओर से श्री मनुमीत जैन सिविल कन्सल्टेंट के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं विचार करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्रामवासियों के संबंध में ग्राम पंचायत बासीन का दिनांक 26/09/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **प्रस्तावित योजना** – माईनिंग प्लान (स्टाटी प्लान, इन्क्रीमेन्टल सेलेक्शन प्लान एवं स्टाटी कलेक्शन प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8604–08/खनि 02/भू.ज.अनुमोदन/न.क.03/2018 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 86/खनि/ज.श./न.क./2020-21 गरियाबंद, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 34.271 हेक्टेयर है।
5. **300 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 700/खनि2/न.क.

/2019 परिपत्र, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, गिरिजा, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं अन्य आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

8. **भूमि एवं एन.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवंटक के नाम पर है, जिसमें एन.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–पन्नाकांत के द्वारा क्रमांक 242/खनि/ई निविदा/2018–19 परिपत्र दिनांक 27/04/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। एन.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् चन्द्रशेखर सचालक मैसर्स [illegible] तथा [illegible] तथा समूह अटल चन्द्र के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 23/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 04/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), परिपत्रक के पत्र दिनांक 27/04/2019 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता श्री कमलेन्द्र मधु, निवासी ग्राम [illegible], जिला पन्नाकांत द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6–42/2012/12, दिनांक 26/08/2020 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अग्रिमित अनुशंसा प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला पन्नाकांत को अग्रसारित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपसंचालक, परिपत्रक, वनमण्डल परिपत्रक, जिला–परिपत्रक के द्वारा क्रमांक /वन/ /अनापत्ति/6344 परिपत्रक दिनांक 20/11/2019 की जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र एवं भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तथा अनारक्षित अनारक्षण 50 कि.मी. की दूरी पर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बारीन 0.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–बलदाऊ 0.80 कि.मी. एवं अस्पताल बारीन 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.55 कि.मी. दूर है। पुल नहीं 4.1 कि.मी. एवं तालाब 0.48 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संचालन एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व अनुमानित 2,11,200 टन, माइनेबल रिजर्व 34,740 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 23,023 टन है। सीम की 7.5 मीटर मोटी सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3.878 कमीटर है। ओपन कास्ट मेकुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। सीम क्षेत्र में अन्तर स्थापित नहीं है एवं इसलिये उत्खनन का प्रस्ताव नहीं किया गया है। उत्खनी

मिट्टी की गहराई 6 मीटर है तथा कुल मात्रा 21,782 घनमीटर है। क्षेत्र की लम्बाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,420
द्वितीय	3,192
तृतीय	3,443
चतुर्थ	3,167
पंचम	3,388
छठवें	3,283
सातवें	3,440
आठवें	3,283
नौवें	3,476
दसवें	2,934

नोट: तालिका में उत्खनन के बाद के अंतरे का सरलीकरण किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.84 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत का सहमति पत्र सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **पृष्ठारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 274 पौधे पृष्ठारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विवरण के वर्षवार निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
21.19	2%	0.43	Following activities at Government Primary School Ravendhara, Village – Basin	
			Rain Water Harvesting System	0.71
			Plantation	0.10
			Total	0.81

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुपालन के द्वारा बताया गया है कि कुल अपशिष्ट मिट्टी 21,782 घनमीटर अपेक्षित होगा। आवश्यकतानुसार अपशिष्ट मिट्टी को 7.5 मीटर (साईन बाउण्ड्री) से 1,800 घनमीटर अपशिष्ट मिट्टी को एकत्र कर पृष्ठारोपण किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष अपशिष्ट मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि पर संरक्षित रखने हेतु स्थान प्राधिकारी से अनुमति उपरांत भराव किया जायेगा।

17. क्लस्टर हेतु बॉक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान– परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 44 खदानें आती हैं। कमिटी में 8 खदानों की ए.सी.आई. जारी की गई है, जिनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। शेष 37 खदानों की पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा बॉक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु कमिटी नहीं की जा रही है। अतः क्लस्टर में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित 8 खदानों द्वारा बॉक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। बॉक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

i. धूलकण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एरीया रोड में उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 4 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 2,40,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

ii. गत्ता से पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 4 कि.मी. वन तक के वन में वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 12,34,750/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी चार वर्षों तक रख–रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,14,850/– व्यय किया जाएगा।

iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

iv. सड़कों का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

v. पर्यावरणीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा।

vi. उक्त कार्य हेतु प्रथम पांच वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना की गणना करते हुए अनुमानित राशि रुपये 55,08,450/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। उक्त हेतु वाध्य पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। बॉक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

vii. मॉनिटरिंग हेतु 02 लोगों की मॉनिटरिंग समिति का गठन करना प्रस्तावित है।

18. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (समय समयानुसार) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु बॉक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्पादन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु बॉक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के द्वारा से पत्रपुष्ट कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

19. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण–

i. जल एवं वायु आदि मूलभूत संबंधी आवश्यकतें – मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 16/12/2019 से दिनांक 15/03/2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 3 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 18.1 से 27.4 माइक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42.2 से 87.3 माइक्रोग्राम/घनमीटर, एस.ओ.$_2$ 6.2 से 9.4 माइक्रोग्राम/घनमीटर तथा एन.ओ.$_{2}$ 10.1 से 18.4 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना क्षेत्र के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुरूप है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 41.6 डीबीए से 51.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 30.2 डीबीए से 33.2 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

20. लोक सुनवाई दिनांक 10/02/2021 प्रातः 12:00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन कनवास, तहसील–रावतसर, जिला–हनुमानगढ़ में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई उपखण्ड अधिकारी, रावतसर, राजस्थान पर्यावरण संरक्षण मंडल, एवं राजस्थान खनन मंडल, जिला–हनुमानगढ़ के पत्र दिनांक 31/03/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

21. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

i. कनेरिया–कनवास में फर्टीलाइजर कम्पनी लगभग 30 वर्षों से संचालित होना बताया गया किन्तु इतने दिनों में खदान संचालन के नाम पर क्षेत्र का दोहन किया जाता रहा है। क्षेत्र में जो खदानें 30–40 फिट या उससे भी अधिक गहराई में अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, उन पर त्वरित कार्यवाही किए जाने तथा उन खदानों को शासन द्वारा जब्त कर लोगों को गहरी पानी या उन खदानों को पाटकर उन पर वृक्षारोपण के लिये उपयोग किया जाए। खदान संचालकों के द्वारा जनजन की सुरक्षा के लिए पेरिमिटर उपाय किए जाने चाहिये। पर्यावरणीय मापदण्डों में रहते हुए खनन कार्य किया जाने एवं प्रशासन से अनुरोध है कि अवैध खननन पर रोक लगाये।

ii. खदानों संचालकों द्वारा फर्टीलाइजर के परिवहन के लिए जयपुर में लाये जाने वाले वाहनों का रख–रखाव किया जाए।

iii. स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. लीज क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। साथ ही 7.5 मीटर की चौड़ी एवं गहरी खाई के पेरिमिटर किया जायेगा। उपखनिज खदान को नियमानुसार रख–रखाव किया जायेगा।

iii. कटाई का एक-समान किया जाएगा तथा जल निकासी किया जाएगा। सड़क मार्ग के किनारे वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iv. आवश्यक लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्रशिक्षित की जायेगी

22 **माईनिंग क्लोजर प्लान–** खदान बंद करने के पूर्व निश्चित खदान के भराव हेतु 10 मीटर की गहराई तक 16.018 घनमीटर चलाई ऐश से एवं 3 मीटर की गहराई तक ओवर बर्डन/जली मिट्टी से भराव कर 1.200 मा. वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु लागत पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 88/एम.डी./ज.ख./म.क./2020-21 गरियाबंद दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें रकबा 34.271 हेक्टेयर है। आवंटित खदान (ग्राम-बारीन) का रकबा 0.988 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवंटित खदान (ग्राम-बारीन) को मिलाकर कुल रकबा 35.152 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से उससे अधिक होने के कारण यह खदान ई-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की संचयन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को सम्मिलित करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बालाजी मल्टेक मटेरियल प्राईवेट लि. (प्रो.– श्री जगदीश वसु) की ग्राम-बारीन, तहसील-राजिम, जिला-गरियाबंद के खसरा क्रमांक 1462/1 एवं 1460 में स्थित मल्टेक मटेरियल (रॉ मटेरियल) खदान, कुल क्षेत्रफल – 0.988 हेक्टेयर, क्षमता – 3,474 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 21,782 घनमीटर को सीमा पट्टी 3,828 घनमीटर एवं गैर वाहनीय क्षेत्र में आवश्यकतानुसार भराव करने के उपरांत अवशेष मिट्टी के भण्डारण हेतु स्थान प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/08/2021 को संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार निर्णय उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बालाजी मल्टेक मटेरियल प्राईवेट लि. (प्रो.– श्री जगदीश वसु) की ग्राम-बारीन, तहसील-राजिम, जिला-गरियाबंद के खसरा क्रमांक 1462/1 एवं 1460 में स्थित मल्टेक मटेरियल (रॉ मटेरियल) खदान, कुल

क्षेत्रफल – 0.88 हेक्टेयर, क्षमता – 3,474 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"खदान बंद होने के उपरांत खदान के चारों तरफ पुराकोपण के साथ-साथ पूर्व के बीच में आंशिक व पाल लगाया जाये, जिससे मृदा अपरदन/भूमि क्षरण व सिल्टेशन को रोका जा सके"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

11. मैसर्स बालीन फ्लोर स्टोन माईन (प्रो.– श्री प्रमोद सिंह चंदेल), ग्राम–बालीन, तहसील–रायगढ़, जिला–गरियाबंद (अधिकारक का पत्रांक 883)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 46272/2018 दिनांक 24/10/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 62847/ 2020, दिनांक 07/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फ्लोर स्टोन (लीज क्षेत्र) खदान है। खदान ग्राम–बालीन, तहसील–रायगढ़, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 1328/2 कुल क्षेत्रफल – 0.40 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता – 3,232.4 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना 2016 में प्रस्तावित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पर ईआईए/ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोपोजल/एक्टीविटीज विस्तारपूर्वक इन्वायरमेंट असेसमेंट अथारिटी ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में अंकित बेली 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लीज सुरक्षाई सहित) नीचे कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/06/2021 द्वारा अनुशंसित हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 372वीं बैठक दिनांक 31/05/2021:

अनुशंसित हेतु श्री प्रमोद सिंह चंदेल, प्रोपराईटर तथा पर्यावरण सलाहकार मैसर्स कल्याणी लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, भुवनेश्वर की ओर से श्री मनुनीत जैन विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का आलोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बालीन का दिनांक 26/09/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान (खदान प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं स्टाकी कलेक्शन प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के

शासन क्रमांक 8613–14/खनिज/ए.एम.अनुमोदन/ए.के.डी./2018 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–पंचायत के ज्ञापन क्रमांक 77/खनि/अ.ए./ए.के./2020-21 पंचायत, दिनांक 31/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें क्षेत्रफल 34.751 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–पंचायत के ज्ञापन क्रमांक 707/खनि/ए.के. /2019 पंचायत, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एरोड्रम एवं उत्खनन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवंटन के नाम पर है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–पंचायत के ज्ञापन क्रमांक 228/खनि/ई निविदा/2018–19 पंचायत दिनांक 27/04/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संयुक्त संचालक भौगोलिक तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 19/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 04/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), पंचायत के पत्र दिनांक 27/04/2019 द्वारा जारी आवंटन पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता श्री उमेश सिंह चंदेल, निवासी ग्राम बारीन, विकासखण्ड बिलाईगढ़ जिला पंचायत द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6–42/2012/12, दिनांक 26/06/2020 के परिपत्र में छत्तीसगढ़ मीनर खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला पंचायत को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, पंचायत वनमण्डल पंचायत, जिला–पंचायत के ज्ञापन क्रमांक/एफ.सी. /अनापत्ति/6346 पंचायत दिनांक 20/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. तक कार्यवाहन अनापत्ति 80 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बारीन 0.9 कि.मी., स्कूल ग्राम–बारीन 0.85 कि.मी. एवं अस्पताल सिमगा 3.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12.05 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.4 कि.मी. दूर है। मुख्य नदी 3.5 कि.मी. एवं तालाब 3.21 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना अवस्थल द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, क्रिटिकली कंजेस्टेड क्षेत्र या घोषित डेफिसिट क्षेत्र किसी भी क्षेत्र अधिसूचित किया है।

11. **खनन संभाव्य एवं खनन का विवरण** – रिजर्वोयरिकल रिजर्व अनुमान 96,000 टन, माइनेबल रिजर्व अनुमान 21,761 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 20,663 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,728 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेकेनिकल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में कोई खदान स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। उपरी मिट्टी की मोटाई 0 मीटर है तथा कुल भराव 15,250 घनमीटर है। क्षेत्र की लम्बाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 15 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,033
द्वितीय	2,911
तृतीय	2,794
चतुर्थ	2,934
पंचम	2,932
छठवें	2,966
सातवें	2,882
आठवें	130
नौवें	125
दसवें	130

नोट: तालिका में उत्खनन के बाद के वर्षों का संरक्षणार्थ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.1 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस आशय ग्राम पंचायत का सहमति पत्र सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े क्षेत्र में 345 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विवरण के अनुसार निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
14.45	2%	0.29	Following activities at Government Higher Secondary School, Village – Basin	
			Rain Water Harvesting System	1.19
			Total	1.19

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के द्वारा बताया गया है कि कुल उत्खनित मिट्टी 10,220 घनमीटर उत्पन्न होगा। आवश्यकतानुसार उत्खनित मिट्टी को 1.5 मीटर (साईन बराबरी) में 820 घनमीटर उत्खनित मिट्टी को एकत्र कर (स्टाकपाइल किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष उत्खनित मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि पर संरक्षित रखने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति उपरान्त भराव किया जायेगा।

16. **खनन हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान**– परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनन में कुल 45 खदानें आती है। वर्तमान में 8 खदानों को एस.ई.आई. जारी की गई है, जिनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। शेष 37 खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु कार्य नहीं ली जा रही है। अतः खनन में शामिल पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित 8 खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है–

i. प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 4 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 2,40,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

ii. मार्ग के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 4 कि.मी. जल तक से कम दो कतार में वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 12,94,750/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगामी चार वर्षों तक रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,14,850/– व्यय किया जाएगा।

iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

iv. सड़कों का रखरखाव (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

v. पर्यावरणीय वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आकलन हेतु अर्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा।

vi. उक्त कार्य हेतु प्रथम पांच वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना की गणना करते हुए अनुमानित राशि करीब 33,06,450/– व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। उक्त हेतु कमल पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

vii. मॉनिटरिंग हेतु 12 लोगों की मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करना प्रस्तावित है।

17. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (तथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण खनन हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि खनन में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि खनन में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खनन में आने

खानी लगभग खदानों को शामिल करते हुये, कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स भवन तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

19. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – परियोजना कार्य दिनांक 15/12/2019 से दिनांक 15/03/2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थलों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थलों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 3 स्थलों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 19.1 से 27.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42.2 से 67.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एस.ओ.$_2$ 5.2 से 8.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एन.ओ.$_{2}$ 12.1 से 18.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 41.6 डीबीए से 51.8 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 30.2 डीबीए से 33.2 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 10/02/2021 प्रातः 12:00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन बागपारा, तहसील-बलौदा, जिला-बलौदाबाजार में संपन्न हुई। लोक सुनवाई उपरांत सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 31/03/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:–**

i. कालीन-कलाकार ने फर्शीपत्थर खदाने लगभग 50 वर्षों से संचालित होना बताया गया किन्तु इतने दिनों में खदान संचालन के साथ पर क्षेत्र का दोहन किया जाता रहा है। क्षेत्र में जो खदाने 50-60 फिट या उससे भी अधिक गहराई में अधिक काल से संचालित हो रहे है, उन पर नियंत्रण कार्यवाही किए जाने तथा उन खदानों को शासन द्वारा जब्त कर लोगों को स्थायी पट्टान या उन खदानों को पट्टाधन उन पर प्रशासन के लिये उपयोग किया जाए। खदान संचालकों के द्वारा जनधन की सुरक्षा के लिए पेशेवराना उपाय किए जाने चाहिये। पर्यावरणीय मानदण्डों से रहते हुए खनन कार्य किया जाने एवं प्रशासन से अनुमति है कि अवैध खनन पर रोक लगाये।

ii. खदानों संचालकों द्वारा फर्शीपत्थर के परिवहन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले सड़कों का रख-रखाव किया जाए।

iii. स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. लीज क्षेत्र के सभी ओर बॉउंड्री की जाएगी। साथ ही 7.5 मीटर की परिधि एवं पहुंच मार्ग में वृक्षारोपण किया जायेगा। आवंटित खदान की नियमानुसार रख-रखाव किया जायेगा।

ii. सड़कों का रख-रखाव किया जाएगा तथा जल छिड़काव किया जाएगा। पहुंच मार्ग के किनारे वृक्षारोपण की व्यवस्था की जाएगी।

iii. स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

21. **माईनिंग प्लानोंबर प्लान**– खदान बंद करने के पूर्व निष्क्रिय खदान के गहरा हेतु 10 मीटर की गहराई तक 11,782 घनमीटर खनिज ऐज है एवं 5 मीटर की गहराई तक ओवर बर्डन/उपरी मिट्टी से भराव कर 388 पेड़ वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु समय तक उपयुक्त किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 77/ख.नि./ख.स./न.क./2020-21 गरियाबंद, दिनांक 31/08/2021 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें, क्षेत्रफल 34.781 हेक्टेयर है। आवंटित खदान (ग्राम–बारीन) का रकबा 0.40 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवंटित खदान (ग्राम–बारीन) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 35.181 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में भवीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (तथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार खनिज के आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खनिज में आने वाली समस्त खदानों को सम्मिलित करते हुये, खनिज हेतु सामूहिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के माध्यम से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मैसर्स बालीन घनेश स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री प्रमोद सिंह चौहान) की ग्राम–बारीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद के खसरा क्रमांक 1326/2 में स्थित चूनेश स्टोन (लीज खनिज) खदान कुल क्षेत्रफल – 0.40 हेक्टेयर, क्षमता – 3,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 10,200 घनमीटर को सीमा चट्टी 1,736 घनमीटर एवं बैच माईनिंग क्षेत्र में आवश्यकतानुसार भराव करने के उपरांत अवशेष मिट्टी के परिवहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/08/2021 को सम्पन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती पर अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मैसर्स बालीन घनेश स्टोन

माईन (प्रो– श्री प्रमोद सिंह सहित) की ग्राम–बरमोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 1336/2, में स्थित चूना पत्थर (मीन माईनर) खदान, कुल क्षेत्रफल – 0.40 हेक्टेयर, क्षमता – 3,000 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया–

"खदान बंद होने के उपरांत खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण के साथ–साथ पूरी के बीच में अतिरिक्त 2 फास लगाया जाये, जिससे वृहद अवरोधन/भूमि क्षरण न सिल्टेशन को रोका जा सके"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

12. मैसर्स बलवंत पत्थर स्टोन माईन (प्रो.– श्री धनराजमल बडु), ग्राम–बरमोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (अधिकतम का नवमी क्रमांक 462)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42264/2018 दिनांक 24/10/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। तत्पश्चात में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 82817/ 2020, दिनांक 08/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित पत्थर स्टोन (मीन माईनर) खदान है। खदान ग्राम–बरमोरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 4/2, कुल क्षेत्रफल – 0.40 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता – 2,517.12 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/03/2020 द्वारा ज्ञापन की–1 केटेगरी का होने से भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2016 में प्रकाशित स्टीपडर्ड टर्म्स अॅण्ड रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई. एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित कॉलम 1(ए) का स्टीपडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मीन फॉर माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 31/05/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धनराजमल बडु, प्रोपराईटर तथा पर्यावरण सलाहकार मैसर्स कालाश्री इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड, पुणेवाला की ओर से डॉ. सुशील कैम्प सिविल कान्सल्टिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरमोरा का दिनांक 07/06/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **फारबार्डिंग योजना** – कार्ड चालन, इन्फारमेशन मैनेजमेंट चालन एवं कार्ड कलेक्टर चालन प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 5488–99/खनि0/म.प्र.अनुमोदन/न.ब.00/2018 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 14/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 81/खनि./ज.श./न.ब./2020–21 गरियाबंद, दिनांक 31/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें, क्षेत्रफल 34.881 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 704/खनि/न.अ./2018 गरियाबंद, दिनांक 16/11/2018 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, गरियाबंद, मस्जिद, कब्रिस्तान, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 236/खनि/ई निविदा/2018–19 गरियाबंद दिनांक 27/04/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 5 माह की अवधि तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 21/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 04/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"निर्णय के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), गरियाबंद के पत्र दिनांक 27/04/2019 द्वारा जारी आशय पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता श्री घनश्याम बडु, निवासी, ग्राम बल्लाला, जिला गरियाबंद द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6–62/2012/12, दिनांक 30/06/2020 के परिपत्र में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला गरियाबंद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमंडलाधिकारी, गरियाबंद उपवनमंडल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक /क.वि./अनापत्ति/6332 गरियाबंद दिनांक 20/11/2018 की जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.6 कि.मी. तथा अरण्यायतन अभयारण्य 81 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बल्लाला 0.25 कि.मी., स्कूल ग्राम–बल्लाला 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल सिमगा 5.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.7 कि.मी. दूर है। पुल–पुलिया 3.7 कि.मी. एवं तालाब 0.7 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन प्रस्ताव एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,17,800 टन, माइनेबल रिजर्व लगभग 28,142 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 23,000 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,281 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेकेनिकल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में जल स्थापित नहीं है एवं इसकी भराव का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 5 मीटर है तथा कुल भराव 2,144 वर्गमीटर है। बेंच की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,383
द्वितीय	2,467
तृतीय	2,338
चतुर्थ	2,462
पंचम	2,291
छठवें	2,394
सातवें	2,271
आठवें	2,428
नौवें	2,348
दसवें	2,817

नोट: तालिका में उत्खनन के बाद के अंतरे का उल्लेख किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.83 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का सहमति पत्र सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 630 पौधे वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)

12.84	2%	0.25	Following activities at Government Primary School, **Village – Barthata**	
			Rain Water Harvesting	1.20
			Total	**1.20**

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुपालन के द्वारा बताया गया है कि कुल उपरी मिट्टी 9,144 घनमीटर उत्पन्न होगा। आवश्यकतानुसार उपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) में 1,400 घनमीटर उपरी मिट्टी को एकत्र कर पुनर्वास किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष उपरी मिट्टी को खदानों द्वारा भूमि पर संरक्षित रखने हेतु खान प्रणिकारी के अनुमति उपरांत भराव किया जायेगा।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण** – अनुपालन के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2.26 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें से 255 हेक्टेयर क्षेत्र 3 मीटर गहराई तक उपलब्ध है। उपरोक्त पूर्व से उपलब्ध क्षेत्र को पुनर्वास कर पुनर्वास का कार्य किया जाएगा। अतः उपरोक्त का अवलोकन करते हुए अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मीन लीज माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु सामान्य पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII(i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त सामान्य शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. **खदान हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान**– परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान में कुल 44 खदानें आती है। उनमें से 8 खदानों को एम.ओ.ई.एफ. जारी की गई है, जिनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। शेष 32 खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु कार्य नहीं की जा रही है। अतः खदान में संचित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित 8 खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है–

i. धूलकण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड़ से उत्पन्न धूल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 8 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 2,40,000/– प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

ii. गांव के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 8 कि.मी. कम तक के कम से कम दो कतार में वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 12,94,750/– प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी चार वर्षों तक रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 4,14,880/– व्यय किया जाएगा।

iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

iv. सड़कों का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 2,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

v. परियोजना वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु आंतरिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा।

vi. उक्त कार्य हेतु प्रथम पांच वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना की गणना करते हुए अनुमानित राशि रूपये 33,08,450/- व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। उक्त हेतु वित्तीय पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

vii. मॉनिटरिंग हेतु 12 सदस्यों की मॉनिटरिंग समिति का गठन करना प्रस्तावित है।

18. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (तथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में सम्मिलित सभी उद्योगों द्वारा वायु के पर्यावरणीय गुणवत्ता की रोकथाम हेतु उद्योगों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले उद्योगों की उत्पादन गतिविधियों से पर्यावरणीय पटकों पर पड़ने वाले गुणवत्ता की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त उद्योगों को सम्मिलित करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, पर्यावरण तथा वनविभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

20. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 15/12/2019 से दिनांक 15/03/2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के क्षेत्रों 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 3 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 18.1 से 27.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42.2 से 67.5 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 6.2 से 9.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2}$ 10.1 से 18.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो निर्धारित मानक के अनुकूल है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुकूल है।

iv. परिवेशीय वायु स्तर (Day time) 41.8 डीबीए से 51.8 डीबीए एवं वायु स्तर (Night time) 30.2 डीबीए से 33.2 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुकूल है।

21. लोक सुनवाई दिनांक 10/02/2021 प्रातः 12:00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन बलाटा, तहसील-रतलाम, जिला-रतलाम में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई उपरान्त सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 31/03/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

22. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-**

i. बलीता-बलाटा में खदानियां खदानें लगभग 50 वर्षों से संचालित होना बताया गया किन्तु इतने दिनों में खदान संचालन के नाम पर क्षेत्र का दोहन किया जाता रहा है। क्षेत्र में जो खदानें 30-40 फिट या उससे भी अधिक गहराई में अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, उन पर तत्काल कार्यवाही किए जाने तथा उन खदानों को शासन द्वारा जब्त कर लोगों को मछली पालन या उन खदानों को पहाड़कर उन पर प्लांटेशन के लिये उपयोग किया जाए। खदान संचालकों के द्वारा जनहित की सुरक्षा के लिए पेरिमिटेशन तैयार किए जाने चाहिये। पर्यावरणीय मापदण्डों में रहते हुए खनन कार्य किया जाये एवं प्रशासन से अनुरोध है कि अवैध उत्खनन पर रोक लगाये।

ii. खदानी संचालकों द्वारा वाहनियों के परिवहन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले सड़कों का रख-रखाव किया जाए।

iii. स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

i. लीज क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। साथ ही 7.5 मीटर की परिधि एवं पहुंच मार्ग में प्लांटेशन किया जायेगा। उत्खनित खदान को नियमानुसार रख-रखाव किया जायेगा।

ii. सड़कों का रख-रखाव किया जाएगा तथा जल छिड़काव किया जाएगा। पहुंच मार्ग के किनारे प्लांटेशन की व्यवस्था की जाएगी।

iii. स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

23. **माईनिंग प्लॉन:-** खदान बंद करने के पूर्व निष्क्रिय खदान के भराव हेतु 10 मीटर की गहराई तक 13,653 घनमीटर भराई पेड़ से एवं 5 मीटर की गहराई तक ओवर बर्डन/उपजी मिट्टी से भराव कर 888 नग प्लांटेशन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रतलाम के ज्ञापन क्रमांक 81/एम.डी./ए.ए./एम.पी./2020-21 रतलाम, दिनांक 31/03/2021 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 44 खदानें लगभग 34.661 हेक्टेयर है। आवंटित खदान (ग्राम-बलाटा) का क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर है। इस

प्रकार आरक्षित खदान (ग्राम–बरमपाल) की निस्तार कुल रकबा 35.151 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में अधिसूचित/संरक्षित खदानें का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे अधिक होने के कारण यह खदान श्रे–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 तथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को सम्मिलित करते हुए, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, गतिविधि तथा खनिकर्म, इंदिरावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से एतद्पूर्वक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विषय निर्गत उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बरमपाल पलेन स्टोन माईन (प्रो.– श्री यशवंत यदु) की ग्राम–बरमपाल, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद की खसरा क्रमांक 4/3 में स्थित पलेन स्टोन (लोन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 0.48 हेक्टेयर, क्षमता – 2,517 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व आवेदक द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 9,144 घनमीटर को सीमा पट्टी 2,281 वर्गमीटर एवं पौधे माईनिंग क्षेत्र में आवश्यकतानुसार भराव करने के उपरांत अतिरेक मिट्टी के भण्डारण हेतु स्थान अधिकारी से पृथक् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

5. 7.5 मीटर के सीमा पट्टी से उत्खनित क्षेत्र को 5 वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा।

प्रतिवेदन द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त उल्लेख पर प्रतिवेदन की दिनांक 24/08/2021 की संलग्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिवेदन द्वारा मसौदे का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्रतिवेदन द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बरमपाल पलेन स्टोन माईन (प्रो.– श्री यशवंत यदु) की ग्राम–बरमपाल, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद की खसरा क्रमांक 4/3 में स्थित पलेन स्टोन (लोन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 0.48 हेक्टेयर, क्षमता – 2,517 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया–

"खदान बंद होने के उपरांत खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण के साथ–साथ भूमि के बीच में ग्रावेल व घास लगाया जाये, जिससे पूरा आवरण/भूमि आवरण व हिरोटेशन को रोका जा सके"

परिवेशगत प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

12. मेसर्स बरबसपुर पलेन स्टोन माईन (प्रो.– श्री राजेन्द्र कुमार), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद (परिक्षेत्र का नक्शा क्रमांक 824)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में आवेदन नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 32281/2018 दिनांक 19/07/2018 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में आवेदन नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 62867/ 2020

दिनांक 07/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित कोल माइन (मेजर मिनरल) खदान है। खदान ग्राम–बनखपुर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 255, कुल क्षेत्र क्षेत्र 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–6,123 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के क्रमांक दिनांक 03/02/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2016 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोपोज्ड/एक्सटेंडिंग रिकनफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉलियरीज अपनर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित मेजर मिनरल (लघु खनिज) माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के क्रमांक दिनांक 21/06/2021 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 372वीं बैठक दिनांक 21/06/2021:

प्रस्तुतिकरण हेतु की पारदर्शी पूनम, प्रोपराइटर विजिटर कन्सल्टिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परिचर्चा करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत फार्म–2 में कुटिया उत्खनन क्षमता–6,123 टन प्रतिवर्ष का उल्लेख हो गया है। जबकि खदान में माईनिंग प्लान अनुसार साईन की अधिकतम उत्खनन क्षमता–6,820 टन प्रतिवर्ष है। अतः पर्यावरणीय स्वीकृति का आवेदन उत्खनन क्षमता–6,820 टन प्रतिवर्ष हेतु मान्य करते हुये पर्यावरणीय स्वीकृति उक्त क्षमता हेतु जारी किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार किया गया।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन की संबंध में ग्राम पंचायत बनखपुर का दिनांक 11/07/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान एवं खदान क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रभाग), जिला–रायपुर के क्रमांक 640–2/ख.नि./रीन–6/2018 रायपुर, दिनांक 12/06/2018 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के क्रमांक 2946/क/ई–निविदा/खनि/ख.क./2018 महासमुंद, दिनांक 10/12/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 24 खदानें, क्षेत्रफल 12.15 हेक्टेयर है।
6. **300 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के क्रमांक

2000/ब/ई-निविदा/खनि./9.8.83/2018 महासमुंद, दिनांक 10/12/2018 द्वारा जारी प्रपत्र पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवंटक के नाम है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 237/ ब/ ई-निविदा/ खनि./9.8.83/2018 महासमुंद, दिनांक 05/02/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौतिकी तथा खनिकर्म, पत्र रायपुर अटल नगर से पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 17/2020 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 24/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, जिला कार्यालय (खनिज शाखा), महासमुंद के पत्र दिनांक 05/02/2018 द्वारा जारी आवंटन पत्र में निहित शर्तों का पालन पुनरीक्षणकर्ता श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी नजिम, जिला परिवीक्षक द्वारा कर लिये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 26/08/2020 के परिपेक्ष में छत्तीसगढ़ मौन खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत उक्त प्रकरण में निकालुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त सम्पावर्त प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला महासमुंद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **कम विस्फोट का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपसंचालक भूविज्ञान, सामान्य भूविज्ञान, जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/खनि./4040 महासमुंद, दिनांक 31/07/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र कम भूमि की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बावसपुर 0.65 कि.मी., शैक्षणिक संस्था ग्राम-बावसपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-बिरकोनी 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 239 कि.मी. दूर है। महानदी 3.7 कि.मी., तालाब 0.61 कि.मी. एवं सोंढूर नदी 2.57 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संभाव्य एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,44,000 टन, माइनेबल रिजर्व लगभग 70,184 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 38,800 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2.340 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। जमीनी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल लगभग 19,880 घनमीटर है। खदान

की संपातित आयु 12 वर्ष है। क्षेत्र की लम्बाई 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर है। लीज क्षेत्र में अवैध खनिज नहीं है एवं इसकी ओवरलोड का प्रावधान नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,558
द्वितीय	5,184
तृतीय	5,675
चतुर्थ	5,411
पंचम	5,314
छठवें	5,573
सातवें	5,381
आठवें	5,443
नौवें	5,152
दसवें	5,573

नोट: तालिका में उत्खनन के बाद के वर्षों को समायोजित किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परिचालन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.25 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत का सहमति पत्र सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े क्षेत्र में 500 पौधे एवं खदान के पहुँच मार्ग के दोनों तरफ में अतिरिक्त 250 पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विवरण से वर्षवार उपलब्ध निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.01	2%	0.40	Following activities at Government Primary School, **Village – Barbapur**	
			Rain Water Harvesting System	1.01
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation	0.05
			Total	1.16

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के द्वारा बताया गया है कि कुल खनी मिट्टी 19,880 घनमीटर जनित होगा। आवश्यकतानुसार खनी मिट्टी को 7.5 मीटर (लाईन बाउण्ड्री) से 1,000 घनमीटर खनी मिट्टी को एकत्र कर प्रक्षेपण किया जाना प्रस्तावित है, शेष खनी मिट्टी को खत्ते की 2,300 वर्गमीटर क्षेत्र भूमि एवं 8,000 वर्गमीटर क्षेत्र सहमति प्राप्त भूमि पर संग्रहित रखने हेतु स्थान प्राधिकारी के अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा।

18. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – परिवेशीय डाटा दिनांक 18/12/2019 से दिनांक 15/03/2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 4 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. परिवेशीय परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 16.7 से 25.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 35.4 से 67.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एस.ओ.$_2$ 5.1 से 8.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एन.ओ.$_{2}$ 8.9 से 16.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 41.6 डीबीए से 52.8 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 37.4 डीबीए से 40 डीबीए पाया गया। जो निर्धारित मानक के अनुरूप है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 23/01/2021 प्रातः 12:00 बजे स्थान पंचायत भवन बरबसपुर, तहसील व जिला-महासमुंद में संपन्न हुई। लोक सुनवाई कार्यालय सहायक संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 31/03/2021 द्वारा अंकित किया गया है।

20. जनसुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा खदान के संचालन हेतु समर्थन करते हुये स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने का विचार प्रस्तुत किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दिये जाने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई।

21. **माईनिंग क्लोजर प्लान:-** खदान बंद करने के पूर्व निष्क्रिय खदान के भराव हेतु 6 मीटर की गहराई तक 38,000 घनमीटर खाई पेट के पूर्व उत्खनित उपर 3 मीटर की ऊंचाई तक ओवर बर्डन/खनी मिट्टी से भराव कर 1,888 पौधा वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेतु लागत व्यय प्रस्तुत किया गया है।

22. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान** – कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में कुल 35 खदानें आती है। कॉमन में प्रस्तावित खदान को एस.ई.आई.ए. जारी की गई है, जिस हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है। शेष 34 खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु रुचि नहीं ली जा रही है। अतः कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत उनके द्वारा

तैयार किया जाना संभव नहीं है। आवेदक द्वारा खदान के बाहर प्रस्तावित क्षेत्र में उनके द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान की तरह निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

i. अदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/एप्रोच रोड से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, 2 कि.मी. तक पहुँच मार्ग हेतु अनुमानित राशि 2,40,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

ii. गांव की पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 2 कि.मी. कच्चा तक के क्षेत्र की सतत की बराबर में वृक्षारोपण हेतु अनुमानित राशि 7,75,000/- प्रथम वर्ष में व्यय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी चार वर्षों तक रख-रखाव हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/- व्यय किया जाएगा।

iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु अनुमानित राशि 80,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

iv. सड़कों का संधारण (Road Maintenance) हेतु अनुमानित राशि 1,00,000/- प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा।

v. पर्यावरण वायु, जल, मिट्टी एवं ध्वनि गुणवत्ता के आंकलन हेतु अर्द्धवार्षिक मॉनिटरिंग कार्य (Half Yearly Environment Monitoring) किया जाएगा।

vi. उक्त कार्य हेतु प्रथम पांच वर्षों की विस्तृत कार्ययोजना की गणना करते हुए अनुमानित राशि लगभग 28,56,480/- व्यय वर्तमान प्रस्तावित किया गया है। उक्त हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

23. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (तथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की प्रस्तावित गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को सम्मिलित करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के मार्ग से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 2040/क/ई-निविदा/खनि/ग.क./2018 महासमुंद, दिनांक 10/12/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित 34 खदानें, क्षेत्रफल 12.15 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बरबसपुर) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बरबसपुर) को मिलाकर कुल संख्या 13.15 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/सम्मिलित

खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे अधिक होने के कारण यह खदान श्रे–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुपालन स्वरूप में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को सम्मिलित करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालनालय, भाषाभवन, नौरोजी नगर, डॉ.भीमराव अंबेडकर भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार निर्णय उपरांत पर्यावरणीय से आवेदक – मेसर्स बरबसपुर फ्लेश स्टोन माईन (प्रो.– श्री राजेन्द्र गुप्ता) की ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 202 में स्थित फ्लेश स्टोन (लोम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, क्षमता – 5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 18,000 घनमीटर को सीमा पट्टी 3,240 वर्गमीटर एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी के भण्डारण हेतु स्थान प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/06/2021 को संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार बिन्दु उपरांत प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बरबसपुर फ्लेश स्टोन माईन (प्रो.– श्री राजेन्द्र गुप्ता) की ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–महासमुंद के खसरा क्रमांक 202 में स्थित फ्लेश स्टोन (लोम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, क्षमता – 5,000 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"उत्खनन बंद होने के उपरांत खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण के साथ–साथ भूमि के बीच में झाड़ियां व घास लगाया जाये, जिससे भूमि अपरदन/भूमि क्षरण व सिल्टेशन को रोका जा सके"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

14. मेसर्स साव मिनरल्स जाईन स्टोन माईन (प्रो.– श्री संजय साव), ग्राम–गोंडोपाली, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (अधिकारण का नवमी क्रमांक 1036)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /62246/2021, दिनांक 31/03/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में त्रुटियाँ होने से क्षेत्रीय दिनांक 12/04/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/05/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – उक्त प्रस्तावित खुला खदान (लिग्नाइट) खदान है। खदान ग्राम–गोंदमोहली, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 47 पार्ट, 60/1 पार्ट, 63 पार्ट, 64, 65 पार्ट, 66, 69 पार्ट, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 157 एवं 158, कुल क्षेत्रफल–4.81 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आरेखित उत्खनन क्षमता–1,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 22/06/2021 द्वारा अनुशंसित हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 374वी बैठक दिनांक 01/06/2021:

अनुशंसित हेतु की गयी गत, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कान्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा पायी, प्रस्तुत जानकारी का आलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई –

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोंदमोहली का दिनांक 12/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **वनाच्छादन योजना** – जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (वा.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर द्वारा क्रमांक 1884/खनि02/भू.पा.अनुमोदन/न.क.08/2020(3) नया रायपुर, दिनांक 24/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/258/खनि.नि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 01/06/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 18 खदानें, क्षेत्रफल 30.252 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें क्षेत्र विस्तारित खदान के जीरो पॉइंट से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित खदान अनुसार "कोई खदान उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् खदान हेतु टोपोशिट निर्धारित क्षेत्र में विद्यमान खदान के जीरो पॉइंट से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के जीरो पॉइंट से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (अलग से खदानों को जहाँ तक शामिल किया जाए, वहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4221/खनि.नि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 25/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 500 मीटर की परिधि में कोई ऐसा स्थित है, इसके अतिरिक्त कोई मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, एयरफिल्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेलमार्ग आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एस.डी.आई. संबंधी विवरण** – एस.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4201/खनिज/ए.ए./2021 दुर्ग, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि संबंधी पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – जारीकर्ता उपवनमण्डलाधिकारी, दुर्ग उपवनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक /वन.अधि./2021/1366 दुर्ग, दिनांक 18/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 25 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोर्धनपुरी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–गोर्धनपुरी 1 कि.मी. एवं अस्पताल सेतुरा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं रेलमार्ग 0.85 कि.मी. दूर है। विमानपत्तन भठी 21 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संचालन एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 29,66,000 टन, माईनेबल रिजर्व 14,88,504 टन एवं निकालने योग्य रिजर्व 13,39,744 टन है। लीज की 7.5 मीटर गहरी बेंच पद्धति (उत्खनन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,137 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24 मीटर है। लीज क्षेत्र के अंदर मिट्टी की गहराई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 42,317 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में प्रकार स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 हेक्टेयर है। जैव हैवा से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,42,500	छठवें	1,12,200
द्वितीय	1,36,875	सातवें	1,12,200
तृतीय	1,36,875	आठवें	1,12,200
चतुर्थ	1,36,875	नवमें	1,12,200
पंचम	1,34,385	दशवें	1,12,060

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी में कुल 2,034 पौधा वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्खनन के दौरान निकलने वाली कच्ची मिट्टी 42,317 घनमीटर में से 16,274 घनमीटर कच्ची मिट्टी को 7.5 मीटर (बाईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में तथा शेष 26,043 घनमीटर कच्ची मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र (6,340 घनमीटर) में अवैध भराव एवं रिक्त निर्माण में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत भराई किया जाएगा।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सन्दीप चतुर्वेदी विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रारंभिक एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2014 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2014 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where over it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. तहसीलदार कार्यालय (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/250/खनि. वि.अ./खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 01/06/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आच्छादित 18 खदानें, क्षेत्रफल 39.362 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–पोहदीकुर्द) का रकबा 4.900 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–पोहदीकुर्द) को मिलाकर कुल रकबा 42.262 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का सम्मिलित निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (ग्रीन बुनियाद सहित) मीन ऑफ माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the land document for all khasra number's.

iv. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

v. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

vi. Project proponent shall submit NOC from gram Panchayat for uses of water.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

viii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.

ix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery if there is any previous mining & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report (if any).

x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/06/2021 की संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा चर्चा का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को संशोधन करते हुये उपबंधानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (अंक सूचकांक समेत) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

18. मेसर्स डीर लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती कमलेश कुमावत), ग्राम–डीर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (अधिकारक का चर्चा क्रमांक 1617)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /204079/2021, दिनांक 17/03/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने के कारण दिनांक 31/03/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कमियों जानकारी दिनांक 19/05/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (लीम स्टोन) खदान है। खदान ग्राम–डीर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 520, 524, 526/1, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 860, 861, 862, 863 एवं 864, कुल क्षेत्रफल–4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–3,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक की एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष दिनांक 22/06/2021 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

अनुमोदनार्थ हेतु श्री आशीष कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई कम्पार्टमेन्ट के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – खदान के संबंध में ग्राम पंचायत ढौर का दिनांक 08/11/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **खनन योजना** – जारी खान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (भू.वि.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भवन राजपुर अटल नगर द्वारा क्रमांक 1716/खनिज/भू.वि.अनुमोदन/भ.वि.(8)/2020(1) भवन राजपुर, दिनांक 15/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/106/खनि.वि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 26/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4089/खनि.वि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 08/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **एन.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एन.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के पृ. ज्ञापन क्रमांक/4080/खनिज/ए.प/2021 दुर्ग, दिनांक 08/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 520, 524, 528, 530, 534, 536, 538, 540, 542, 544 की वर्णोदित, खसरा क्रमांक 528/1, 531, 661, की बीहड़ राम, खसरा क्रमांक 532 की बंजर राम, खसरा क्रमांक 533, 535, 537, 539, 541, 543 बीमारी भनताई, खसरा क्रमांक 862, 863, 863 की चैतराम एवं खसरा क्रमांक 864 की हरिशंकर कुम्भकार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **डिस्ट्रीक्ट मार्क रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट मार्क रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल जिला-दुर्ग, के ज्ञापन क्रमांक /एफ.सी./2021/1122 दुर्ग, दिनांक 13/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-ढौर 1.3 कि.मी., स्कूल ग्राम-ढौर 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-ढौर 1.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना क्षेत्रफल द्वारा 30 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोलुटेड एरिया, परिक्षेत्रीकृत प्रदूषणरहित क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र मिला नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,50,000 टन, माईनेबल रिजर्व 11,47,000 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 10,90,500 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.360 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में उपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 40,800 घनमीटर है। आवश्यकतानुसार इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष उपरी मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र में भंडारित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ब्लास्टिंग किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंटूरिंग ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,69,900
द्वितीय	3,00,000
तृतीय	3,00,000
चतुर्थ	1,51,198
पंचम	86,113

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में कुल 2,878 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के मध्य से इंडस्ट्रियल लाईन गुजरने के कारण 50 मीटर चौड़े क्षेत्र, क्षेत्रफल 0.246 हेक्टेयर को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। इसी प्रकार लीज क्षेत्र के उत्तरी दिशा में चौड़ाई कम होने के कारण उत्खनन किया जाना संभव नहीं है। अतः इन क्षेत्रों को, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 0.2684 हेक्टेयर, 0.2318 हेक्टेयर एवं 0.4178 हेक्टेयर है, को गैर माईनिंग क्षेत्र (ब्लाक क्षेत्र) के रूप में रखा जाएगा। इस प्रकार गैर माईनिंग क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1.253 हेक्टेयर है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उत्खनन के दौरान निकलने वाली उपरी मिट्टी 40,800 घनमीटर में से आवश्यकतानुसार उपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में तथा शेष उपरी मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र डम्प क्षेत्र–1 (क्षेत्रफल 3.584 हेक्टेयर), डम्प क्षेत्र–2 (क्षेत्रफल

2.219 वर्गमीटर) तथा कम क्षेत्र–2 (क्षेत्रफल 4.175 वर्गमीटर) एवं हाईटेंशन लाईन के नीचे के गैर वाईनिंग क्षेत्र 0.245 हेक्टेयर में संवर्धित किया जायेगा।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विवरण के सम्बन्ध प्रस्ताव निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
50.00	2%	1.00	Following activities at Government Primary and Middle School, Village – Dhaur	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Potable Drinking Water Facility	0.30
			Plantation	0.20
			Total	1.20

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा वर्सेज पर्यावरण विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रारंभिक एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where even it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. जारीकर्ता कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4055/खनि विज्ञ/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 08/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निम्न है। आवेदित खदान (ग्राम–ढौर) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आदेश – मेसर्स ढौर लाईम स्टोन खदान (प्रो:– श्रीमती सरीता कुमारी) की ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 520, 524, 526/1, 526, 528, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 860, 861, 862,

863 एवं 864 में स्थित भूमि पत्थर (गैर खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4 हेक्टेयर, क्षमता – 2,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/08/2021 को संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विषय विषयी उपरांत प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स ग्रीन लाईन स्टोन क्वारी प्रा0– धमनी (मनिता कुमारवाट) की ग्राम–ग्रीन, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 520, 524, 526/1, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 860, 861, 862, 863 एवं 864 में स्थित भूमि पत्थर (गैर खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4 हेक्टेयर, क्षमता – 2,00,000 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"खदान बंद होने के उपरांत खदान के चारों तरफ पुनर्वास के साथ–साथ पूरी के बीच में ब्रेकिंग व पाल लगाया जाये, जिससे पुनः अवसाद/भूमि क्षरण व सिल्टेशन को रोका जा सके"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

16. मेसर्स ए.सी. स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर (अधिवालय का नस्ती क्रमांक 1556)

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्ताव नम्बर – एम0पी0/ सीजी/ आईएनडी/ 196664/ 2021, दिनांक 16/02/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत मेसर्स–सी. उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नंबर 71/72, कुल क्षेत्रफल – 6.000 हेक्टेयर में स्थित टी–हिटिंग फर्नेस बेस्ड डी–हीटिंग मिल (लोहा गैलीज बनाना प्रस्तावित) – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 58,800 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग का कुल लागत 4.93 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 360वीं बैठक दिनांक 01/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्पश्चात समिति के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भूमि स्वामित्व / भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
3. वर्तमान रोलिंग मिल में टी–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? समान विस्तार के तहत रोलिंग मिल में टी–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? टी–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो टी–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के स्वामित्व का विवरण की

उपलब्ध गणना एवं अंकेक्षण में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। अपना विवरण के साथ संलग्न चित्र में यदि डी-हॉटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो डी-हॉटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रदूषक ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. सम्पत्ति प्रारूप स्थापित क्षमता के उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार/उन्नयन उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / पुनःचक्रण, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।

5. सेन्ट्रल प्रदूषण कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परिसीमन क्षेत्र सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन में आता है अपने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जावे। प्रदूषण मापन उपयोग करने हेतु सेंट्रल प्रदूषण मापन अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।

6. स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (संख्या एवं साईज सहित) प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित प्रस्तुत की जाए।

7. ले-आउट में स्थापित / प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जावे। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रपत्र अंतरिमवाला) के साथ प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 366वीं बैठक दिनांक 03/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल दिनांक 03/05/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति की अगली बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी अपरिहार्य बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में मांगी गई सहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(5) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राहुल सुराना, सदस्य विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा पहली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जल एवं वायु सम्मति –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से कि-स्टोन क्रेशर्स प्रा.लि. – 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 08/12/2016 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/01/20[illegible] तक वैध है।

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- निकटतम आबादी ग्राम–भर्रेगा 0.6 कि.मी. एवं शहर रायपुर 4.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन डब्लू.आर.एस 3.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। भारी विस्फोटक निर्माणशाला, भाठा, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.8 कि.मी. एवं खारून नदी 1.0 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या संरक्षित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. लेआउट एरिया ब्रेकअप –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1	Rolling Mill	2,000	21
2	Final Product Area	1,000	10.40
3	Raw Material Yard	1,100	11.4
4	Road Area	1,200	10.5
5	Coal Gasifier Area	500	5.2
6	Greenbelt	3,825	40
7	Other Area	135	1.41
Total		9,560	100

4. कच्चा–पदार्थ –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For Rolling Mill				
1.	Billets/Ingots	61,800	Open Market	Road

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Existing Capacity	Capacity After Expansion
Reheating Furnace based Rolling Mill of Capacity - 30,000 TPA (Coal Gasifier Based)	Reheating Furnace based Rolling Mill of Capacity - 59,900 TPA (Coal Gasifier Based)

Note:- No Additional Plant and Machinery will be installed for capacity expansion. Expansion will be achived through increasing working hours i.e. Single Shift -10 Hrs to Double Shift-19 Hrs.

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित में सि-डीटिंग फर्नेस आधारित लेखित मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बाघफिल्टर एवं 36 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा गया है। अमल मिलान हेतु अतिरिक्त सि-डीटिंग फर्नेस की स्थापना प्रस्तावित नहीं है। अमल मिलान के अन्तर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर की स्थापना कर चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित किया गया है। पर्याप्तिटित ब्रान्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यविस्तार हेतु अपनाई जाएगी।

7. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यविस्तार के उपरान्त लेखित मिल से मिल स्लेज– 1486 टन प्रतिवर्ष एवं मिल कटिंग्स– 800 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्लेज को सीमेंट एसोसिएट फाउंड्री एवं मिल कटिंग्स को सीमेंट फाउंड्री को विक्रय किया जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्रोत** – प्रस्तावित कार्यविस्तार उपरान्त परिचालन हेतु कुल 33 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, ब्रान्ट मोचन हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति बाबत् आवेदन किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया में दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। कूलिंग उपरान्त प्राप्त दूषित जल को ठण्डा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 2 घनमीटर प्रतिदिन है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उपलब्ध जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) पुराने एवं नवीन उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर निकासी हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल निकासी के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **ग्रीन बेल्ट हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 8,338 घनमीटर प्रतिवर्ष है। ग्रीन बेल्ट हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अन्तर्गत 5 नग निस्तारी पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट हार्वेस्टिंग व्यवस्था उपरान्त परिसर के पूर्ण रनऑफ को निस्तारी किया जा सकेगा। रनऑफ निस्तारी

सुनिश्चित इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का भराव हो सके।

9. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्पत्ति द्वारा स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में कुल उत्सर्जन की मात्रा 7.825 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित क्षेत्र विस्तार एवं विभागी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य मानकीय से कम सुनिश्चित किये जाने से कुल उत्सर्जन की मात्रा 7.128 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्तारण की स्थिति बनी रहेगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 1.860 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपशिष्ट प्रबंधन नियमानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपयोग की मात्रा में वृद्धि होना अपेक्षित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्कीम** – परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति मध्यांचल क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट को एमीशन्स इंडस्ट्रीज में स्थापित किया जाएगा।

11. **पृष्ठारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.46 एकड़ क्षेत्र में 421 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत 0.30 एकड़ (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 828 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार के पश्चात उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
75	1%	0.75	Following activities at Nearby Government School, Village Uphara	
			Rain Water Harvesting System	1.13
			Potable Drinking Water Facility	0.25
			Plantation	0.15
			Total	1.53

13. प्रस्तावित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

14. प्रस्तावित उद्योग औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित है। स्थल के आसपास कई उद्योग स्थापित एवं संचालित है।

15. क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त वि-हीटिंग फर्नेस की स्थापना प्रस्तावित नहीं है। वर्तमान में स्थापित कोल पैलेटस आधार आधारित वि-हिटिंग फर्नेस में कार्य वृद्धि (मिनरल लिस्ट से ऑयल लिस्ट) कर क्षमता विस्तार किया जाएगा। क्षमता विस्तार से प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि होगी। जिसे अन्य उत्पादों हेतु पुनःउपयोग किया जाएगा। जल उपयोग की मात्रा में वृद्धि होगी जिसकी आपूर्ति भूमि उद्योग क्षेत्र के समीप तालाबों के लेन वीयर डायवर्शन द्वारा संचालन करने से होगी। इस प्रकार पर्यावरणीय घटकों पर नियंत्रित प्रभाव पड़ने की संभावना बहुत कम है।

16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-11011/2/2013-IA-III दिनांक 24/12/2013 के अनुसार बी श्रेणी की परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु कीर आधार बैंड कंटेगरी में लिए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए है, जिसके अनुसार मेटलर्जिकल इण्डस्ट्रीज (बेसिक एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए है:-

"Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

17. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(iii) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

18. समिति का सर्वसम्मति से यह मत है कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार से प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी परिलक्षित होती है। उद्योग में कुल 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष जल की आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने क्षेत्र में कुल 6,338 घनमीटर जल, लेन वीयर डायवर्शन द्वारा संचयन किया जाएगा। समय समय से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, सुचारू निस्तारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (उसकी कुल मात्रा में वृद्धि होगी जिसे अन्य उत्पादों हेतु पुनःउपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से प्रबंधन करने, जल उपयोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होने तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी२" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(iii) के प्रावधान के तहत समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय

किया गया कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि क्षमता विस्तार के तहत मेसर्स ए.सी. सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-सी, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला-रायपुर स्थित प्लॉट नंबर 71/72, कुल क्षेत्रफल – 0.888 हेक्टेयर में क्लिंकर पी-हिटिंग फर्नेस केस पी-हीटिंग मिल (क्रोल मैकीन चायना आधारित) – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 58,800 टन प्रतिवर्ष करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/08/2021 की संयम 153वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये क्षमता विस्तार के तहत मेसर्स ए.सी. सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-सी, उरला औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला-रायपुर स्थित प्लॉट नंबर 71/72, कुल क्षेत्रफल – 0.888 हेक्टेयर में क्लिंकर पी-हिटिंग फर्नेस केस पी-हीटिंग मिल (क्रोल मैकीन चायना आधारित) – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 58,800 टन प्रतिवर्ष करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

17. मेसर्स मुकुटपुरी ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री प्रवीण केसरवानी), ग्राम–मुकुटपुरी, तहसील–बोकारा, जिला–कबीरधाम (अधिवाक्य का नवीन क्रमांक 1585)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमआईए /सीजी /एमआईए /202107/2021, दिनांक 06/03/2021।

प्रकरण का विवरण – यह पूर्व से संचालित लघुखनिज खदान (गैर धारित) खदान है। खदान ग्राम–मुकुटपुरी, तहसील–बोकारा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 88, कुल क्षेत्रफल–1.2 हेक्टेयर में है। खदान की आवंटित उत्पादन क्षमता–15,385.44 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
2. पूर्व में आवंटित क्षेत्र पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अभिलेखित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रोजेक्ट की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

3. पिछले वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (विगत वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (शपथ पत्रोपरान्त) के साथ प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 08/04/2021 एवं 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 04/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/05/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई सहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(5) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रवीण केसरवानी, प्रोपराइटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
   i. पूर्व में मेसर्स पाबरा पहाड़ खनन क्रमांक 88/2, मुरूम क्षेत्रफल-1.7 हेक्टेयर, क्षमता-16,388.44 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मेलन निर्देशन प्राधिकरण, जिला-कबीरधाम द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार नूतनीकरण नहीं किया गया है।
   iv. उपखंड कलेक्टर (खनि शाखा) जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 881/खनि/खनिज/उ.प/2021 कबीरधाम, दिनांक 11/12/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
2016-17	निरंक
2017-18	213.11
2018-19	14,524.59
2019-20	13,140.08

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खनिया का दिनांक 23/01/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – आरंभ पत्रक, इन्फार्मेशन मेमोरेन्डम प्लान एवं आरंभ कालीन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उपसंचालक (खनि प्रशासन), जिला–कबीरधाम–राजपत्रित प्रपत्र क्रमांक 878/ख.नि./लीज–1/2016 कबीरधाम, दिनांक 28/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के प्रपत्र क्रमांक/226/ख.नि./खनिज/ग.पट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 02/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित अन्य खदानों की संख्या शून्य है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के प्रपत्र क्रमांक/225/ख.नि./खनिज/ग.पट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 02/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है, जिसमें लीज की प्रदेश सरकारी के नाम पर जारी की गई है। पूर्व में लीज क्षेत्र 08 वर्ष अर्थात् दिनांक 23/09/2006 से 22/09/2006 तक की अवधि हेतु स्वीकृत। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र में 05 वर्षों की, दिनांक 23/09/2009 से 22/09/2014 तक की अवधि वृद्धि की गई थी। तत्पश्चात् पुनः लीज क्षेत्र में 20 वर्षों की, दिनांक 23/09/2014 से 22/09/2034 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा के प्रपत्र क्रमांक/तक.अधि./3841 कवर्धा, दिनांक 16/04/2021 के जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 250 मीटर एवं नेशनहेड अभ्यारण्य सिल्ली से 15 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुड़पुरनी 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–मुड़पुरनी 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल पंडरावाई 12.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.2 कि.मी. एवं रेलमार्ग 12.1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 3,30,993 टन, माईनेबल रिजर्व 2,80,988 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,58,661 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 3,08,017 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,26,773 टन शेष है। लीज की 2.5 मीटर सीमी

सीम पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4.515 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। लीज क्षेत्र में कुल मिट्टी की गहराई 1 मीटर है तथा कुल मात्र 11.32 घनमीटर है। कुल मिट्टी 820 घनमीटर को 7.5 मीटर (पर्याप्त कवरेज) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए तथा शेष कुल मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि पर संरक्षित रखने हेतु खान प्रतिकारी से अनुमति उपरांत भराईत किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की सम्भावित आयु 17 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अवैध खनिज निकाल उत्खनन प्रस्तावित नहीं है। लीज हैण्ड से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	15,221
द्वितीय	15,385
तृतीय	15,385
चतुर्थ	15,362
पंचम	15,384
षष्ठम	15,383

नोट: माईनिंग प्लान के अनुसार प्रथम से चतुर्थ वर्ष तक उत्खनन कार्य कर लिया गया है। तत्पश्चात से उत्खनन के बाद के अवधि को संरक्षणीय किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.26 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस आशय ग्राम पंचायत का अभ्यर्पति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 820 पेड़ वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – अनुविचारण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4.515 हेक्टेयर क्षेत्र होता है, जिसमें से कुछ भाग पूर्व में उत्खनित था, जिसका पुनर्वास पूर्ण किया गया है। पुनर्वास कार्य पूर्ण किये जाने के संबंध में फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये गये हैं।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार में वर्ष उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17.50	2%	0.35	Following activities at Government Middle School Village – Mudghusani	

			Rain Water Harvesting System	0.49
			Plantation	0.00
			Total	**0.54**

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा मानीय राजेश बिन्दल भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/226/ख.नि./खनिज/ए.पट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 02/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–मुकमुकी) का रकबा 1.7 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की पायी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मुकमुकी आर्टिमिनी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री प्रवीण श्रीवास्तव) की ग्राम–मुकमुकी, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम के खसरा क्रमांक 88 में स्थित संचालित चूनर (पीला खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.7 हेक्टेयर, क्षमता – 10,388 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/06/2021 की संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स मुकमुकी आर्टिमिनी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री प्रवीण श्रीवास्तव) की ग्राम–मुकमुकी, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम के खसरा क्रमांक 88 में स्थित संचालित चूनर (पीला खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.7 हेक्टेयर, क्षमता – 10,388 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया :–

"खदान बंद होने के उपरांत खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण के साथ–साथ वृक्षों के बीच में प्राकृतिक व पक्का तालाब जाये, जिससे पूरा क्षेत्रफल/भूमि सफल व विकसित की जैसा जा सके"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

18. मेसर्स एस.एस. स्टील एण्ड पॉवर, ग्राम-काजी, तहसील व जिला-रायगढ़ (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 656)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 66027/ 2018, दिनांक 06/06/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में दिनांक 18/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-काजी, तहसील व जिला-रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 22/12, 22/13 एवं 22/16, कुल क्षेत्रफल – 4.21 हेक्टेयर में प्रस्तावित कार्यालय के तहत इण्डक्शन फर्नेस (10 टन कुल 1 नग) (एम.एस. इंगोट) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इण्डक्शन फर्नेस सिंक सीरीज (10 टन कुल 2 नग) (एम.एस. इंगोट/बिलेट) क्षमता – 1,81,700 टन प्रतिवर्ष करने, प्रस्तावित डि-रोलिंग स्टील वोकहार्ट क्षमता – 1,48,704 टन प्रतिवर्ष (यू रोड बार्स), प्रस्तावित एच.बी. वीयर (सेमर ड्रॉईंग यूनिट) का एम.एस. वाईर (वाईर रॉड) क्षमता – 1,41,128 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु परियोजना का विनियोग रूपए 35 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 27/07/2018 द्वारा प्रकरण बी-1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधि. 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोसेसिंग/एक्सट्रेक्शन रिसोर्सेस इन्क्लूडिंग कोलिंग अन्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित कंडी 2(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन-फेरस) हेतु जारी किया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 18/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 24/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशिष अग्रवाल, चार्टर्ड एवं मेसर्स एनवीरो लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री सौरभ दी. जायसवाल, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति** – उद्योग को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **जल एवं वायु सम्मति** – क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ से एम.एस.इंगोट/बिलेट्स (यू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 04/02/2019 को जारी की गई है।
3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- समीपस्थ आबादी ग्राम-किरवुटी 0.8 किलोमीटर, पाली 0.7 किलोमीटर एवं शहर रायगढ़ 11.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन

किलोमीटर 0.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.8 किलोमीटर एवं राजमार्ग 1.7 किलोमीटर है। रेलवे नहीं 3 किलोमीटर एवं रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर की दूरी पर है।

- पश्चिम आबादि पर 1.7 किलोमीटर, नागा आबादि पर 2.1 किलोमीटर, बाजाराम आबादि पर 3 किलोमीटर, खरिकमारी आबादि पर 4 किलोमीटर एवं गाडीमल आबादि पर 2.1 किलोमीटर है।

- पर्यावरण प्रदूषण द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोलुटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना अभिलेखित किया है।

4. **क्षेत्र एवं परियोजना स्टेटस्टिक्स** – कुल क्षेत्रफल – 4.21 हेक्टेयर है, जिसमें से पेड़ एवं झाड़झंखाड़ का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, पेड़ एवं पौधे का क्षेत्रफल 0.41 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल 1.33 हेक्टेयर तथा शेष परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 1.47 हेक्टेयर (35 प्रतिशत) होगा। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

5. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी** –

S. No.	Product	Existing	Proposed
1.	MS Ingots / Billets	10 T X 1 No. Induction Furnace (30,000 TPA)	10 T X 5 Nos. Induction Furnace along with CCM (1,81,700 TPA)
2.	Rerolled Steel products	—	Hot Charging Rolling Mill (1,48,704 TPA)
3.	(a) HB Wire	—	Wire Drawing Facility (about 428 TPD) (1,41,328 TPA)
	AND / OR		
	(b) MS Pipe	—	Pipe Mill (1,41,328 TPA)

6. **बी-स्टेटिस्टिक्स** –

S. No.	Units	Raw Material	Quantity (In TPA)	Mode of Transport
1.	Induction Furnace	Sponge Iron	1,33,460	By Road (through Covered trucks)
		CI/Pig Iron / Heavy Scrap	33,847	
		Ferro Alloys & Aluminium	1,693	
		Ramming Mass and Refractory Lining	242	

2.	Rolling Mill	Hot Billet (for Hot Charging)	1,81,700	Internal transfer through conveyors
3.	Wire Drawing Unit	MS Wire	1,48,754	
	AND / OR			
	Pipe Mill	MS strip	1,48,754	Internal transfer through conveyors

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – सम्पत्ति द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बुशिंग, स्पंज ड्रेड के साथ बैग कलेक्टर तथा बैग फिल्टर एवं 33 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर कम करने के उद्देश्य से इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी बर्नर कलेक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। हॉट मटीरियल आधारित रोलिंग मिल में ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण साधन एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। न्यूमेटिक बर्नर उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है।

8. **ठोस अपशिष्ट आवहन व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्नेस से डिस्कार्डेड बिलेट – 3,300 टन प्रतिवर्ष, स्क्रेप – 19,311 टन प्रतिवर्ष एवं री-फेक्ट्री वेस्ट – 121 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। रोलिंग मिल से मिल स्केल – 4,851 टन प्रतिवर्ष एवं मिल स्लज/दग्ध कॉलिन 8,085 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। वीएम ड्राईंग इकाई से एम.एस. स्क्रैप 7,438 टन प्रतिवर्ष एवं पाईप मिल से एम.एस. स्क्रैप 7,438 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। डिस्कार्डेड बिलेट को स्पंज के इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्नेस में री-मेटेरियल के रूप में उपयोग किया जाएगा/बेचे इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। स्क्रैप को सेकण्ड सिकाबाड़ी इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। री-फेक्ट्री वेस्ट को अधिकृत विक्रेता/लेण्ड फिल को उपलब्ध कराया जाएगा। मिल स्केल को सीमेंट एनीकेज/रिसाईकलिंग प्लांट इकाईयों को विक्रय किया जाएगा। मिल सील/दग्ध कॉलिन, एम.एस. स्क्रैप (पाईप मिल से) एवं एम.एस. स्क्रैप (वीएम ड्राईंग यूनिट से) को पुनः इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्नेस के रूप में उपयोग किया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परिचालन हेतु कुल 137 घनमीटर प्रतिदिन (पेयजल उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं बुशिंग हेतु 127 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से की जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् भू-जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी में आवेदन किया गया है जो कि विचाराधीन है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है। बुशिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः बुशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी।

कर्मचारी के परिवार दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। परिवार दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। मूल निवासियों की स्थिति नहीं आएगी। कर्मचारी के भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू-जल अधीन प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) कृषक एवं पशुपालन उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर निकासी हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल एकत्रीकरण 46,000 घनमीटर है। कुल 6 नग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट्स निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। कर्मचारी के व्यक्तिगत उपयोग अंतर्गत 1 नग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट निर्मित है। अलावा निवास उपयोग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण एकत्रीकरण को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनसे सम्पन्न मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति प्रबंधन** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात परियोजना हेतु 15 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.वी.ए. के 3 नग डी.जी. सेट लगाये जायेंगे।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत हरित पट्टिका के विकास (10 मीटर से 15 मीटर चौड़ी लम्बाई) हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.47 हेक्टेयर (35 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

12. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

  i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 मार्च 2019 से 15 जून 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

  ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 18 से 30.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 51.1 से 74.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एस.ओ.$_2$ 6.7 से 15 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एन.ओ.$_{2}$ 13.1 से 24.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप है।

  iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता मानकीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 40.3 डीबीए से 54.8 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 36.7 डीबीए से 43.8 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुकूल है।

v. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आरोपक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर विभिन्न संरक्षण प्रतिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(ए.प्र.) तथा मुख्य वनपालों) के समक्ष दिनांक 20/05/2021 को आयोजन प्रस्तुत किया गया है। जो कि विचाराधीन है।

vi. भारी मशीनों / यातायात हेतु उपयोग को सम्भावित करते हुये ट्रैफिक आवागमन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें अनुसार अम्बा विस्तार के प्रस्ताव की डी-कोरियल / प्रोजेक्ट के परिवहन हेतु सहायक मार्ग की लंबाई कम निर्धारित मानक के भीतर है।

13. लोक सुनवाई दिनांक 26/05/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान बजारी मंदिर प्रांगण, ग्राम-लवाईमाल, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सहित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 17/05/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-**

i. ग्राम पंचायत गेरवानी, पाली, लवाईमाल में प्रदूषण से लोग प्रभावित है। प्रबंधन द्वारा प्रदूषण नियंत्रण यंत्र का संचालन नहीं किया जाता है।

ii. कोविड-19 महामारी के कारण केवल 100 व्यक्तियों को ही अपना विचार प्रकट करने की अनुमति प्रदान है, जबकि जनसुनवाई हेतु सभी को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

iii. पानी की व्यवस्था नहीं है। लोगों के लोगोंद्धार हेतु कार्यवाही नहीं की जा रही है।

iv. प्रभावितों के अवसर पर सहमति प्राप्त के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

i. प्रस्तावित परियोजना से प्रदूषण की रोकथाम हेतु इन्फ्लक्शन फर्नेस इकाईयों में उपयुक्त क्षमता की बैग फिल्टर लगाया किया जाएगा। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। परिसर के चारों ओर हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। साथ ही आवागमन मार्ग में भी पुनर्निर्माण किया जाएगा।

ii. भारत सरकार द्वारा कोविड-19 में लोक सुनवाई हेतु दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है। शासन द्वारा दिशा निर्देश के अनुपालन में एक स्थान पर 100 व्यक्तियों से अधिक अधिक सीमित कर तथा उपस्थिति 100 व्यक्तियों से

अधिक होने की दशा में समुचित पूर्ति पर दो पृथक-पृथक नम्बरान लगाये गये थे, जिससे सभी को अपना अभिमत रखने का अवसर मिल सके।

iii. ग्राम-पाली स्थित तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा एवं ग्राम-सभा के स्वामित्व में रखरखाव की व्यवस्था की जाएगी।

iv. विशिष्ट कौशलयुक्त के चयन के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्रशिक्षित की जायेगी।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** –परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विवरण से सम्बन्ध प्रस्तुत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
3500	1%	35	1. Following activities at 10 near by Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	8.00
			Potable Drinking water Facility	5.00
			Running water facility for Toilets	5.00
			Plantation with fencing	3.00
			2. Deepening and Maintainance of Pond at Village- Pali	15.00
			Total	35.00

प्रस्तावित कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-पाली, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-आवा, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-सिराईपानी, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-देवारी, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-डर्रीडीह, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-पुईकुर्री, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-बरपानी, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-आमाखाई, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-सिंगपुरी एवं नवीन प्राथमिक शाला ग्राम-सिमडीह में किया जाएगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार किया उपरान्त सर्वसम्मति से** निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. मैसर्स एस.एस. मोहित एण्ड पीयर, ग्राम-पाली, तहसील व जिला-बलरामपुर स्थित खसरा क्रमांक 22/12, 22/13 एवं 22/14, कुल क्षेत्रफल – 4.21 हेक्टेयर में प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् इण्डस्ट्रियल फर्नेस (10 टन गुणा 1 नग) (एम.एस. इंगोट) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इण्डस्ट्रियल फर्नेस सिद्ध सीरीज (10 टन गुणा 6 नग) (एम.एस. इंगोट/बिलेट) क्षमता – 1,81,200 टन प्रतिवर्ष

करने, प्रस्तावित टी-सेल सहित प्रोडक्ट्स क्षमता – 1,48,764 टन प्रतिवर्ष (बी. हीट चार्ज), प्रस्तावित एच.बी. सीम (सीम ड्रॉइंग यूनिट) का एम.एस. पाईप (पाईप मिल) क्षमता – 1,41,320 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

2. प्रदान मुख्य वन संरक्षक(वन्य प्राणी) एवं मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक के द्वारा अनुमोदित वन्य प्राणी संरक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/06/2021 को सम्पन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश वन संरक्षण अधिनियम 1980 व नियम-संशोधन नियम 2003 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में स्थित खसरा क्रमांक 22/12, 22/13 एवं 22/15, कुल क्षेत्रफल – 4.21 हेक्टेयर में प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत इस्पात फर्नेस (10 टन युक्त 1 नग) (एम.एस. इंगोट) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर इस्पात फर्नेस सिंक सीलीडर (10 टन युक्त 6 नग) (एम.एस. इंगोट/बिलेट) क्षमता – 1,41,700 टन प्रतिवर्ष करने, प्रस्तावित टी-सेल सहित प्रोडक्ट्स क्षमता – 1,48,764 टन प्रतिवर्ष (बी. हीट चार्ज), प्रस्तावित एच.बी. सीम (सीम ड्रॉइंग यूनिट) का एम.एस. पाईप (पाईप मिल) क्षमता – 1,41,320 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

19. मैसर्स श्रीमती मंजू अग्रवाल (देवीपुर आर्डिनरी स्टोन माईन), ग्राम–देवीपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर (सक्षिप्त का नस्ती क्रमांक 1236)

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्ताव नम्बर – एमएफ/ /सीजी /एमआईएल / 147780/2020, दिनांक 08/09/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रकरण खदान के उत्पादन क्षमता के विस्तारीकरण का है। यह पूर्व में संचालित खदान नम्बर (लीज खसरा) खदान है। खदान ग्राम–देवीपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1528, कुल क्षेत्रफल–0.405 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमोदित उत्पादन क्षमता – 2,283.8 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/09/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा गहनता से चर्चोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण आघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अनुमोदित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेदन की अवस्था स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक गहराई की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्व कार्यवाही / दस्तावेज (खदान भौतिकरण) के साथ आगामी पत्र की आवश्यक बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 25/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की गयीं सूचना उपरांत अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं चर्चा करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत टेमीपुर का दिनांक 11/10/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **वनक्षेत्र योजना** – खदान पान एवं कार्य कलेक्टर पहाड़ सिंघ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो वन अधिकारी (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के द्वारा क्रमांक 3439/खनिज/2018 सूरजपुर, दिनांक 22/12/2018 द्वारा अनुमोदित है। कार्य कलेक्टर पहाड़, माईनिंग प्लान के अंतर्गत है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के द्वारा क्रमांक 3284/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 30/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 1.888 हेक्टेयर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के द्वारा क्रमांक 3284/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 30/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 1.888 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें क्षेत्रफल निर्माणाधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानें के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसीमा के बीच दूसरे उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसीमा से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु प्रोपोजिशनल मिनरल क्षेत्र में निर्माणाधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र बनाया जाना आवश्यक है।

4. **300 मीटर की परिधि में स्थित कार्मिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बुरहानपुर के ज्ञापन क्रमांक 3265/खनिज/2020 बुरहानपुर, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 300 मीटर की परिधि में कोई भी कार्मिक क्षेत्र जैसे मंदिर, गोदाम, मकान, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, हाई लाईन, नहर एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. **लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज कीमती मधु अग्रवाल के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 13/02/2009 से 12/02/2019 की अवधि तक थी। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र में दिनांक 13/02/2019 से 12/02/2039 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।

6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. **वन विभाग का अपापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपसंचालक(विकास), पश्चिम वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक /म.वि./51/2020 अम्बिकापुर, दिनांक 28/01/2020 से जारी अपापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–देवीपुर 0.93 कि.मी., स्कूल ग्राम–देवीपुर 2.4 कि.मी., अस्पताल ग्राम–बुरहानपुर 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.2 कि.मी. दूर है। सिंचाई नहरें 5.45 कि.मी., नाला 1.4 कि.मी. एवं तालाब 0.37 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – पर्यावरण प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, केन्द्रीय अभयारण्य चिड़ियाघर, राष्ट्रीय वाटिका, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 19,231 टन, माइनेबल रिजर्व 21,712 टन एवं सिलेबोल रिजर्व 26,541 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.988 हेक्टेयर) क्षेत्र छोड़ा है। अयस्क बाहर लेकी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 4.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 320 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष प्रथम क्षेत्र	177	1.5	265.5 + 320	2,064.4
प्रथम वर्ष द्वितीय क्षेत्र	139	1.5	208.5	
द्वितीय वर्ष प्रथम क्षेत्र	209	1.5	313.5	1921.5
द्वितीय वर्ष द्वितीय क्षेत्र	176	1.5	264	
तृतीय वर्ष प्रथम क्षेत्र	253	1.5	379.5	1723.5
तृतीय वर्ष द्वितीय क्षेत्र	189	1.5	283.5	

चतुर्थ वर्ष प्रथम बेंच	261	1.5	391.5	1761.1
चतुर्थ वर्ष द्वितीय बेंच	188	1.5	282	
पंचम वर्ष प्रथम बेंच	260	1.5	390	1752.0
पंचम वर्ष द्वितीय बेंच	192	1.5	288	

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवें वर्ष प्रथम बेंच	299	1.5	224.25+149.5	1803.50
छठवें वर्ष द्वितीय बेंच	239	1.5	358.5	
सातवें वर्ष प्रथम बेंच	345	1.5	258.75+172.5	2146.80
सातवें वर्ष द्वितीय बेंच	263	1.5	394.5	
आठवें वर्ष प्रथम बेंच	359	1.5	538.5	2379
आठवें वर्ष द्वितीय बेंच	251	1.5	376.5	
नौवें वर्ष प्रथम बेंच	337	1.5	505.5	2382.9
नौवें वर्ष द्वितीय बेंच	274	1.5	411	
दसवें वर्ष प्रथम बेंच	282	1.5	423	2363.0
दसवें वर्ष द्वितीय बेंच	214	1.5	321	
दसवें वर्ष तृतीय बेंच	346	1.5	519	

11. **जल आपूर्ति** – परिचालन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.48 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 416 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 115 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष वृक्षारोपण मानसून के पूर्व किया जाना प्रस्तावित है।

13. **प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परिचालन प्रबंधक द्वारा बताया गया कि लीज की 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्र के 625 मीटर क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। परिचालन प्रबंधक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र के 400 मीटर क्षेत्र में ओवर बर्डन का भराव कर 80 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में गनपत खदान खसरा क्रमांक 1528, कुल क्षेत्रफल – 2.409 हेक्टेयर, लगभग – 1.047 घनमीटर (2,722.2 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण आकलन निर्देशन प्राधिकरण, जिला–कुरसेला दिनांक 03/02/2017 को जारी की गई है। यह स्वीकृति दिनांक 12/02/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

14. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन दिनांक 18/05/2020 द्वारा दिनांक वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

अवधि	उत्खनन (घनमीटर)
दिनांक 13/02/2009 से 31/12/2009	—
दिनांक 01/01/2010 से 31/12/2010	1,647
दिनांक 01/01/2011 से 31/12/2011	946
दिनांक 01/01/2012 से 31/12/2012	1,290
दिनांक 01/01/2013 से 31/12/2013	2,664
दिनांक 01/01/2014 से 31/12/2014	972
दिनांक 01/01/2015 से 31/12/2015	1,263
दिनांक 01/01/2016 से 31/12/2016	1,178
दिनांक 13/02/2017 से 31/12/2017	216
दिनांक 01/01/2018 से 31/12/2018	376
दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2020	819
दिनांक 01/01/2020 से 12/02/2020	210

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2014 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के मांग विवरण से वर्षों उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.08	2%	0.68	Following activities at Govt Primary School Kawarpara Village-Devipur	
			Rain Water Harvesting System	0.52
			Running Water Arrangement	0.15
			Plantation	0.05
			Books Distribution related to Environment Conservation	0.05
			Total	0.67

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि प्रकरण प्रथम निस्तार का है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मंत्रालय अथवा आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्खनन पर्यावरणीय से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. महानिदेशक विभाग से प्रस्तावित क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/03/2021 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/05/2021 को आवेदन निरस्त करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(घ) समिति की 314वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

समिति द्वारा मंत्री, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर, परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/05/2021 द्वारा आवेदन को वापस लिये जाने का लेख किया गया है।

समिति द्वारा विचार किया गया प्रकरण सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को क्लोज/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/06/2021 को संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मंत्री का अवलोकन किया गया। विचार किया गया प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को क्लोज / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

20. मेसर्स चामक एनर्जी एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट-2), ग्राम-कापा, तहसील व जिला-रायपुर (अधिवाहन का मंत्री क्रमांक 1587)

ऑनलाईन आवेदन – प्रोपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईए/सी/ 202223/ 2021, दिनांक 08/03/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम विस्तार के तहत ग्राम-कापा, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 13/4, 13/7, 84/1, 84/2, 90/1, 90/2, 94/2, 95/2, 98, 92/3, 92/4, 92/5, 89 एवं 94/3, क्षेत्रफल – 5.195 एकड़ में प्रस्तावित इण्डस्ट्रियल फर्नेस विलेट क्षमता – 58,400 टन प्रतिवर्ष (2 यूनिट) व टीएमटी फर्नेस बिल सीसीएम् एवं रिहीटिंग फर्नेस अस्थापित रोलिंग मिल क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 88,400 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। क्रमागत विस्तार के तहत परियोजना का विनियोजित व्यय 27.25 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **कार्यवाही की निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. भूमि स्वामित्व / भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
2. वर्तमान तेंदूपत्ता मिल में टी–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया गया है अथवा नहीं? अथवा विस्तार के तहत् तेंदूपत्ता मिल में टी–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? टी–हीटिंग फर्नेस स्थापित है तो टी–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रदूषण ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी। अथवा विस्तार के तहत् तेंदूपत्ता मिल में यदि टी–हीटिंग फर्नेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है तो टी–हीटिंग फर्नेस की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रदूषण ईंधन के आधार पर चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता के उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उत्पादन उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।
4. सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल क्षेत्र क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जावे। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. प्रस्तावित ग्राउंड वाटर निकासी व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (स्केच एवं लाईन सहित) प्रस्तुत की जाए।
6. ई–ग्रास में प्रस्तावित प्लांटेशन को दर्शाते हुये प्लांटेशन की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जावे। प्लांटेशन हेतु कमिटमेन्ट प्रस्तुत की जाए।
7. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रस्ताव कॉपीदारवार) के साथ प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(अ) समिति की 307वी बैठक दिनांक 04/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निखिल पटेल, डीएजीएम रिलिजेंट कन्सल्टिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का आकलन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**
   - सेंट्रल कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से टी–हीटिंग मिल क्षमता – 30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति

पर्यावरण दिनांक 31/11/2020 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 30/09/2023 तक वैध है।

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सहमति शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. निकटतम स्थित विद्यालयों संबंधी जानकारी –

- निकटतम आबादी ग्राम–बाना 0.7 कि.मी. एवं नगर रायपुर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन सलौना 6.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्थानी विधेयानंद विद्यालय, भाना, रायपुर 24 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 0.55 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. क्षेत्र प्रस्ताव मेट्रिक्स –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1	Induction Furnace	1,300	6.18
2	Rolling Mill	2,100	9.98
3	Finished Good storage	2,987	14.21
4	Raw Material Yard	1,800	8.56
5	Parking Area	1,200	5.7
6	Road Area	4,050	19.27
7	Greenbelt	7,590.48	36.1
	Total	**21,027.48**	**100**

4. बी–मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
		For Billets		
1.	Sponge Iron	49,943	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scrap	15,024	Open Market	By Road (through covered trucks)
3.	Alloys	653	Open Market	By Road (through covered trucks)
		For Rolling Mill		
1.	Billets	59,400	In-house billets	Conveyor

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Existing Capacity	Capacity After Expansion
1.	Reheating Furnace based Rolling Mill of Capacity - 30,000 TPA	Re-rolling Mill of Capacity - 58,600 TPA (Reheating Furnace)
2.	-	Induction Furnace with CCM of capacity - 59,400 TPA

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। सी-डीटिंग फर्नेस आवश्यक रोलिंग मिल में स्थापित एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। उक्त स्थापित सी-डीटिंग फर्नेस को विस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के अन्तर्गत हीट ट्रीटिंग आवश्यक रोलिंग मिल की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। हीट ट्रीटिंग आवश्यक रोलिंग मिल में ईंधन का उपयोग नहीं करने के कारण रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र एवं चिमनी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित नहीं है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

7. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था** – वर्तमान में सी-रोलिंग मिल से मिल स्केल 600 टन प्रतिवर्ष, मिल स्लज/एण्ड कटिंग 450 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश 750 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरान्त इण्डक्शन फर्नेस से स्लैग – 4,072 टन प्रतिवर्ष एवं सी-रोलिंग मिल से मिल स्केल 600 टन प्रतिवर्ष, फिल्टर डस्ट 0.5 टन प्रतिवर्ष एवं फ्यूज्ड कास्ट 450 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। स्लैग को स्लैग क्रशिंग इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। मिल स्केल एवं फिल्टर डस्ट को स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस में पुनःउपयोग किया जाएगा। फ्यूज्ड कास्ट को अधिकृत रिफ्रेक्टरी इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। यही व्यवस्था वर्तमान में अपनाई गई है। वर्तमान में उत्पन्न ऐश को ईंट निर्माण इकाईयों को उपलब्ध कराया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत ऐश उत्पन्न नहीं होगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्रोत** – वर्तमान में परिचालन हेतु कुल 18 घनमीटर प्रतिदिन का उपयोग किया जा रहा है। प्रस्ताव विस्तार उपरांत परिचालन हेतु कुल 34 घनमीटर प्रतिदिन (कूलिंग हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल माइनर वॉटर अथॉरिटी से अनुमति बाबत् आवेदन किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को रोका कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग जल सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(ii) पुनः एवं लगभग उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(iii) वाराणसी वाटर रिसोर्स हेतु आपनाई गई तकनीक जैसा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के अलावा भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल वाराणसी वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उसमें की रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल स्थलीय 13.557 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अन्तर्गत 8 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण स्थलीय को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें सम्पन्न मात्रा में वर्षा जल का भराव हो सके।

9. **कोयले की मात्रा** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान स्थापित री-हीटिंग आधारित रोलिंग मिल में प्रति टन तैयार प्रोडक्ट्स के निर्माण हेतु 12,000 किलोग्राम प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत उक्त स्थापित री-हीटिंग फर्नेस को डिमोलिशन कर हॉट रोलिंग आधारित रोलिंग मिल स्थापित किया जाएगा।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्प्रति प्रायः स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / पुनःचक्रण, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में प्रायः उत्सर्जन की मात्रा 14,109 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित केन मिल्स एवं सिन्टी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने के प्रायः उत्सर्जन की मात्रा 11,404.8 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को पुनःउपयोग किया जाएगा तथा शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में इकाई से कुल 2,852 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 5,062.5 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का प्रबन्धन उपबंधानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि जिसे पुनःउपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपयोग की मात्रा में वृद्धि होना संभावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – परियोजना हेतु 8 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति मैसर्स राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकोस्टिक्स इन्क्लोजर में स्थापित किया जाएगा।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु 617 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत 1.88 एकड़ (36.1 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,280 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

13. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (C.S.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1000	1%	10.0	Following activities at 4 Nearby Government Schools and Panchayat Bhawan	
			Rain Water Harvesting System	5.34
			Potable Drinking Water Facility	2.10
			Running Water Facility	1.40
			Plantation	1.20
			Total	10.04

प्रस्तावित कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–पूरा, प्राथमिक शाला ग्राम–बारा, प्राथमिक शाला ग्राम–खारी, प्राथमिक शाला ग्राम–केरता एवं ग्राम पंचायत भवन ग्राम–बारा में किया जाएगा।

14. प्रस्तुत ई–आवेदन पत्रक में पुष्पारोपण क्षेत्र 36 प्रतिशत क्षेत्र बताया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि क्षेत्र डिस्टिंक्टली वीलनेरेबल एरिया के अंतर्गत आता है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा डिस्टिंक्टली वीलनेरेबल एरिया में स्थित उद्योगों को कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र पर पुष्पारोपण किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः उद्योग के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र पर पुष्पारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. संयंत्र में स्थित उद्योग तथा अन्य स्थान विस्तार उपरांत भूमि उपलब्धता तथा निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल, पर्यावरण कर, हरित पट्टी व अन्य की पृथक–पृथक ई–आवेदन में प्रदर्शित कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. उद्योग के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र पर पुष्पारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 307वी बैठक दिनांक 04/06/2021 के परिक्रम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 314वीं बैठक दिनांक 01/06/2021

समिति द्वारा गवाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1	Induction Furnace	1,300	6.18
2	Rolling Mill	2,050	9.70
3	Finished Good storage	2,600	12.37
4	Raw Material Yard	1,800	8.56
5	Parking Area	1,550	7.38
6	Road Area	3,227	15.35
7	Green belt	8,500.48	40.4
Total		21,027.48	100

2. प्रस्तावित कार्यकलाप के लगभग 2.1 हजार (40.4 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

3. वर्तमान उद्योग में प्रस्तावित अथवा विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

4. स्थल के आसपास कई उद्योग स्थापित एवं संचालित है।

5. अथवा विस्तार उपरांत हीट पार्टिक्यूलेट प्रदूषित स्रोत के लिए प्रदूषणकृत का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। हीट पार्टिक्यूलेट प्रदूषित के लिए प्रदूषणकृत का उत्पादन कार्यों एवं प्रायुक्तिक संसाधनों के संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण कारक है। अथवा विस्तार के प्रतिफल उत्पादित होने वाले पार्टिक्यूलेट मेटर की मात्रा में वृद्धि, प्रतिदिन उत्पादन से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे अन्य उपयोगों हेतु पुनःचक्रण किया जाएगा तथा जल उपभोग की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि होने से पर्यावरणीय घटकों पर विपरित प्रभाव पड़ने की संभावना नगण्य है।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. सं. J-13012/12/2013-IA-III दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' श्रेणी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए है, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए है–

'Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates.'

7. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (तथा संशोधित) के पैरा 7(iii)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

6. समिति का कार्यकारणी से यह मत था कि प्रस्तावित खनन विस्तार अवधि इन्क्लाइन फार्मेस से हॉट मेटल तैयार कर बी.बी.ओ.एस. के माध्यम से लोहित मिल में परिवर्तित (आधुनिक प्रक्रिया हॉट मार्केटिंग विधि से) कर सीधा उपयोग करने एवं प्रतिदिन सीधा प्रोडक्शन पश्चात हेतु प्रयुक्त ईंधन (कोयले) की बचत होने से प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी परिलक्षित होती है। खनन विस्तार उपरांत अवधि में कुल 11,220 घनमीटर प्रतिवर्ष जल की आवश्यकता होगी। जलापूर्ति द्वारा अपने क्षेत्र में कुल 13,887 घनमीटर जल, लेन सीटर डार्मिटरी द्वारा संचय किया जाएगा। समस्त कार्य से अवधि एवं प्रस्तावित अनुपात नियंत्रण व्यवस्थाओं, नूतन निस्तारण कार्यों रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी जिसे अन्य उपयोगी हेतु पुनःउपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपशिष्ट करने, जल उपभोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होने तथा कम्पनी विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापन की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की सम्भावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (तथा संशोधित) के पैरा 7(iii)(a) के प्रावधान के तहत, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यकारणी से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता परिलक्षित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यकारणी से निर्णय लिया गया** कि खनन विस्तार के तहत मेसर्स भारत एलॉयज एण्ड मोल्ड प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2), ग्राम–बाना, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 13/4, 13/7, 84/1, 84/2, 90/1, 90/2, 94/2, 95/2, 96, 92/3, 92/4, 92/5, 88 एवं 94/3, क्षेत्रफल – 5.106 एकड़ में प्रस्तावित इन्क्लाइन फर्नेस विशेष क्षमता – 58,400 टन प्रतिवर्ष (2 नुग 10 टीपीएच फर्नेस सिंग टीपीएच) एवं डी–डीटिंग फर्नेस आधारित लोहित मिल क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष को बढ़ाकर हॉट मार्क आधारित लोहित मिल में परिवर्तित कर डी–लोड लोहित प्रोडक्शन क्षमता 58,000 टन प्रतिवर्ष करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/06/2021 को संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा कार्यकारणी से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये खनन विस्तार के तहत मेसर्स भारत एलॉयज एण्ड मोल्ड प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2), ग्राम–बाना, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 13/4, 13/7, 84/1, 84/2, 90/1, 90/2, 94/2, 95/2, 96, 92/3, 92/4, 92/5, 88 एवं 94/3, क्षेत्रफल – 5.106 एकड़ में प्रस्तावित इन्क्लाइन फर्नेस विशेष क्षमता – 58,400 टन प्रतिवर्ष (2 नुग 10 टीपीएच फर्नेस सिंग टीपीएच) एवं डी–डीटिंग फर्नेस आधारित लोहित मिल क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष को बढ़ाकर हॉट मार्क आधारित लोहित मिल में परिवर्तित कर डी–लोड लोहित प्रोडक्शन क्षमता 58,000 टन प्रतिवर्ष करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिलिपि प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

(ए.के.सिंह)

21. मैसर्स श्री बबलू साहू (अरेकेला सैण्ड माईन, ग्राम-अरेकेला, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़), ग्राम-तमनार, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (समिवाराय का नवमी क्रमांक 1387)

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्ताव नम्बर – एम्पाइर/ सीजी/ एम्पाइरन/ 173487/2020, दिनांक 11/09/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-अरेकेला, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 805, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में है। उत्खनन पद्धति नदी के किनारे आता है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता-12,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **उपस्थित सदस्यगण के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी पाट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी पाट के सारे (Levels) का भी कर्व किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) स्थापित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उनके खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अभिशासी कर से करवाया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका नीचे पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर अधिकतम में उपलब्ध रेत की गहराई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

6. पूर्व में आवंटित खदान का खनन हेतु राज्य स्तर पर पर्यावरण अभ्यावेदन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण अभ्यावेदन निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त मांगी के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्वास की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी सहित विवरण से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अपनाई गई की अवधारित कैलेंडर में उपलब्ध समस्त सूचनाएं जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 28/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 343वीं बैठक दिनांक 04/11/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की बबलू साहू प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा स्थली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत उरेकोना का दिनांक 10/01/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर रक्षित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के द्वारा क्रमांक 4088/ख.नि–1/वि/ 2020 रायगढ़, दिनांक 08/09/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के द्वारा क्रमांक 4088/ख.नि–1/2020 रायगढ़, दिनांक 08/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अवस्थित ग्राम रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के द्वारा क्रमांक 4088/ख.नि. –1/2020 रायगढ़, दिनांक 08/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, पुल, बांध, एनिकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एन.ओ.सी. का विवरण** – एन.ओ.सी. श्री बबलू साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के द्वारा क्रमांक 3012/ख.नि.–1/रेत नीलामी/2020 रायगढ़, दिनांक 25/04/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2010 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अरोखेत 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–अरोखेत 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल लक्सर 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 9 कि.मी. दूर है। पूरा खदान क्षेत्र के बीच में स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 50 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 2,000 मीटर पूर्व चौड़ाई – औसत 20 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 5 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खनन स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 1.5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित खनिज योजना अनुसार खदान में भाईमिक्स रेत की मात्रा – 12,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत स्तर की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का भान कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 1.48 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु एनेक्चर भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

    i. पूर्व में सलारू, ग्राम पंचायत अरोखेत के पास से रेत खदान खसरा संख्या 605, लीज़ क्षेत्र 4 हेक्टेयर, क्षमता – 4,499.428 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण आकलन निर्देशिका प्राधिकरण, जिला–रुद्रपुर की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/05/2018 के द्वारा जारी किया गया है।

    ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। पाट अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

    iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रुद्रपुर के ज्ञापन क्रमांक 4204/खनि–1/रेत/2020 रुद्रपुर, दिनांक 18/09/2020 के अनुसार वर्ष 2018–19 में 7,500 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

    iv. निर्धारित मानकानुसार ड्रेजिंग नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के आगे लगभग 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर के बिच बिन्दुओं पर दिनांक 15/08/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/एनक्लोजर प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
44.52	2%	0.89	Following activities at Nearby Government Primary School **Village- Jarakola**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Plantation	0.15
			Total	0.90

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई लगभग 2,000 मीटर है, जिसमें पूरा खदान क्षेत्र के बीच से निकला है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4066/खनि–1/2020 रायगढ़, दिनांक 05/09/2020 द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार नदी के पाट की औसत चौड़ाई 30 मीटर, खनन क्षेत्र की औसत लंबाई लगभग 2,000 मीटर एवं औसत चौड़ाई 30 मीटर बताई गई है तथा खदान की संचालन सीमा से नदी के तट की न्यूनतम दूरी 5 मीटर होना बताया गया है। खनन स्थल की लंबाई अधिक होने के कारण नदी के पाट की चौड़ाई तथा खदान की संचालन सीमा से नदी के तट की न्यूनतम दूरी विभिन्न स्थानों पर भिन्न–भिन्न है। अतः प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की वास्तविक दूरी एवं खदान की नदी तट से वास्तविक दूरी की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. नये गाईडलाईन अनुसार किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के आरंभिक में न्यूनतम 500 मीटर तथा अवसानबिन्दु में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है। प्रस्तुत माईनिंग प्लान अनुसार पुल के आरंभिक में 250 मीटर एवं अवसानबिन्दु में 500 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिससे उत्खनन क्षेत्र का विस्थापन कर उत्खनन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

17. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के आरंभिक तथा अवसानबिन्दु में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, प्रतिवेदन में रेत स्तर के लेवल (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया गया है। नदी के पाट की औसत चौड़ाई 30 मीटर दर्शाई गयी है। अतः 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड पर रेत स्तर के लेवल्स (Levels) हेतु उपयुक्त स्थल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अतः उसमें सभी 5 मीटर गुणा 5 मीटर का ग्रिड बनाकर किया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की वास्तविक दूरी एवं खदान की नदी तट से वास्तविक दूरी की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। तदनुसार नैर माइनिंग क्षेत्र एवं माइनिंग क्षेत्र को स्पष्ट चिन्हांकन करते हुए संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुणा 5 मीटर का ग्रिड बनाकर, सर्वेक्षण में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल्स (Levels) का भी सर्वे किया जावे।

3. पुल/एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपलब्धतानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 07/12/2020 के परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 02/01/2021 प्रस्तुत की गई है।

(ग) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की औसत चौड़ाई – 30 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 2,500 मीटर एवं औसत चौड़ाई – 30 मीटर दर्शाई गई है। खदान नदी तट से 5 मीटर की दूरी पर है।

2. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 5 मीटर गुणा 5 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 10/11/2020 को रेत सतह के वास्तविक लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें वास्तविक विवरण से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

3. **नैर माइनिंग क्षेत्र** –

   i. नदी के पाट की औसत चौड़ाई 30 मीटर है, जबकि खदान नदी तट से 5 मीटर की दूरी पर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माइनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 7,500 वर्गमीटर नैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है।

ii. पूरा खदान क्षेत्र के बीच में स्थित है। नदी गाइडलाईन अनुसार पूरा नदी दोनों खदान की आरएल्टीन में न्यूनतम 500 मीटर तथा आरएल्टीन में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। अतः पूरा की तरफ से आरएल्टीन में न्यूनतम 250 मीटर तथा आरएल्टीन में न्यूनतम 500 मीटर जमीन का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। माईनिंग प्लान अनुसार 2.38 हेक्टेयर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

iii. उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में कुल गैर माईनिंग क्षेत्र 2.12 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 0.88 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

4. परिसीमन प्रस्तावक द्वारा रेत की उपलब्धि गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध औसत गहराई 1.40 मीटर है। उक्त पंचनामा से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 1.40 मीटर गहराई के नीचे रेत की उपलब्धता है अथवा नहीं? इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही से निर्णय लिया गया था कि परिसीमन प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर उपलब्ध रेत की गहराई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई./ए.सी. छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 24/02/2021 के पत्रांक से परिसीमन प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 01/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ट) समिति की 274वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का आकलन एवं परीक्षण करते हुए निम्न स्थिति पाई गई—

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की गहराई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, पंचनामा सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की गहराई 2.5 मीटर है।

2. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

3. परिसीमन प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया गया है। यद्यपि नदी सूखी नहीं है तथा इसमें वर्षाकाल में लगभग 1 मीटर गहराई के अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम-अमेरोल) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में संरक्षित/संवेदनशील खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधानिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत उत्खनन क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत भाग अध्ययन (Dilation Study) करवायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) कारक सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं भूमि जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की साइट का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं दिक बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित दिक बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं दिक बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जायेगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित दिक बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अप्रैल 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एम.ई.आई.टी.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार किये उपरांत सर्वसम्मति से की बकरू साहू, जोकेला सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 625, ग्राम–जोकेला, तहसील–लमनी, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से नॉन माईनिंग क्षेत्र 31,200 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 0.68 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 6,400 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु किये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में अधिक गहराई तक रेत का चयनित ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

6. नॉन माईनिंग क्षेत्र एवं अन्यत्र माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से सत्यापन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जायेगी।

पर्यावरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रभावित की दिनांक 24/06/2021 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्रभावित द्वारा भाग का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्रभावित द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की बकरू साहू, जोकेला सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 625, ग्राम–जोकेला, तहसील–लमनी, जिला–गरियाबंद, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से नॉन माईनिंग क्षेत्र 31,200 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 0.68 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए,

कुल 4,600 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

22. मैसर्स श्री बबलू साहू (कसडोल सैण्ड माईन, ग्राम–कसडोल, तहसील–तपकरा, जिला–रायगढ़), ग्राम–तपकरा, तहसील–तपकरा, जिला–रायगढ़ (अधिवक्ता का नवीन क्रमांक 1388)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमआईए/ सीजी/ एमआईए/ 172284/2020, दिनांक 11/08/2020।

प्रकरण का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गैर खनिज) है। यह खदान ग्राम–कसडोल, तहसील–तपकरा, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 46, कुल लीज क्षेत्र 5.5 हेक्टेयर में है। उत्खनन मशीन से किया जाता है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता–16,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्खनन **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पुल 25 मीटर का रिच बनाकर, वर्तमान में रेत स्तर के लेवल (Levels) लेकर रिच मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी स्तर के लेवल (Levels) का भी ली किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। रिच मैप में टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उसे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. नदीगर्भ से खदान की गहराई की दूरी न्यूनतम 1.5 मीटर या नदी के पाट की गहराई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अतिरिक्त रूप से बनाया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थान से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति संयंत्र की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका नीचे पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में पूरा संबंध उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर उपलब्ध रेत की मात्रा जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु उत्खनन भी प्रस्तुत किया जाये।

6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुराकालीन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अपनी मात्रा की आपेक्षित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 343वीं बैठक दिनांक 04/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बबलू साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कमकोटा का दिनांक 08/04/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **विस्थापित/प्रभावित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विस्थापित/प्रभावित कर्ता नहीं है।

3. **उत्खनन योजना** – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4103/ख.नि–1/रेत/2020 रायगढ़, दिनांक 08/09/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4107/ख.नि–1/2020 रायगढ़, दिनांक 08/09/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के दायरे अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षण** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4108/ख.नि–1/2020 रायगढ़, दिनांक 08/09/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, पुल, बांध, एनिकट एवं जल आपूर्ति आदि अधिसूचित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एस.डी.आई. का विवरण** – एस.डी.आई. श्री बबलू साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 3211/

ख.नि.–1/रेत नीलामी/2020 रायगढ़, दिनांक 25/04/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कनकोरा 1.2 कि.मी., राष्ट्रीय ग्राम–कनकोरा 1.1 कि.मी. एवं अन्तर्राज्यीय सरहद 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। रायल्टी 6 कि.मी. दूर है। पुल खदान से 500 मीटर की दूरी पर कोई नहीं पर स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परिसीमन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खदान स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 56 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – 850 मीटर एवं गहराई – 50 मीटर दर्शाई गई है। खदान नदी तट से लगी हुई है, जबकि इसकी नदी तट के न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 1.5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 36,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत स्तर की गहराई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी प्रस्तावित गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 1.4 मीटर है। रेत की प्रस्तावित गहराई हेतु पर्याप्त भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में ग्राम पंचायत कनकोरा के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 40 क्षेत्रफल 3.0 हेक्टेयर, मात्रा – 36,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभावांकन निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायगढ़ की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/10/2017 को जारी की गई।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गत अवधि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साधन), जिला–रायगढ़ के द्वारा क्रमांक 4205/ख.नि.–1/रेत/2020 रायगढ़, दिनांक 18/09/2020 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2017–18	4,500
2018–19	3,000

   iv. निर्धारित मानकानुसार ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत खनन की क्षेत्रमूल** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित ब्लाक एवं प्रस्तावित ब्लाक के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 28 मीटर पुनः 28 मीटर के पिट बिन्दुओं पर दिनांक 15/06/2020 को रेत खनन के कार्यस्थल नेटवर्क (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39.58	2%	0.79	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Kasdol	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Plantation with fencing	0.15
			Total	0.80

15. **बफर मार्जिन क्षेत्र** – नदी के तट की चौड़ाई 60 मीटर है, जबकि खदान नदी तट से लगी हुई है। भारी दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट से किनारे से 10 प्रतिशत प्रतिबंधक उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। संशोधित माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट से नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत की दूरी तक का क्षेत्र उत्खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें 7.5 हेक्टेयर बफर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एक्सकेवेटर का कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तकनीकी आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया गया है। परंतु नदी प्रवाही नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा तत्पश्चात पर्यावरणीय से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. आवंटित खदान (ग्राम–कासडोल) का रकबा 2.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान श्रे–2 श्रेणी की पाई गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – उपलब्धता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पौधे – 600 नग आंवला के पौधे तथा शेष 600 नग (सागौन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद आवलन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) कार्य सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं मृदा जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी दिन बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा चयन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित दिन बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (नई नाप के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी दिन बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित दिन बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) की मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। जोन-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अप्रैल 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. मांगित द्वारा निकाल किसी उपयोग सर्वेक्षणकर्ता से भी बम्बू वाटू, कलाडोल सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 46, ग्राम-कलाडोल, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली कुल लीज क्षेत्रफल 3.5 हेक्टेयर में से पैर माईनिंग क्षेत्र 18,000 एम्.सी.एम. क्षेत्र कम करने पर 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 18,000 एम्.सी.एम. अतिरिक्त रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी मशीनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र के सिवा रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लगभग चाईस तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का नीचे पर खनिज निकाल से तल परिष्करण करने के उपरांत ही खनिज निकाल द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जायेगी।

7. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व एस.ई.आई.ए.ए. निर्धारित दिन बिन्दुओं पर नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर (प्रीमानसून), उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जाने।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/12/2020 की सम्पन्न 102वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया एवं पाया गया कि प्रस्तुत अनुशंसित माईनिंग प्लान में अधिक पर रेत की गहराई – 1.5 मीटर तथा रेत खनन की अनुमतित गहराई – 1 मीटर दर्शाई

गई है तथा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4708/खनि-1/रेत/2020 रायगढ़, दिनांक 08/09/2020 के अनुसार खदान क्षेत्र में रेत की उपलब्ध औसत गहराई 1.46 मीटर है। रेत उत्खनन 1 मीटर गहराई तक किये जाने से प्रस्तावित खनन क्षेत्र का केवल 0.46 मीटर ही रेत शेष होगी। पर्यावरणीय दृष्टिकोण के नहीं पर केवल 0.46 मीटर रेत की गहराई कम प्रतिपादित होती है। अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से रेत उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई को निर्धारित किये जाने हेतु पुनर्विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ग) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 09/01/2021:

समिति द्वारा गत्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत पंजियन के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध औसत गहराई 1.4 मीटर है। उक्त पंजियन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 1.4 मीटर गहराई के नीचे रेत की उपलब्धता है अथवा नहीं? इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बेड रॉक (Bed Rock) के ऊपर उपलब्ध रेत की गहराई संबंधी जानकारी (पंजियन सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/02/2021 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 01/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(घ) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

समिति द्वारा गत्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत मात्रा की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, पंजियन सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की गहराई 2.7 मीटर है।
2. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वर्तमान रेत पुनर्भरण तकनीकी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का अवलोकन नहीं किया गया है। पानी नहीं रोकी गयी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. आवेदित खदान (ग्राम–अमसोला) का रकबा 3.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **पुनर्वासपरक कार्य** – प्राक्कलन के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पौधे – 800 नग आंवला के पौधे तथा शेष 400 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त चेकडेम कार्य पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. पर्यावरण प्रभावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Dilation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) कार्य नदी अधिनियम, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं वन्य जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत खनन अवधि मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी दिन बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित दिन बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी दिन बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जायेगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित दिन बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अप्रैल 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एम.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री बबलू साहू, अमसोला सेन्ड माईनर, खसरा क्रमांक 46, ग्राम–अमसोला, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 3.5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 16,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 1.6 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 0.7 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 11,200 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढों (Excavation pits) में अंतिम खाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का सीमांकन खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जायेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/06/2021 को संपन्न 152वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की खसरा नम्बर 44, ग्राम–कमसीन, तहसील–लक्सर, जिला–हरिद्वार, कुल क्षेत्रफल 3.5 हेक्टेयर में से नैन माइनिंग क्षेत्र 15,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करते 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 2.7 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 11,200 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परिसीमन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

22. मेसर्स श्री मुहम्मद सिद्दीक (क्रैशरवाला सैण्ड माईन), ग्राम–क्रैशरवाला, तहसील व जिला–देहरादून (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1564)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 199432/2021, दिनांक 23/02/2021।

प्रकरण का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (मैनर खनिज) है। यह खदान ग्राम–क्रैशरवाला, तहसील व जिला–देहरादून स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 31, कुल क्षेत्रफल–4.48 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मानव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 88,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 360वीं बैठक दिनांक 01/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **उपस्थित सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. सीमा सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अभ्यावेदन प्रपत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित ब्लाक एवं प्रस्तावित ब्लाक के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत स्तर के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी स्तर के लेवल्स (Levels) का भी लिया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पोरी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्मित किये जाये। टेम्पोरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पोरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से करवाकर

जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर उसका नीचे पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु नक्शा भी प्रस्तुत किया जाये।

7. यदि भूमि में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो भूमि में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो जिला वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (पिछले वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रबंधक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रबंधक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की प्रार्थित बातें, अभिभूत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत औरापटा का दिनांक 15/02/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा के द्वारा प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर पोषित है।

3. **खनन योजना** – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/523/खनि–3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 12/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/338/खनि/न.क./2021 रायगढ़, दिनांक 12/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अधिकृत अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/339/खनि/न.क./2021 रायगढ़, दिनांक 12/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, भवन, मस्जिद, मजार, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एन.ओ.आई. का विवरण** – एन.ओ.आई. श्री गुलशेर सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/5149/खनि–3/रेत नीलामी/2020 रायगढ़, दिनांक 22/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह तक है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–औराभाठा 1 कि.मी., समुह ग्राम–औराभाठा 1 कि.मी. एवं अमलाडीह रायगढ़ 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है। कुल खदान से 653 मीटर की दूरी पर हाईटेंशन से स्थित है। स्वीकृत रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 423 मीटर, न्यूनतम 387 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 356 मीटर, न्यूनतम 301 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 136 मीटर, न्यूनतम 114 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 77 मीटर, न्यूनतम 61 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई– 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 86,800 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई

हेतु प्रस्तुत परियोजना के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनिज में रेत की उपलब्धता औसत गहराई 2 मीटर है। जबकि परियोजना के यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उत्खनन क्षेत्र में 2 मीटर गहराई के नीचे रेत की उपलब्धता है अथवा नहीं? अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में मेसर्स, नाग पंचायत क्रीशचाटा के नाम से रेत खदान ग्राम क्रीश खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल 6.0 हेक्टेयर, क्षमता– 35,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 10/02/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ अवधान निर्देश प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/खनि/खनि–5/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 12/04/2021 के अनुसार विगत वर्षों किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2017–18	41,400
2018–19	निरंक
2019–20	

iv. निर्धारित कार्यानुसार 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि वर्तमान में पौधे जीवित नहीं है।

13. **अवधान क्षेत्र में रेत खनन की लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 22/02/2021 को रेत खनन के पर्यावरण लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति की बैठक विवरण के पत्रों उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
51	2%	1.02	Following activities at Nearby Government Primary School **Village: Aurakhata**	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Running water facility for Toilets	0.32
			Total	**1.02**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (मानचित्र सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक की उपस्थिति जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ 282वीं बैठक दिनांक 01/06/2021 में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 01/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 314वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

समिति द्वारा नवीनतम प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का पता कर, मानचित्र सहित सविस्तर विवरण से प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की मोटाई 2.4 मीटर है।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. रेत उत्खनन निर्धारित विधि से एवं गहराई का कार्य लीज़र द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया गया है। मात्रा नहीं दर्शाई गयी है तथा इसमें दर्शाया गया सम्बन्धित 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (प्राम–औराबांधा) का रकबा 4.48 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधानित के आधार पर नहीं तट पर कुल 2,500 पौधे – 1,250 पौधे अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 पौधे (आमुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त चहुंद मार्ग पर 1,000 पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गहन अध्ययन (Ditation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) संबंधी सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, भूमिगत, जलीय पर्यावरणीय, जीव एवं वृक्ष जीवों

पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **जीव क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

i. रेत खनन आरंभ होने पूर्व (नई गत्ता के अंतिम स्वीकृति/पट्टा के प्रारंभ समय) इसी दिन बिन्दुओं से माईनिंग जीव क्षेत्र तथा जीव क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर तक तथा खनन जीव के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी पूर्व निर्धारित दिन बिन्दुओं पर किया जायेगा।

ii. इसी प्रकार माॅनसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी दिन बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित दिन बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–माॅनसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–माॅनसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अभिचार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री पुरुषोत्तम सिंह, ओलम्पस सीमेंट माईन, खसरा अंकित खसरा क्रमांक 01, ग्राम–ओलम्पस, तहसील व जिला–रायगढ़, कुल जीव क्षेत्रफल 4.48 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 0.4 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 17,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जीव क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/06/2021 की संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा भारी का अवलोकन किया गया। विषय विज्ञ उपसमिति प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री पुरुषोत्तम सिंह, ओलम्पस सीमेंट माईन, खसरा अंकित खसरा क्रमांक 01, ग्राम–ओलम्पस, तहसील व जिला–रायगढ़, कुल जीव क्षेत्रफल 4.48 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 0.4 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 17,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

24. मेसर्स श्री सत्य नारायण साहू (ओंकारपुरा सीमेंट माईन), ग्राम–ओंकारपुरा, तहसील व जिला–रायगढ़ (अधिवास का नवमी क्रमांक 1565)

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्ताव नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 199430/2021, दिनांक 22/02/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत उत्खनन (मीन माईनर) है। यह उत्खनन ग्राम–ओंकारपुरा, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 841, कुल

क्षेत्रफल-4.824 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मानक नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता – 36,480 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 360वीं बैठक दिनांक 01/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्पश्चात कार्यवाही में निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-**

1. लीज क्षेत्र से निकटतम जल क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु जल विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं गहराई तथा नदी के पाट की गहराई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, सर्वेक्षण में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल्स (Levels) का भी सर्वे किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 3 टेम्पोरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्पोरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावे। ग्रिड मैप में टेम्पोरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की गहराई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका पृथक्क माईनिंग प्लान के अतिरिक्त रूप से बनाया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पत्र खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका नीचे पत्र सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस आशय उल्लेख किया जाए।
6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर सर्वेक्षण में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का पता कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।
7. यदि पूर्व में अनुमोदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण आकलन निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण आकलन निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त शर्तों के पालन

में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्वास की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग के प्रपत्रित कर कर प्रस्तुत की जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. खनि निरीक्षक एवं पर्यावरण अभियंता द्वारा खदान में रेत के लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपलब्ध समस्त मूलभूत जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिवेशीय प्रभावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 01/06/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सहित अली, अधिकृत प्रतिनिधि मिनिरोल कन्स्ट्रक्शन के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अंतिमपाठ का दिनांक 13/02/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **निस्तारित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा के द्वारा प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान निस्तारित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन पृ.क्रमांक/3227/ख.नि.–3/रेत/2021 रायगढ़, दिनांक 12/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/338/खनि/ख.क./2021 रायगढ़, दिनांक 12/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य रेत खदानों की संख्या शून्य है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/338/खनि/ख.क./2021 रायगढ़, दिनांक 12/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्ताव खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, मजार, रेलवे ट्रायंगल एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. की संख्या भारतमाला परियोजना के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक /6167/ख.नि.–3/रेत नीलामी/2020 रायगढ़, दिनांक 22/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ओरमाझरा 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–बीकरपुरा 2 कि.मी. एवं अस्पताल राजगढ़ 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है। पूर्व खदान से 800 मीटर की दूरी पर अमानीशाह नाला स्थित है। प्रस्तावित रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एन्सीसेन्ट स्थित नहीं है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 555 मीटर, न्यूनतम 500 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 334 मीटर, न्यूनतम 327 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 148 मीटर, न्यूनतम 143 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 82 मीटर, न्यूनतम 65 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई– 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 88,400 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की गहराई ज्ञात करने के लिए प्रस्तावित स्थल पर गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत परिपत्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2 मीटर है। उक्त परिपत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उत्खनन क्षेत्र में 2 मीटर गहराई के नीचे रेत की उपलब्धता है अथवा नहीं? अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**–

   i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत सरकागढ़ (ओरमझरा) के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 312, क्षेत्रफल 5.884 हेक्टेयर, क्षमता– 38,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 10/02/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। शर्त अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/782/खनि–3/रेत/2021 राजगढ़, दिनांक 12/04/2021 के अनुसार जिला वर्षा किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2017–18	44,100

2019-19	निरंक
2019-20	

iv. पिटोरिया मार्गानुसार 1,000 मन पुनर्स्थापन किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। अनुपालन के दौरान बताया गया कि कार्यालय में कोई अंकित नहीं है।

12. **खदान क्षेत्र में रेत भराव के लेखाएं** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर दूरी 25 मीटर के बिन्दु बिन्दुओं पर दिनांक 22/02/2021 को रेत भराव के कार्यालय लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत परियोजना संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विचार के लिये उपलब्ध निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
55.5	2%	1.11	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School, Village- Bokramuda	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Running water facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.30
			Total	1.15

समिति द्वारा तत्समय कार्यवाही में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर उत्खनन में बेड रॉक (Bed Rock) से ऊपर आवश्यक रेत की गहराई संबंधी जानकारी (रेखाचित्र सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ 300वीं बैठक दिनांक 01/06/2021 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 01/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

समिति द्वारा पत्रावली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र पर खनिज में उपलब्ध रेत स्तर की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का 6 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी लम्बाई गहराई का मापन कर, संलग्नक सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की गहराई 2.3 मीटर है।

2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
57.52	2%	1.15	Following activities at Nearby Government Naveen Primary School, Village- Bokaremuda	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running water facility for Toilets	0.20
			Potable Drinking Water Facility	0.20
			Plantation	0.30
			Total	1.20

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य मशीन द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं उपलब्धी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मापन नहीं करी गई है तथा इसमें पर्यावरण में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-बोकरमुड़ा) का रकबा 4.824 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में संचालित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तावित के आधार पर नहीं तट पर कुल 2,500 नग पौधे – 1,250 नग आंवला के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खुले भाग पर 1,000 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत नाप अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) कार्य नहीं आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, पर्यावरण, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं भूजल जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –

i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (नई मार्च के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्रीमि-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े जनवरी 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत पर्यावरण स्वीकृति के श्री राम भगवान साहू, बोकरदीपुरा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 841, ग्राम-बोकरदीपुरा, तहसील व जिला-रायगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 4.824 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 3.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 14,400 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavator pits) से लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/08/2021 की संलग्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री राम भगवान साहू, बोकरदीपुरा सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 841, ग्राम-बोकरदीपुरा, तहसील व जिला-रायगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 4.824 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 3.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 14,400 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

संलग्नित प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

25. मेसर्स श्री जगीश सिदिदकी (दल-1, जमदगिरी सेण्ड माईन), ग्राम-जमदगिरी, तहसील व जिला-सूरजपुर (अधिकतम 50 हजार क्रमांक 1566)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 189434/2021, दिनांक 23/02/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (लीज धारिता) है। यह खदान ग्राम-जमदगिरी, तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 529, कुल क्षेत्रफल-4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन रेहर नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता – 15,540 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 360वीं बैठक दिनांक 01/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, सर्वेक्षण में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में इंगित कर प्रस्तुत किये जावे। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क्स (Concreted TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क्स (TBM) के आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावे। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क्स (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग के प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे।

3. नदीघाट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अंतराल पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका नीचे पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी उपलब्ध गहराई का पता कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की उपलब्ध गहराई हेतु दस्तावेज भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों के लिए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (त्रिवार्षिक वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत उत्खनन पूर्व विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निर्धारित एवं परिसीमन प्रयोजन को खदान में कम से कम तीन स्तरों (Levels) तोने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण सहित) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परिसीमन प्रयोजन को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 01/05/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु की गयीं जांचे आगे, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा पायी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – जिला उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नगदेमोरी का दिनांक 22/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **विन्यासित/सीमांकित** – सहायक कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्यासित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – यथोचित प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-बलौदाबाजार के द्वारा क्रमांक/228/खनिज/2021, बलौदा बाजार दिनांक 11/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – सहायक कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/257/खनि/ग.क.10/2021 सूरजपुर दिनांक 08/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित अन्य तीन खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – सहायक कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/255/खनि/ग.क.10/2021 सूरजपुर, दिनांक 08/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, मंदिर, मस्जिद, मजार, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एन.ओ.आई. का विवरण** – एन.ओ.आई. की अवधि निर्धारणी के पत्र पर है, जो सहायक कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक /1060/ भौ.सा.रे./पी.डी./ग.क.10/2020 सूरजपुर, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/म.वि./क्षेत्र सूरजपुर, दिनांक 06/12/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सेमरा 1 कि.मी., समूह ग्राम–सेमरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 4.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं रेलवेमार्ग 13 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है। एवं पुल खदान से 300 मीटर की दूरी पर आरक्षणीय में स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खदान स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खदान स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 166 मीटर, न्यूनतम 135 मीटर तथा खदान स्थल की लंबाई – अधिकतम 640 मीटर, न्यूनतम 542 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 70 मीटर, न्यूनतम 60 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 25 मीटर, न्यूनतम 6 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई– 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 75,040 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल का सर्वेक्षण में उपलब्ध रेत भण्डार की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.38 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत योजना के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर सर्वेक्षण में रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.38 मीटर है। उक्त परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उत्खनन क्षेत्र में 2.38 मीटर गहराई के नीचे रेत की उपलब्धता है अथवा नहीं? अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत भण्डार के अंकेक्षण** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर मुना 25 मीटर के बिंदु बिन्दुओं पर दिनांक 22/02/2021 को रेत भण्डार के अंकेक्षण लेवलिंग (Levelling) लेकर, उसी खनिज विभाग के प्रमाणीकरण उपरांत मोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
42.1	2%	0.84	Following activities at Nearby Government Primary School **Village- Namadgiri**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.21
			Total	**0.85**

18. **कैच मास्टरिंग क्षेत्र** – नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 500 मीटर, न्यूनतम 120 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 25 मीटर, न्यूनतम 6 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माइनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी अर्थात वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 2.174 हेक्टेयर कैच माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 3.74 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा उत्खनन कार्यस्वीकृति के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पर्यावरण प्रभावक की प्रस्तावित स्थल पर उपस्थित में बेड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (फोटोग्राफ सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. पर्यावरण प्रभावक की उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ 303वीं बैठक दिनांक 01/06/2021 के पश्चात में पर्यावरण प्रभावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 01/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 274वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर उपस्थित में उपलब्ध रेत लगभग की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pit) खोदकर उसकी फोटोग्राफ गहराई का मापन कर, फोटोग्राफ सहित सहित विवरण से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की मोटाई 2.5 मीटर है।

2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नवत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
43.14	2%	0.86	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Nanadgiri	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Running water facility for Toilets	0.35
			Plantation	0.35
			Total	0.90

3. रेत उत्खनन नैसर्गिक विधि से एवं मशीनों का कार्य लीज़र द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

4. पर्यावरण प्रभावांकन द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तलवर्ती जलधारी का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। बिना नदी छोड़ी गयी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

1. आवेदित खदान (प्रान-नमदीगिरी) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 300 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **पर्यावरणीय कार्य** – प्रस्तावित के अनुसार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,000 नग कदम्ब के पौधे तथा शेष 1,000 नग (आंवला, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग पर 1,000 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. पर्यावरण प्रभावांकन रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) कराकर, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् भावी आकलन, रेत उत्खनन का नदी, भूजल, स्थानीय अपवाही, जीव एवं वृक्ष जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसकी चित्र विडियो से माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा पानपुर लीज के बाहर /

नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी बाढ़ के स्तरों (Levels) का कार्य पूर्व निर्धारित सिद्ध बिन्दुओं पर किया जाएगा।

ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी सिद्ध बिन्दुओं पर रेत बाढ़ के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iii. रेत बाढ़ के पूर्व निर्धारित सिद्ध बिन्दुओं पर रेत बाढ़ के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एम.डी.आई.ए.टी. खनिभवन को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा निकाय विभाग उपखंड सांवलसोती के की जमीन खिड़िचाणी, एल–1, नगरपालिका सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 524, ग्राम–नगरपालिका, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से नॉन माईनिंग क्षेत्र 2.134 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 3.76 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 0.8 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 22,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी मशीनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में निकाले रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से अधिक गहराई तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. नॉन माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का सीमांकन जिला खनिज विभाग से भलीभांति सत्यापन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/08/2021 की सायंकालीन बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सांवलसोती से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की जमीन खिड़िचाणी, एल–1, नगरपालिका सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 524, ग्राम–नगरपालिका, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से नॉन माईनिंग क्षेत्र 2.134 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 3.76 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 0.8 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 22,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्ताव को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

26. पेसवाँ की जमीन खिड़िचाणी (एल–2, नगरपालिका सेण्ड माईन), ग्राम–नगरपालिका, तहसील व जिला–सूरजपुर (सांवलसोती का नस्ती क्रमांक 1587)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 188437 / 2021, दिनांक 23/02/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गैर खनिज) है। यह खदान ग्राम–नगरपालिका, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 726, कुल क्षेत्रफल–4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन केवल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अनुमोदित उत्खनन क्षमता – 27,828 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

कैलाश का विवरण –

(अ) समिति की 56वीं बैठक दिनांक 01/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर का पिट बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर पिट मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल्स (Levels) का भी सर्वे किया जावे। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पोरारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्माण किये जावें। टेम्पोरारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Coordinates) अंकित किये जावें। पिट मैप में टेम्पोरारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें सहित निर्माण से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 02 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अतिरिक्त रूप से कराया जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर सहित निर्माण के सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस संबंध उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई ज्ञात करने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का गणन कर, सहित निर्माण से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचायत से प्रस्तुत किया जावे।
6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मति निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (विभिन्न वर्ष) की जानकारी सहित निर्माण से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

8. यदि निर्माण एवं पर्यावरण प्रमाणपत्र की पद्धति में रेत के लेवल्स (Levels) लेने हेतु सर्वेयर (Surveyor) के साथ जरूरत समस्त सूचना जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण पत्रों सहित) सहित अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार पर्यावरण प्रमाणपत्र की एस.ई.ए.सी. अतिरिक्त के पत्र एवं ई-मेल अनुसार दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा अनुपालन हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 01/05/2021:

अनुपालन हेतु की गयी आगे, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ग्राम पंचायत के संबंध में ग्राम पंचायत नगरसिंहपुरा का दिनांक 30/07/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **विचारित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विचारित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **खनन योजना** – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोटपूतली के द्वारा क्रमांक/230/खनिज/2021, कोटपूतली दिनांक 11/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के द्वारा क्रमांक/364/खनि/प.क्र.11/2021 सूरजपुर, दिनांक 08/02/2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या शून्य है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के द्वारा क्रमांक/362/खनि/प.क्र. 11/2021 सूरजपुर, दिनांक 08/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एरोड्रम, मंदिर, मस्जिद, चर्च, राष्ट्रीय स्मारकों एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एन.ओ.आई. का विवरण** – एन.ओ.आई. की जनित विज्ञप्ति के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के द्वारा क्रमांक /1087/गै.ख.रे./वि.अ./प.क्र.11/2020 सूरजपुर, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमंडलाधिकारी, सूरजपुर उपवनमंडल, जिला-सूरजपुर के द्वारा क्रमांक/ए.पी./4611 सूरजपुर, दिनांक 23/11/2018 के जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी डान-सेगल 1 कि.मी., स्कूल डान-सेगल 1 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 4.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित

है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13 कि.मी. दूर है। प्रस्तावित लेन खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक कुल/एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना परिलेखित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 268 मीटर, न्यूनतम 104 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 470 मीटर, न्यूनतम 402 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 88 मीटर, न्यूनतम 60 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 58 मीटर, न्यूनतम 56 मीटर है जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई– 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 77,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत भंडार की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का पता कर, जनित विवरण से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.53 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.53 मीटर है। जबकि दस्तावेज में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उपलब्ध क्षेत्र में 2.53 मीटर गहराई के नीचे रेत की उपलब्धता है अथवा नहीं? अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत स्तर के लेवल** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ से 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पुनः 25 मीटर के बिंदु बिन्दुओं पर दिनांक 22/02/2021 को रेत स्तर के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें जनित विवरण से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विवरण में वर्णित उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

42.54	2%	0.85	Following activities at Nearby Government Middle School Village- Namadgiri	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Running water facility for Toilets	0.15
			Total	0.85

10. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पट की चौड़ाई अधिकतम 208 मीटर, न्यूनतम 194 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 58 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 75 मीटर अथवा नदी के पट की चौड़ाई का 02 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 1,227 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 3.88 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा लाकाकब सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कः–

1. परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बेड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (मानचित्र सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निगुत आवंटन पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ 365वीं बैठक दिनांक 01/06/2021 के परिक्रम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 01/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

समिति द्वारा पत्रावली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी उपलब्धित गहराई का मापन कर मानचित्र सहित खनिज विभाग के प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की मोटाई 2.5 मीटर है।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निगुत आवंटन पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)

43.14	2%	0.86	Following activities at Nearby Government Middle School **Village- Nanadgiri**	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Running water facility for Toilets	0.20
			Total	**0.90**

3. रेत उत्खनन नैसर्गिक विधि से एवं नदाई का कार्य लीजधारक द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तलाशी आंकड़ों का सत्यापित नहीं किया गया है। रेत नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार किए जाने उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-नानदगिरी) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में संरक्षित/संवेदनशील खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **पर्यावरण कार्य** – प्रावधानिक के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,000 नग आंवला के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 1,000 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Silteton Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, भूमिगत, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं वृहत जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में नाईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अप्स्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अप्रैल 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एम.पी.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार निर्णय उपरान्त भर्तसम्पदी के भू जमीन सिंदिदकी, एल-2, नमदगिरी सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 736, ग्राम-नमदगिरी, तहसील व जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 1,037 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 3.86 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 19,400 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई मशिनों द्वारा (Manually) की जायेगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग के स्पष्ट सीमांकन कराने की उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जायेगी।

पर्यावरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/06/2021 की उपरान्त 44वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार निर्णय उपरांत प्राधिकरण द्वारा भर्तसम्पदी के समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये भू जमीन सिंदिदकी, एल-2, नमदगिरी सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 736, ग्राम-नमदगिरी, तहसील व जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 1,037 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 3.86 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 0.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 19,400 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

पर्यावरण प्रस्ताव को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

27. मेसर्स की जमीन सिंदिदकी (एल-3, नमदगिरी सेण्ड माईन), ग्राम-नमदगिरी, तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1588)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमआईए / सीजी / एमआईएन / 166452/2021, दिनांक 23/02/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (रीव्हिज्ड) है। यह खदान ग्राम-नमदगिरी, तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1202, कुल क्षेत्रफल-3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन रेहर नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की अपेक्षित उत्खनन क्षमता – 58,582 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 360वीं बैठक दिनांक 01/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्पश्चात **चर्चोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के तट की गहराई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित भाग एवं प्रस्तावित भाग के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पुल 25 मीटर का ब्रिज बनाकर, प्रत्येक में रेत स्तर के तुलनात्मक Levels लेकर ब्रिज मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन लीज के अंदर / नदी तट (दोनों

क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तल के लगते (Levels) का भी सर्वे किया जावे। तल लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) के आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। फिट किट में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी प्रदर्शित, उनके खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इससे अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर प्रदर्शित, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से करना जावे। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को नीचे पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका नीचे पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनन में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (पिट) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंपनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

6. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्मत निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्मत निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पूर्वावंटन की अवधान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (विगत वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निर्देशक एवं संरक्षण प्रशासक को खदान से रेत के लेवल्स (Levels) लेने आये सर्वेयर (Surveyor) के साथ उपरोक्त समस्त सूचना जानकारी / दस्तावेज (अवधान फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार संरक्षण प्रशासक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की सहित आदि, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **खान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – वन उपखण्ड के माध्यम से खान पंचायत समिति का दिनांक 22/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – उपखण्ड अधिकारी खनिज शाखा के मूल प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **प्रारूपण योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला-कलेक्टर के ज्ञापन क्रमांक/226/खनिज/2021, कलेक्टरेट झुंझुनूं दिनांक 11/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/311/खनि/न.क.12/2021 सूरजपुर, दिनांक 08/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य सिर खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/300/खनि/न.क. 12/2021 सूरजपुर, दिनांक 08/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, एनीकट, मंदिर, मस्जिद, मजार, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एस.डी.आई. का विवरण** – एस.डी.आई. की जनीश सिरिंडरी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक /5279/ सी.आर.टी./एस.डी./न.क.12/2020 सूरजपुर, दिनांक 26/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनपालअधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/न.वि./4650 सूरजपुर, दिनांक 06/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-सेमरा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-सेमरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 4.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 13 कि.मी. दूर है। कुल खदान से 844 मीटर की दूरी पर आरएफ में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – पर्यावरण प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 227 मीटर, न्यूनतम 160 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 422 मीटर, न्यूनतम 327 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 88 मीटर, न्यूनतम 53 मीटर

दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 14 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई– 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेबल रेत की मात्रा – 88,882 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत भराव की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी उपलब्ध गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.62 मीटर है। रेत की प्रस्तावित गहराई हेतु प्रस्तुत प्रावधान के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.62 मीटर है। उक्त संचालन से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उत्खनन क्षेत्र में 2.62 मीटर गहराई के नीचे रेत की उपलब्धता है अथवा नहीं? अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत भराव के क्षेत्रफल** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के बिंदु बिन्दुओं पर दिनांक 22/02/2021 को रेत भराव के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत कोटेशन सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विचार के लिये उपरांत निम्नानुसार प्रावधान प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34	2%	0.68	Following activities at Nearby Government Panchyat Bhavan, Village- Nanadgiri	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Running water facility for Toilets	0.20
			Total	0.70

16. **वैन माइनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 221 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 14 मीटर है। मत दिवस निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन

नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार गहरे लट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के तट की गहराई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 224 वर्गमीटर नैट माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 2.47 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा लगायत कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (लेयरिंग सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को जलस्तर जानकारी / रजामंदी प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ 284वी बैठक दिनांक 01/09/2021 के परिक्रम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/स्पष्टीकरण दिनांक 01/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) समिति की 374वी बैठक दिनांक 01/06/2021:

समिति द्वारा नदी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, पंचनामा सहित स्थानीय निवासी से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की मोटाई 2.5 मीटर है।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित माईनिंग योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का अवलोकन नहीं किया गया है। रेत नदी छोड़ी गई है तथा इसमें वर्षाकाल में लगभग 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-जमदगिरि) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 300 मीटर की परिधि में संरक्षित/संवेदनशील खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी;
2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रावधानुसार के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (आमुन, करंज, बांस, ग्राम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 1,000 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में निष्कृत गाद अवसादन (Sitation Study) करायेगा, साथ ही रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् यदि आवश्यक, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, जलीय वनस्पति, जीव एवं स्थल जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (नई गाद के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का वर्ष पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से की जमीन खिड़िरबारी, एम-3, नवदीपि सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1202, ग्राम-नवदीपि, तहसील व जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 208 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 2.87 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 2.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 17,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में पानी बहाने का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से संचित पानी तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का नीचे पर खनिज विभाग से सघन सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जायेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/08/2021 को सम्पन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये की जमीन खिड़िरबारी, एम-3, नवदीपि सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 1202, ग्राम-नवदीपि, तहसील व जिला-सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 208 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने 2.87 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 2.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 17,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

28. मैसर्स टी.आर. क्लिक (कुंजनगर क्लिक अर्थमूवर्स क्वारी माईन एण्ड क्लिक क्रिसर प्रा.लि., प्रो.– श्री तेजपाल राजवाड़), ग्राम–कुंजनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का पत्रांक क्रमांक 627)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एमएफ/ सीजी/ एण्डआईएम/ 42286/2018, दिनांक 30/07/2018।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं क्लिक क्रिसर ईंट उत्पादन इकाई है। ग्राम–कुंजनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 622, 642, 644, 645, 646 एवं 650, कुल क्षेत्रफल – 2.25 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता – 882.75 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ईंट उत्पादन क्षमता – 6,00,000 नग प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परिवेशजन प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन खदान एवं क्लिक क्रिसर ईंट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुंजनगर का दिनांक 07/10/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **परियोजना योजना** – खनि योजना, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एवं खनि संरक्षण प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1222/खनिज/2018, सूरजपुर दिनांक 17/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 721/खनिज/ई–निविदा–कुंजनगर/2018 सूरजपुर, दिनांक 16/04/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आच्छादित क्षेत्र खदानों की संख्या निरंक है।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–सूरजपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **एस.डी.आई. संबंधी विवरण** – एस.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1222/खनिज/ ई–निविदा–कुंजनगर/2018 सूरजपुर, दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी स्थिति जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एस.डी.आई. की स्थिति समाप्त हो गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 22/08/2018

समिति द्वारा प्रकरण की चर्चा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा **उपस्थित सदस्यगणों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. एस.ओ.आई. मैपिंग पृष्ठि संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / प्रमाणपत्र सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एस.ओ.आई. मैपिंग पृष्ठि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/11/2019 द्वारा जानकारी/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / प्रमाणपत्र सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(च) समिति की 327वीं बैठक दिनांक 01/09/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 18/09/2019 एवं 04/07/2020 की बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था; परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 344वीं बैठक दिनांक 06/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06/10/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य (अवकाश होने के कारण) कारणों से समिति की समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तकनीक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया का कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त पूर्वापेक्षित जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 06/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की ऐच्छिक स्वकार्य, प्रोजेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र में अवगत तथा समिति के हस्ताक्षर नहीं है।
2. **एन.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एन.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1202/खनिज/ई-निविदा-सूरजपुर/2018 सूरजपुर, दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी की गई निविदा नियम जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 182/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 18/06/2020 द्वारा एन.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु माननीय न्यायालय संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ की ग्राम-कुटरापारा, तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 883, 882, 884, 885, 586 एवं 850, कुल क्षेत्रफल – 3.25 हेक्टेयर में अतिरिक्त अवधि प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जो कि विचाराधीन है।
3. **भू-स्वामित्व** –

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.	श्री दूलेश्वर, श्री दूलेश्वर, श्री कालीराम	883	0.81
2.	श्री रामकुमार, श्री रामलाल, श्री नंदलाल	882	0.73
3.	श्री शोभनाथ	586	0.36
4.	श्री धनपत, श्री बाबू	885	0.14
5.	श्री मोतीलाल, श्री रामलाल, श्री रामलाल, श्री धनपत, श्रीमती रामकली	884	0.19
6.	श्री तिलेश्वर	850	0.33
	कुल		**3.25**

तालाब हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5. **खन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ उपखण्ड, सूरतगढ़ के ज्ञापन क्रमांक प.वि./1517 सूरतगढ़, दिनांक 24/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र एवं भूमि की सीमा से 3.0 कि.मी. की दूरी पर है।

6. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुलनगर 0.25 कि.मी., स्कूल ग्राम–कुलनगर 1.0 कि.मी. एवं अस्पताल बिजयनगर 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.0 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22 कि.मी. दूर है। रेल नहीं 1.25 कि.मी. दूर है।

7. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावित ग्राम 10 कि.मी. की परिधि में आरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

8. **खनन संचालन एवं खनन का विवरण** – विशेषज्ञों के रिजर्व 45,000 घनमीटर, माइनेबल रिजर्व 37,764 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 33,988 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.10 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मैकेनिकल विधि से खनन किया जाएगा। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। क्षेत्र की लंबाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 10 वर्ष है। प्रस्तावित लीज क्षेत्र के सीमा क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर में ईंट निर्माण हेतु किसान मिट्टी लंबाई 30 मीटर प्रस्तावित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 30 अतिरिक्त गहराई एवं का प्रस्तावित किया जाएगा। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान की प्रस्तावित आयु 10 वर्ष है। खदान में धातु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	ईंट निर्माण (नग)
प्रथम वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	8,00,000
प्रथम वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	426	
द्वितीय वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	8,00,000
द्वितीय वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	426	
तृतीय वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	8,00,000
तृतीय वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	426	
चतुर्थ वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	8,00,000
चतुर्थ वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	426	
पंचम वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	8,00,000
पंचम वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	426	
षष्ठम् वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	8,00,000
षष्ठम् वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	426	
सप्तम् वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	8,00,000
सप्तम् वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	426	
अष्टम् वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	8,00,000

अप्रैल वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	426	
मार्च वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	6,00,000
मार्च वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	426	
फरवरी वर्ष प्रथम क्षेत्र	508	1	508	457	6,00,000
फरवरी वर्ष द्वितीय क्षेत्र	473	1	473	426	

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

9. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.16 घनमीटर प्रतिदिन होगी। संयंत्र में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति जल संसाधन अंतर्गत स्वयं के टैंकर के माध्यम से की जायेगी। जल संसाधन मूल्यांकन के प्रमाण दिनांक 05/11/2020 के द्वारा अस्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **वृक्षारोपण कार्य** – तीव्र क्षेत्र की सीमा में सड़क और 1 मीटर की पट्टी में 508 पेड़ वृक्षारोपण किया जाएगा।

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस संयंत्र को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

12. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38.79	2%	0.74	Following activities at Navean Prathmik Shala Village – Jitharpara	
			Rain Water Harvesting System	0.79
			Plantation in school campus	0.10
			Total	0.89

समिति द्वारा उपलब्ध पर्यावरणीय के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. भारांश एवं समिति द्वारा उपलब्धित जल संसाधन का अस्थायी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. एन.ओ.आई. क्षिता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. ईंट निर्माण के लिए आवश्यक कोयला की मात्रा सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(ग) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:-

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 281वीं, 284वीं, 323वीं, 327वीं, 340वीं एवं 345वीं बैठक क्रमशः दिनांक 22/08/2019, 18/09/2019, 04/07/2020, 01/09/2020, 08/10/2020 एवं 06/11/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 11/09/2019, 27/08/2020, 25/08/2020, 03/10/2020, 29/10/2020 एवं 09/03/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक-पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज क्रमशः दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में अधिक देरी की जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदन को कि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/08/2021 की संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को कि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

26. पेसर्स ईरा कंसे माइंस (प्रो.– श्री अभिषेक चक्रवर्ती), ग्राम–ईरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव (अधिकारण का पत्रांक 1274)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 160646/2020, दिनांक 30/03/2020।

प्रकरण का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी (लौह खनिज) खदान है। खदान ग्राम–ईरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468/2, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 484, 485, 486, 488, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496, 498, 499 एवं 526, कुल क्षेत्रफल– 4.652 हेक्टेयर में है। खदान की अनुमति उत्पादन क्षमता–3,500 एम.टी.पी.ए. प्रस्तावित है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/09/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की गहनी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. यदि पूर्व में आवंटित स्थल पर खनन हेतु तथा साथ पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बिंदु सहित) की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपर्युक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त दुर्लभ जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 331वीं बैठक दिनांक 02/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/07/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 03/07/2020 एवं दिनांक 04/07/2020 की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त दुर्लभ जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक की एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 25/09/2020 द्वारा अनुशंसित हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 337वीं बैठक दिनांक 01/09/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की अभिलेख सामग्री, प्रेजेन्टेशन उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का आवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उपखण्ड के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा का दिनांक 26/06/2024 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **वनस्पति योजना** – खाली पड़ने वाले क्षेत्र हेतु खाली क्षेत्रीय पौधा एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (सामाजिक वन), जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक /वा.वि./तीन-6/2016/323, रायपुर, दिनांक 08/02/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक 2781/खनि 03/2018 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 4.411 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विद्यमानीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों से 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (उक्त संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टों के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होलोसिनियस निस्तार क्षेत्र में विद्यमानीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को सम्मिलित करते हुए तथा इस प्रकार सम्मिलित खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को जहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक 2781/खनि 03/2018 राजनांदगांव, दिनांक 04/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. **लीज का विवरण** – लीज पूर्व में श्री हिमालय चक्रधारी के नाम पर थी, लीज डीड का हस्तांतरण श्री अभिषेक चक्रधारी के नाम पर दिनांक 14/08/2017 को किया गया है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 10/10/2005 से 09/10/2015 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की दिनांक 09/10/2035 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
6. **भू-स्वामित्व** – भूमि श्री अभिषेक चक्रधारी के नाम पर है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **जन विश्वास का अधिनियम प्रमाण पत्र** – भारतीय वनसर्वेक्षण, वनमण्डल रायपुरदक्षिण, जिला–रायपुरदक्षिण के द्वारा क्रमांक/वि.वि./न.क्र. 10–1/2020/12516 रायपुरदक्षिण, दिनांक 18/12/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ढोरा 1.3 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–ढोरा 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सोनारी 3.85 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.24 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.8 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 8.108 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावित द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 46,820 घनमीटर एवं माइनेबल रिजर्व 41,884 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर सेफ्टी जोन का क्षेत्रफल 1,138 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। अपशिष्ट मिट्टी की गहराई 2 मीटर है, इसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। वर्तमान में कुछ भागों में 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया जा चुका है। बेंच की लंबाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र में प्रस्तावित विभागों की लंबाई 38 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 3,300 वर्गमीटर है। लीज क्षेत्र के 700 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्ष खड़े हैं। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 60 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। माइनिंग प्लान में वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)
प्रथम	3,000	1	3,000
द्वितीय	3,000	1	3,000
तृतीय	3,000	1	3,000
चतुर्थ	3,000	1	3,000
पंचम	3,000	1	3,000

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)
छठवें	3,000	1	3,000
सातवें	3,000	1	3,000
आठवें	3,000	1	3,000
नौवें	3,000	1	3,000
दसवें	3,000	1	3,000

12. **पाल आवृत्ति** – परिवहन हेतु आवश्यक पाल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। पाल की आपूर्ति कंट्रेक्टर के माध्यम से किया जाता है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में आगामी 06 माह में वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में निर्गत खसरा वाराना अभ्यांश 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468/2, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 484, 485, 486, 490, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496, 498, 499 एवं 525, कुल क्षेत्रफल – 4.662 हेक्टेयर, अथवा – 3.000 मेगावाट प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण आकलन निर्देशन प्राधिकरण, जिला–दतिया द्वारा दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के कार्यों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

iii. निर्धारित मानदण्डानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी सहित विवरण से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

15. प्रस्तुत उत्खनन योजना में अधिक रिजर्व की मात्रा 5.136 मेगावाट एवं अधिक क्षेत्र का क्षेत्रफल 5.136 मेगावाट बताया गया है। वास्तव में अधिक रिजर्व की मात्रा उससे अधिक होगी। इस प्रकार उत्खनन योजना की गणना में त्रुटि है। अतः उक्त त्रुटि को सुधार कर संशोधित अद्यतनीकृत उत्खनन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विवरण से वर्ष उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Govt. Higher Secondary School Village - Khuteri	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking Water	0.20
			Total	0.80

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार संशोधित अनुसूचित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. विगत वर्षों में वर्षवार किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (विस्तृत वर्ष) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. माईनिंग विभाग के कलक्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।

4. जल की आपूर्ति संबंधित से किया जाना बताया गया है। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन में आता है बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।

5. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रावधान प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 29/09/2020 के परिपत्र में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 03/12/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) समिति की 351वी बैठक दिनांक 18/12/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रायगढ़(छ.ग.) के द्वारा क्रमांक/2761/खनिज/2019 रायगढ़(छ.ग.) दिनांक 04/11/2019 के अनुसार अवैधित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 10.0 एकड़ है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि अवैधित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य खदान अवैधित है अथवा नहीं? यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रावधान पूर्ण विवरण (प्रस्तावित स्थल का नाम, राशि एवं कार्यवाही वर्ष का विवरण) के साथ प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ) के साथ आगामी गठित की जाने वाली बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परिशोधन प्रस्ताव को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 02/01/2021 द्वारा अनुशंसित हेतु सूचित किया गया।

(ई) समिति की 354वीं बैठक दिनांक 08/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु की विस्तृत चर्चा, अतिरिक्त प्रतिवेदी उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1845/खनि-02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 18/08/2020 द्वारा पिछले वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)
2010	1,800
2011	1,400
2012	1,300
2013	950
2014	800
2015	600
2016	निरंक
2017	1,800
2018	1,400
2019	1,790

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की प्रमाण प्रपत्र पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. सिंचाई खदानों वीटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परिशोधन प्लान लेने क्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। खदानों वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल खदानों वाटर अथॉरिटी से अनुमति के संबंध में आवेदन किया जाना चाहिए गया है।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
6. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा परिशोधन प्रस्तावक को प्रेषित पत्र दिनांक 08/10/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई। जिसमें अनुसार परिशोधन प्रस्तावक को सूचित किया गया कि:-

"I am directed to refer to your letter dated 10th January, 2020 regarding above mentioned subject. The definition of cluster in the context of mining was defined vide notification S.O. 2259(E) dated 01.07.2016. In this regard, it is informed that applicability of provisions of above said Notification is applicable prospectively i.e. after 01.07.2016."

परिशोधन प्रस्तावक का कथन है कि उक्त पत्र में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक

01/07/2016 के अनुसार परिभाषित क्लस्टर को मान्य किये जाने का लेख किया गया है। अतः अधिसूचना अनुसार परिभाषित क्लस्टर में दिनांक 08/08/2013 के पूर्व स्वीकृत खदानों को क्लस्टर में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा परिपत्रांक प्रस्तावक को लेख जारी पत्र दिनांक 08/10/2020 के परिपत्र में समिति द्वारा निम्नानुसार तथ्यों की निर्देशन की गई:-

i. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 2368(अ), दिनांक 01/07/2016 में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनता जाएगा, जब एक लीज के धारितों के बीच दूरी उस समूह खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के धारित से 500 मीटर से कम है, जो 28 सितम्बर, 2013 को और उसके पश्चात् अनुप्रदत्त खान पट्टों या खदान अनुज्ञप्तियों को लागू होगी।"

ii. माननीय एन.जी.टी., क्षेत्रीय पीठ, नई दिल्ली द्वारा मामले पारदेश सिंघ भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 184 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

iii. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा माननीय एन.जी.टी., क्षेत्रीय पीठ, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 184 ऑफ 2016 एवं अन्य में दिनांक 13/09/2018 को जारी आदेश के परिपत्र में ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 में उक्त आदेश का संशोधन नहीं किया गया है तथा डी.एम. दिनांक 12/12/2018 के द्वारा माननीय एन.जी.टी. के उपरोक्त आदेश का पालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

iv. उक्त तथ्यों के परिपेक्ष में समिति द्वारा चर्चोपरान्त ये यह निर्णय लिया गया कि ई.आई.ए. अधिसूचना में क्लस्टर के पर्यावरणीय प्रबंधन का तात्पर्य निकटवर्ती खदान की लीज सीमा से 500 मीटर में आने वाले समस्त समूह खनिज क्षेत्रों की खदानों से पर्यावरणीय घटकों में होने वाले एकीकृत एवं समग्र प्रभाव के आकलन उपरांत उनके उपचारी उपायों (Remedial Measures) को समग्र रूप से लागू किया जा सके। अतः माननीय एन.जी.टी., क्षेत्रीय पीठ, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश दिनांक 13/09/2018 एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली डी.एम. दिनांक 12/12/2018 के आधार पर 5 हेक्टेयर एवं उससे अधिक एकल खदान अथवा क्लस्टर बनने पर ऐसी प्रकरणों को "बी-1" श्रेणी का माना जाना उचित है।

समिति द्वारा सामान्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित भवनिर्माण प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी की अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. कारण सारा उपयोग करने हेतु मेट्रज कारण सारा अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. पर्यावरण प्रभावक द्वारा उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जायेगी।

(ग) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 322वीं, 328वीं, 331वीं, 337वीं, 361वीं एवं 364वीं बैठक क्रमशः दिनांक 18/05/2020, 03/06/2020, 02/07/2020, 01/08/2020, 10/12/2020 एवं 28/01/2021 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिपालन में पर्यावरण प्रभावक को आवश्यकता / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 23/05/2020, 27/06/2020, 25/08/2020, 29/10/2020, 02/01/2021 एवं 15/02/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। पर्यावरण प्रभावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक-पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी।
2. पर्यावरण प्रभावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
3. पर्यावरण प्रभावक द्वारा प्रकरण की कार्यान्वयन स्वीकृति एवं वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रूचि नहीं ली जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार किया उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदन को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/06/2021 को संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार किया उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

पर्यावरण प्रभावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

30. मेसर्स श्री प्रकाश चंद्रा (किराशाला सीमेन्ट माईन्स, ग्राम-किराशाला, तहसील-अचरा, जिला-जांजगीर-चांपा), शिव शंकर वार्ड, जीतीपुर, जिला-जांजगीर-चांपा (संचालन का नस्ती क्रमांक 1341)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर - एमआईए /सीजी /एमआईएन / 161806/2020, दिनांक 04/07/2020।

प्रकरण का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन ऑनिल) है। यह खदान ग्राम–बिलासपुर, तहसील–बलौदा, जिला–बालोद–बाया जिला खैरागढ़ क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खनन मानव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवंटित खनन क्षमता–96,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 33वीं बैठक दिनांक 02/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **उपस्थित सदस्यगण के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी पाट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के लेवल्स (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क्स (Concreted TBM structure) निर्माण किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क्स (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क्स (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें अंकित किसान के प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीपाट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुल क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अभिवर्धन कर के कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर अंकित चिह्नों से रीजनेबल कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अंतराल पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिन्हित कर, उसका मौके पर रीजनेबल तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत् उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का पंचनामा कर, अंकित किसान से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि भूमि में आवंटित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आंकलन निर्देशन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन निर्देशन प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो भूमि में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लोकेशन (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपलब्ध समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रदान फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं खनि निरीक्षक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 320वीं बैठक दिनांक 06/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 28/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 343वीं बैठक दिनांक 04/11/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में मांगी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रपत्र दिनांक 02/12/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/12/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रकाश चंद्रा, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा मांगी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एस.डी.आई. श्री प्रकाश चंद्रा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-जांजगीर-चांपा के आदेश क्र/2844/रीप्र खनिज/ नीलामी/ ग.क्र./2020 जांजगीर, दिनांक 04/01/2020 द्वारा जारी की गई, जो दिनांक 03/07/2020 तक वैध थी। उपरांत से एस.डी.आई. की वैधता वृद्धि हेतु सक्षम प्राधिकारी (खनिज विभाग) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. समिति का मत था कि चूंकि परियोजना प्रस्तावक को जारी ए.सी.आई. की वैधता समाप्त हो गई है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा ए.सी.आई. की वैधता वृद्धि हेतु सक्षम प्राधिकारी (खनिज विभाग) के समक्ष आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में भरी गई अपूर्ण जानकारी / दस्तावेज तथा ए.सी.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(ब) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति (एस.ई.ए.सी.) छत्तीसगढ़ की 338वीं, 339वीं, 343वीं एवं 344वीं बैठक क्रमशः दिनांक 02/06/2020, 08/10/2020, 04/11/2020 एवं 07/12/2020 में प्रकरण पर विचार किया गया। उक्त बैठकों के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 03/10/2020, 29/10/2020, 02/12/2020 एवं 08/03/2021 को पत्र प्रेषित किया गया। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक-पृथक पत्रों से जानकारी मांगी गई थी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में कमि नहीं की जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार किया गया उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर** उक्त आवेदन को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/06/2021 की संपन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा भारी मत अवलोकन किया गया। विचार किया गया उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-3 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से क्रम लिया

1. **मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायपुर) प्राईवेट लिमिटेड, ओ.पी. जिंदल औद्योगिक पार्क, पत्थर-पूजीपाली, जिला-रायगढ़**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 216050/2021, दिनांक 12/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण –

1. मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं. 182, 184 एवं 186, सेक्टर-जी, सिडको इण्डस्ट्रीयल पार्क, पुटीभाटा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को इस्पात विस्तार के तहत कंटिन्युअस कास्टर आधारित इण्डक्शन फर्नेस क्षमता–48,000 टन प्रतिवर्ष से 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को उद्योग के डी–फर्नेस होने के कारण मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरण करने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. **पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के क्रमांक 201/SEIAA-CG/EC/IF/RGH/270/11 मन्तूर दिनांक 20/11/2012 द्वारा मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं. 182, 184 एवं 186, सेक्टर–जी, सिडको इण्डस्ट्रीयल पार्क, पुटीभाटा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) को इस्पात विस्तार के तहत कंटिन्युअस कास्टर आधारित इण्डक्शन फर्नेस क्षमता–48,000 टन प्रतिवर्ष से 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं. 182, 184 एवं 186, सेक्टर–जी, सिडको इण्डस्ट्रीयल पार्क, पुटीभाटा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) को इस्पात विस्तार के तहत कंटिन्युअस कास्टर आधारित इण्डक्शन फर्नेस क्षमता–48,000 टन प्रतिवर्ष से 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को उद्योग के डी–फर्नेस होने के कारण मेसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरण करने बाबत् आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है :–

   i. मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं. 182, 184 एवं 186, सेक्टर–जी, सिडको इण्डस्ट्रीयल पार्क, पुटीभाटा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) को इस्पात विस्तार के तहत कंटिन्युअस कास्टर आधारित इण्डक्शन फर्नेस क्षमता–48,000 टन प्रतिवर्ष से 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

   ii. मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड द्वारा जिला कलक्टर एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ को रायगढ़ ईकाई से आर.एस. इस्पात लिमिटेड का आर.एस. इस्पात (रायगढ़) प्राईवेट लिमिटेड में डी–फर्नेस किये जाने की सूचना पत्र की प्रति।

   iii. छत्तीसगढ़ सेन्ट्रल ली ट्रिब्यूनल (एनजीटी) कोलकाता बेंच द्वारा उद्योग के डी–फर्नेस स्थापित हेतु आदेश दिनांक 08/05/2018 की प्रति।

   iv. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र क्रमांक 6300/TS/CECB/2018 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2018 (वैधता दिनांक 31/12/2023 तक) द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण की प्रति।

प्रतिवेदन द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिवेदन की दिनांक 24/08/2021 को सम्पन्न 112वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिवेदन द्वारा जारी दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं विचार विमर्श उपरांत प्रतिवेदन द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक के निम्नानुसार दस्तावेज लगाया जाये :–

1. मेसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं. 182, 184 एवं 186, सेक्टर–जी, सिडको इण्डस्ट्रीयल पार्क, पुटीभाटा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा इस्पात विस्तार के

तहत् कटिन्युअस कास्टर आयरनिट इन्वाकास कर्नेस क्षमता–48,000 टन प्रतिवर्ष से 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मैसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) लिमिटेड के नाम नामांतरित करने बाबत् मैसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

2. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा मैसर्स आर.एस. इस्पात लिमिटेड प्लाट नं. 182, 184 एवं 186, सेक्टर–डी, सिडको इण्डस्ट्रीयल पार्क, पुसौरकला, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) के नाम परिवर्तित कर मैसर्स आर.एस. इस्पात (रायगढ़) लिमिटेड के नाम करने बाबत् अनुमति पत्र की प्रति।

परिपालन प्रमाणपत्र को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(सुबल साहू)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर पर्यावरण प्रभावांकन निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(लोकेश कुमार सिन्हा) 11/4/24
अध्यक्ष
राज्य स्तर पर्यावरण प्रभावांकन निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. समीर बिसेन)
सदस्य
राज्य स्तर पर्यावरण प्रभावांकन निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़